

51TH
ANNUAL REPORT
2010-2011

५१ वाँ
वार्षिक रिपोर्ट
२०१०-११



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ लिमिटेड**

BOARD OF MANAGEMENT

(As on 31st March 2011)

CHAIRMAN

Shri K. Sivadasan Nair, MLA
Director, Delhi SCB Ltd.

VICE CHAIRPERSONS

Shri Gobinda Roy
Chairman, West Bengal SCARDB Ltd.

Shri B.H. Jadeja
Director, Gujarat SCARDB Ltd.

Shri Sukhdarshan Singh Mrar
Chairman, Punjab SCADB Ltd.

DIRECTORS

Shri Bijay Kumar Singh
Chairman, Bihar SCLDB Ltd.

Shri Devendra Kumar Pandey
Chairman, Chhattisgarh RSKGVB Ltd.

Shri R.G.N. Mule
Chairman, Goa SCB Ltd.

Shri Dalip Singh Yadav
Haryana SCARDB Ltd.

Shri S.S. Chauhan
Chairman, Himachal Pradesh SCARDB Ltd.

Shri C.K. Rajendran
President, Kerala SCARDB Ltd.

Shri Kishan Singh Bhatol
Chairman, Madhya Pradesh SCARDB Ltd.

Ms. Roshan Warjri
Chairperson, Meghalaya CAB Ltd.

Shri J. Sekar
Chairman, Pondicherry CCLDB Ltd.

Shri Nawal Kishore
Managing Director, Uttar Pradesh SGVB Ltd.

MANAGING DIRECTOR

Shri K.K. Ravindran

प्रबन्धन बोर्ड

(31 मार्च 2011 को)

अध्यक्ष

श्री के शिवदासन नायर, एमएलए
निदेशक, दिल्ली एससीबी लि.

उपाध्यक्ष

श्री गोबिंदा रॉय
चेअरमैन, पश्चिम बंगाल एससीएआरडीबी लि.

श्री बी.एच. जड़ेजा
निदेशक, गुजरात एससीएआरडीबी लि.

श्री सुखदर्शन सिंह म्रार
अध्यक्ष, पंजाब एससीएडीबी लि.

निदेशक

श्री बिजय कुमार सिंह
अध्यक्ष, बिहार एससीएलडीबी लि.

श्री देवेंद्र कुमार पांडे
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ आरएसकेजीवीबी लि.

श्री आर.जी.एन. मुले
अध्यक्ष, गोवा एससीबी लि.

श्री दलीप सिंह यादव
हरियाणा एससीएआरडीबी लि.

श्री एस.एस. चौहान
अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश एससीएआरडीबी लि.

श्री सी.के. राजेंद्रन
अध्यक्ष, केरल एससीएआरडीबी लि.

श्री किशन सिंह भटोल
अध्यक्ष, मध्य प्रदेश एससीएआरडीबी लि.

सुश्री रोशन वार्जरी
चेअरपर्सन, मेघालय सीएबी लि.

श्री जे सेकर
अध्यक्ष, पांडिचेरी सीसीएलडीबी लि.

श्री नवल किशोर
प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश एसजीवीबी लि.

प्रबंध निदेशक

श्री के.के. रविंद्रन

FIFTYFIRST ANNUAL REPORT 2010-2011



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, 7th Floor, BSEL TECH PARK, A-Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703

Telephone (Office): 022 - 27814114 / 426 / 226 • (M.D.): 022 - 27814224
Telegram: BHUMIVIKAS • Guest House: 022 - 25514518 • Fax: 91-22-27814225
E-mail : nafcard@vsnl.com • Website : www.nafcard.org

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD., MUMBAI.

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2010-2011 will be held on Wednesday, 28 September 2011 at 12 Noon at Hotel Bawa International, Domestic Airport, Mumbai to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 9th August 2010 at Bogmallo Beach Resort, Goa.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2010-11.
3. Disposal of surplus for the year 2010-11.
4. Consideration of the Statutory Report of Auditors for the year ended 31.3.2011.
5. Consideration of Compliance Report on Auditor's Remarks in Audit Report as on 31.3.2011.
6. Consideration of Annual Report for the year 2010-11.
7. Appointment of Statutory Auditors for the year 2011-12 and fixing audit fees.
8. Consideration Annual Budget for the year 2012-13.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002, and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

(K.K. Ravindran)
Managing Director

Place : Mumbai
Date : 18 August 2011

I. ECONOMIC SCENE

The Indian economy has emerged with remarkable rapidity from the slowdown caused by the global financial crisis of 2007-09. Growth is strong in 2010-11 with a rebound in agriculture and continued momentum in manufacturing though there was a deceleration in services caused mainly by the deceleration in community, social and personal services reflecting the base effect of fiscal stimulus in the previous two years. The Economic Survey insist tight monetary policies would have to stay to curb inflation and mitigate global risks such as rising food and commodity prices and debt problems in the European nations.

The estimated level of growth in the GDP at constant 2004-05 prices at factor cost (real GDP) in 2010-11 was composed of growth of 5.4% in agriculture, which rebounded from a downturn in the previous year, growth of 8.1% in industry which has a growth of 8.0% in 2009-10; and a decelerated growth of 9.6% in services as against 10.1% in 2009-10. On the demand side, a rise in savings and investment and pickup in private consumption have resulted in strong growth of the Gross Domestic Product (GDP) at constant market prices at 9.7% in 2010-11. A sequenced and gradual withdrawal of the monetary accommodation is helping contain inflationary pressures. Inflation which remained at elevated levels for a large part of the current fiscal was largely driven by food items.

The Central Statistics Office (CSO) has released the Advance Estimate of GDP for 2010-11. The Indian economy grew robustly in the current financial year and is on firmer footing. With growth in real GDP at 8.6% in 2010-11, which followed a revised growth of 8.0% in 2009-10 and 6.8% in 2008-09, the economy has moved closer to the pre-crisis levels. The decomposition of growth in 2010-11 indicated that it was relatively broad based across the major sub-sectors in industry and services, besides the rebound in agriculture. Agriculture is estimated to grow relatively rapidly on the strength of growth of 6.5% in food-grains; 11.9% in oil seeds; 41.2% in cotton; 15.2% in sugarcane; 4.1% in fruits; and 3.8% in vegetables.

The growth of agriculture and allied sectors continues to be a critical factor in the overall performance of the Indian economy. It might be recalled that this sector had grown in excess of 5.0% on average annual basis in the triennium ending 2007-08 when real GDP grew in excess of 9%. This sector accounted for 12.7% of the real GDP in the first half of 2010-11. Despite experiencing the most deficient south-west monsoon since 1972 and a significant fall in the levels of kharif foodgrain production in 2009-10, the growth in agriculture marginally recovered to 0.4% primarily due to a good rabi crop. With above normal rainfall, the prospects for growth of the sector were bright in the current year with a growth of 3.8% during the first half of 2010-11 as against 1.0% during the first half of 2009-10. The advance

estimates of the CSO placed the growth in agriculture and allied sectors at 5.4% which implied an overall share of 14.2% in real GDP in 2010-11.

For four consecutive years from 2005-06 to 2008-09, foodgrains production registered a rising trend and touched a record level of 234.47 million tones in 2008-09. The production of foodgrains declined to 218.20 million tones during 2009-10 (4th Advance Estimates) due to long spells of drought in various parts of the country in 2009. As per the 1st Advance Estimates (covering only kharif crops), production of kharif foodgrains during 2010-11 is estimated at 114.63 million tones which is lower than the target of 125.31 million tones but higher than kharif foodgrain production of 103.84 million tones recorded during 2009-10 (4th Advance Estimates). The shortfall in the estimated kharif foodgrain production compared to the target in 2010-11 is mainly due to drought conditions reported in major rice-producing areas in the country.

Inflation continues to be a cause of concern. The year-on-year WPI inflation that started trending up in December 2009 continued through the current fiscal. The financial year 2010-11 started with double-digit headline inflation. In spite of having a good monsoon this year, headline inflation at elevated levels owed to high levels of food inflation.

In tandem with world trade volumes, India's exports fell rapidly following the deepening of the global financial crisis midway through 2008-09; they rose in the second half of 2009-10, which continued through 2010-11 until June 2010. Thereafter growth decelerated till October 2010 and picked up subsequently to reach 36.4% in December 2010, which is the highest growth in the last two years. Trade deficit (on customs basis) increased by 2.4% to US\$ 82 billion in 2010-11 (April-December) from US\$ 80.1 billion in the corresponding period of the previous year. The net invisible surplus (invisible receipts minus payments) was lower at US\$ 39.1 billion during the first half of 2010-11 vis-a-vis US\$ 42.5 billion during the first half of 2009-10. The lower invisible surplus combined with higher trade deficit resulted in widening of the current account deficit to US\$ 27.9 billion during the first half of 2010-11 compared to US\$ 13.3 billion in the first half of 2009-10.

Foreign exchange reserves increased from US\$ 252 billion at the end of March 2009 to US\$ 279.1 billion at the end of March 2010, showing a rise of US\$ 27.1 billion. India's external debt stood at US\$ 295.8 billion at the end of September 2010, recording an increase of US\$ 33.5 billion (12.8%) over the level of end-March 2010. The rise in debt was largely due to higher commercial borrowings, short-term trade credits, and multilateral Government borrowings.

The RBI had begun the process of withdrawing from the accommodative policy stance in October 2009 itself. The RBI raised the policy rates six times during the current fiscal

wherein the repo rates under its liquidity adjustment facility (LAF) was increased cumulatively by 175 basis points (bps) raising it to 6.5% and the reverse repo rate was increased by 225 bps raising it to 5.5%. The Cash Reserve Ratio (CRR) was at 6% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) of banks. The Budget for 2010-11 followed up on the 13th Finance Commission Recommendations on limiting the combined public debt to GDP ratio to 68% by 2014-15 with a promise to analyse the issues in a status paper, which would also unveil the roadmap for the reduction. The recent Budgets had indicated the reform measures that would drive the process, which included subsidy reforms in fertilizers and petroleum and public expenditure management, besides the tax reforms that are on the anvil.

Social-sector spending has progressively been stepped up and it stood at 37% of the total plan outlay in 2010-11. The share of Central Govt. expenditure on social services including rural development in total expenditure (Plan and non-plan) has increased from 13.75% in 2005-06 to 19.27% in 2010-11 (Budget Estimates). The progress under the MGNREGA that guarantees wage employment on an unprecedented scale has been satisfactory. During 2009-10, 5.26 crore households were provided employment under this scheme as against more than 4.51 crore during 2008-09. During 2010-11, about 4.10 crore households have been provided employment till December 2010. While the Govt. has consciously undertaken a large increase in budgetary allocations for anti-poverty programmes and employment generation schemes, the delivery mechanism needs to be bolstered and streamlined to facilitate the effective implementation of these programmes.

Climate change as a result of greenhouse gas (GHG) emissions has been receiving intense political attention at domestic and international levels. India's determination in addressing climate change is evident from an indicative target of increasing energy efficiency by 20% by 2016, now supplemented with the domestic mitigation goal of reducing emissions intensity of the GDP by 20-25% of the 2005 level by 2020 through proactive policies.

(Ref. Economic Survey 2010-11)

II. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE - OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem their prior debts. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of large number of such banks in all provinces. The first Central Land

Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also assigned a developmental role to the Land Mortgage Banks by diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the II Five Year Plan which became State Cooperative Land Development Banks and in the 90s as State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment.

The training needs of about 25000 personnel of SCARDBs & PCARDBs as well as elected Board Members of the State & Primary ARDBs are largely met by JLTCS run by SCARDBs with financial support from NABARD, Institutes of Co-operative Managements and Regional Institutes of Co-operative Management (ICMs and RICMs) run by NCCT with funding support from GOI & Regional Training Centres run by NABARD. Middle and Senior level personnel are trained mainly at VAMNICOM & CAB, Pune & BIRD, Lucknow and National Institute for Rural Banking, Bangalore.

While MIS (Management Information System) has been computerized by almost all SCARDBs, entire operations at all levels have been fully computerized by Kerala & Punjab SCARDBs. Computerization of operations is at varying stages of progress with regard to other major SCARDBs.

The LT Structure has done commendable work in speeding up capital formation in agriculture. The performance of ARDBs, however, started declining since the latter part of 90s mainly due to inherent deficiencies associated with their design as non-resource based

specialized term lending agencies, severely restricting their ability to meet the financial service needs of members adequately in competition with other rural financial institutions.

These deficiencies, coupled with impairments and infirmities in key areas of their working due to factors internal as well as external to the system resulted in drastic deterioration of the financial health and viability of these institutions during the last 10 years or so.

Loan recovery in the sector has been badly affected after the announcement of ADWDR Scheme in February 2008. Frequent natural calamities affecting crops, govt interferences in the recovery process have also contributed to the trend of increasing overdues and NPAs. Though loan recovery registered substantial improvement in the last two years, most of the banks are yet to reach a zone of comfortable level.

Governance at State and Primary level ARDBs are impaired by a host of factors. Lack of autonomy and operational freedom, absence of elected board in majority of institutions, appointment of CEOs by Government without proper selection process, frequent change of CEOs, lack of professionals in various operational disciplines, inadequate training & HRD efforts, Government interferences in the management of the banks etc. are the major factors, responsible for poor governance.

In spite of these deficiencies, the structure continues to be relevant and needs to be revived to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure, involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self reliant autonomous member driven organizations, capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment, with focus on capital formation in agriculture.

III. DEVELOPMENTS DURING 2010-11 - HIGHLIGHTS

Golden Jubilee Year

The Federation which was registered on 6 October 1960 completed 50 years on 6 October 2010. Federation in its multi farious roles of advocacy, lobbying, advisory, consultancy and spokesmanship for long term cooperative credit structure had successes and disappointments and witnessed phases of ups and downs in the performance of the sector as a whole as well as member banks during this period. The Federation completed 50th year of existence at a most challenging time for itself and member SCARDBs. The occasion also coincided positive signals from Govt regarding implementation of a revival package based on

recommendations of Vaidyanathan Task Force II and increased awareness among SCARDBs about the need for enhanced performance in resource mobilisation, lending and recovery supported by skilled staff and technology. The Federation in the above context dedicated its Golden Jubilee Year for stepping up ongoing efforts to prepare the structure to meet these challenges effectively.

Revitalization Package for Cooperative Long Term Credit Structure

Background

The announcement in the Union Budget 2008-09 to implement a revival package for institutions in the LTCCS based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force II marks an important phase in the campaign undertaken by the sector for the intervention of the Government to strengthen the structure. The important events in the decade long efforts by the Federation towards this end are listed below:-

- Meeting of representatives of NCARDB Federation and National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB) with Shri Yashwant Sinha, Union Finance Minister on 21 March 1999 regarding recapitalization of institutions in the cooperative rural credit structure.
- Appointment of high level Task Force by Govt of India to suggest measures to strengthen the cooperative credit structure under the chairmanship of Shri Jagdish Capoor, Deputy Governor, Reserve Bank of India in April 1999.
- Seminar organized by the Federation on Structural Reforms in ARDBs from 16-18 August 1999 in Kathmandu, which was attended by Shri Jagdish Capoor and Shri Y.C. Nanda, Chairman and Member of the Task Force respectively, as main speakers.
- Meeting of representatives of the Federation with Shri Balasaheb Vikhe Patil, Union Minister of State for Finance on 21 January 2000 regarding the need for one time budgetary support for cleansing the balance sheets of ARDBs.
- Second meeting with Shri Balasaheb Vikhe Patil, Minister of State for Finance on 27 January 2000 to make a presentation on 'case for one time support for cleansing the balance sheets of ARDBs'.
- Sending messages to Prime Minister on 10 February 2000 by fax/telegram by all units in the structure demanding recapitalization.
- Joint press meeting by Chairman NCARDBF and Chairman NAFSCOB on 10 February 2000 in Delhi on the issue of recapitalization for cooperative credit structure.

- Constitution of Parliamentarians Forum for cooperatives in the 13th Lok Sabha with Shri Yerran Naidu, MP as Convenor.
- First Meeting of the Parliamentarians Forum on 2 March 2000 in New Delhi which decided to take up with the Govt the need to provide one time support to institutions in the cooperative credit structure for cleansing their balance sheets.
- Meeting of Chairmen of NCARDBF and NAFSCOB with Prime Minister along with Shri Yerran Naidu, MP on 3 March 2000 to apprise the decisions of the meeting of Parliamentarians Forum held on 2 March 2000.
- Meeting of Parliamentarians Forum organized by the Federation on 15 May 2000 in New Delhi. This meeting was attended by Shri C.M.G. Balayogi, Speaker of Lok Sabha, Shri Yashwant Sinha, Union Finance Minister, Shri Suresh Prabhu, Union Minister for Chemicals, Shri Balasaheb Vikhe Patil, Minister of State for Finance, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Minister of State for Agriculture apart from Parliamentarians across political parties from both Houses of Parliament.
- Submission of report by Jagdish Capoor Task Force in July 2000 recommending a revitalization package for cooperative rural credit institutions with financial support from Govt of India, State Govts and the members of the cooperatives.
- Consultation Meet convened by Govt of India in December 2000 regarding implementation of the report of Jagdish Capoor Task Force. Consensus on sharing pattern of financial support between Centre and State Govts was not reached in the meeting.
- Chief Ministers' Conference on 25 August 2001 regarding implementation of report of the Task Force headed by Shri Jagdish Capoor which resulted in the appointment of Joint Committee of Ministers under the chairmanship of Shri Balasaheb Vikhe Patil to make recommendations on issues on which consensus could not be reached in the Chief Ministers' Conference.
- Submission of the report of Joint Committee of Ministers in December 2001 recommending a sharing pattern on revitalization assistance of 60:40 by Central and State Govts. The Committee also recommended that the process of licensing strong SCARDBs to function as fullfledged banks should be expedited.
- Federation organized National Seminar on Challenges and Opportunities before ARDBs on 18 December 2001 in Chandigarh.
- The National Seminar on Challenges and Opportunities was followed by four Zonal Seminars on Challenges and Opportunities before ARDBs for east zone at Calcutta on

13-14 April 2002, for north zone at Delhi on 20-21 April 2002, for south zone at Bangalore on 29-30 April 2002 and for west zone at Pune on 6-7 May 2002.

- Appointment of a Working Group by RBI in May 2002 for conversion of ARDBs into fullfledged banks under the chairmanship of Shri P.B. Mathur, Executive Director. The Working Group was later on reconstituted under the chairpersonship of Mrs. Usha Thorat, Executive Director. The Working Group, however, abandoned its work without submitting a report.
- Announcement of revitalization package in the Union Budget 2002-03 with a token allocation of Rs.100 crores. However, the announcement was not followed up by the Govt by circulating the Scheme to State Govts and constituting the National level Coordination Committee as envisaged in the Scheme.
- Assurance in the National Common Minimum Programme of UPA Government, to nurse the rural cooperative credit system back to health and appointment of Vaidyanathan Task force in 2005 marked fresh initiative in the direction of reviving cooperative credit system.
- However, the Vaidyanathan Task force decided to exclude long term cooperative credit structure from their recommendations and confine their deliberations to short term credit structure taking a view that the nature of issues involved in the long term credit structure is different and also that the time given to the Task Force was not sufficient to address the issues in both the structures.
- As a result of persistent efforts by the Federation, the Government appointed the same Task Force in January 2005 after they submitted their report on short term credit structure, to suggest a revival package for long term credit structure.
- However, the original terms of reference of the Task Force on revival of long term credit structure did not include 'suggesting an implementable action plan for revival and the assessment of financial assistance that may be required for revival' which were the central terms of reference of the earlier Task Force which confined their recommendations to short term credit structure.
- The Federation took up with the Government the need to modify the terms of reference on the lines of those assigned to the earlier Task Force.
- The Federation also decided to disassociate with the Task Force till its terms of reference were modified consistent with the objective for which it was set up.
- Subsequently, the Government vide order dt. 25 April 2005 included the additional

terms of reference of “recommending an implementable action plan for reviving ARDBs engaged in long term lending for agriculture and rural development and make an assessment of the financial assistance required for such revival, its mode, sharing pattern and phasing”.

- The Task Force submitted its report to Government in August 2006. The Task Force recommended a financial package to wipe off accumulated losses and to provide technical assistance in the areas of computerization and training with an outlay of Rs.4839 crores. The Task Force also recommended wide ranging legal and policy reforms for institutional and functional restructuring of ARDBs.
- The Federation was expecting Central Govt to finalise a revival package in consultation with State Govts as was done in the case of short term credit structure. However, Govt did not take any action on the report for nearly 15 months since it was submitted in August 2006. Lack of response to the recommendations of the Task Force by State Govts was cited as the reason for the delay in taking action on the report by the Central Govt. It was informed that though the report of the Task Force was circulated to the State Govts for their remarks in September 2006, by end of April 2007 only a couple of States responded to the recommendations.
- The Federation had written to the States on 4 November 2006 with itemwise remarks on the recommendations of the Task Force as finalized by the Board with a request to send their response on the report to the Central Govt at the earliest. The matter was followed up through Chairman's communication to Ministers of Cooperation in January 2007. The SCARDBs were also continuously interacting with the State Govts on this matter.
- The representatives of the Federation met Shri Sharad Pawar, Union Minister for Agriculture on 24 April 2007 and Shri Vinod Rai, Secretary (Financial Sector) on 8 May 2007 as advised by Finance Minister regarding early finalization of the revival package. The Federation has also suggested to Ministry of Finance to convene a meeting of State Govts to obtain their views on the report as was done in the case of Task Force Report relating to the short term credit structure.
- The Government of India, Ministry of Finance convened a meeting of the Finance/Cooperation Ministers of States on 10 October 2007 in New Delhi to consider the recommendations of Vaidyanathan Task Force II on Revival of Long Term Cooperative Credit Structure. The meeting reached broad consensus on implementing a revival package comprising of recapitalization and structural reforms for institutions in the LTCCS. The meeting was attended by the representatives of all the 20 States

having long term cooperative credit structure. The States unanimously endorsed the Task Force recommendations for implementing a revival package for LTCCS. States also have made the following suggestions relating to some of the recommendations of the Task Force:-

- (i) Eligibility criteria for selection of PCARDBs/branches of SCARDBs for revival support should be modified so as to include all branches/PCARDBs with recovery more than 30% in the revival scheme.
- (ii) Norms should be evolved for conversion of ARDBs into fullfledged banking institutions.
- (iii) Conversion of branches of SCARDBs into PCARDBs should not be insisted as a pre condition for revival support. This can be included in the memorandum of understanding for implementation within a period of five years.
- (iv) PCARDBs should not be given unrestricted freedom to borrow from any agency and to affiliate or deaffiliate with a structure of their choice.
- (v) The recommendation of the Task Force that NABARD Act should be amended to allow NABARD to provide refinance to PCARDBs either directly or indirectly through financial institutions other than SCARDBs should not be implemented.
- (vi) The States should be allowed to retain equity upto 25% of total equity in the institutions in the LTCCS with provision for one government nominee in their board and to convert State equity in excess of 25% into a grant as envisaged in the scheme for short term credit structure.

Package for revival of LTCCS as approved by Union Cabinet in February 2009

The Union Cabinet cleared the Revival Package for LTCCS on 26 February 2009. The package aims at reviving the LTCCS and making it well managed, member centric and vibrant. Financial assistance to bring PCARDBs and SCARDBs to an acceptable level of financial health, introducing legal and institutional reforms to facilitate PCARDBs and SCARDBs to function as autonomous member centric institutions and steps to improve governance in these institutions are the three main components of the package. The package includes a special provision for funding the overdues under pre 1997 farm sector loans issued by the LTCCS which were not covered under the ADWDR Scheme 2008.

Financial package

- Funding accumulated losses of PCARDBs and SCARDBs upto 31.3.2008.
- ARDBs will also be given the overdues upto 31.3.2008 under loans issued before 31.3.1997 which remain uncollected till the announcement of the package as below:-
 - 100% in respect of small farmers and medium farmers.
 - 25% in respect of other farmers.
 - Banks have to collect the balance 75% in respect of other farmers.
- Additional funds required if any after providing accumulated losses for reaching 7% CRAR shall also be given.
- Approximate outlay of the package is estimated at Rs.3070 crores. However, the exact amount of losses will be assessed in the special audit to be carried out under guidelines being issued by NABARD.
- Government of India will also meet the cost of computerization of accounting system, human resources development and special audit.
- State Govts should enter into MoU with Government of India and NABARD before 30.9.2010.
- The share of State Govts in the package shall be as below:-
 - 20% of overdues under pre 1997 loans.
 - One third of accumulated losses in loan business other than direct agricultural.
 - Existing dues if any payable to the banks under debt waivers or interest subsidy schemes etc announced by the State govt.
 - The institutions have to bear 1/3rd of losses under loan business other than direct agricultural and amount involved in frauds, embezzlements etc.
- Accumulated losses of the entire structure will be covered in the package irrespective of eligibility of PCARDBs to receive the assistance directly.
- Accumulated losses of ineligible PCARDBs will be given to SCARDBs after winding up of such PCARDBs.

Eligibility to receive support

- PCARDBs/unitary SCARDBs with recovery of 50% or more as on 30.6.2008 will receive capitalization in full.
- Those in the range of 30-50% recovery will receive 1/3rd of capitalization assistance on

improvement of 10% from the position as on 30.6.2008. Such units will receive half of this amount if they improve recovery by 5% by 30.6.2009. The balance amount will be given after reaching 50% on any year upto 30.6.2011 which can be extended upto 30.6.2012 by the National Implementing and Monitoring Committee (NIMC).

- Any unit with recovery less than 30% as on 30.6.2008 will also become eligible to receive assistance if they reach 50% recovery in any year till 30.6.2011 which also may be extended by one year by the NIMC.
- Any PCARDB which failed to become eligible by 30.6.2011 or 30.6.2012 will have to be wound up or merged with another PCARDB.
- The eligibility criteria for unitary SCARDBs will be similar to that of PCARDBs. Accordingly, they will have to achieve 50% recovery latest by June 2012 to receive assistance.
- Ineligible PCARDBs or unitary SCARDBs will have to be wound up unless State Govts provide them the shortfall in recovery to reach 50% as a grant.
- State Govts should give an undertaking to convert unitary SCARDBs into federal structure within 5 years from the date of acceptance of the package.
- The average yearly business transactions of SCARDBs should be at least 10% of its balance sheet size in the three years ending 31.3.2008. However, NIMC will have the discretion to relax this condition. The State Govt in such cases will propose concrete measures and action plan for improving the business of such units and also may infuse funds to notionally improve the recovery.
- The revival package would not be applicable to ARDBs under liquidation on the cut off date of 31.3.2008.

Legal and institutional reforms

- The financial assistance will be subject to fulfillment of legal and institutional reforms and other conditionalities of the package such as
 - Full membership rights to all users including depositors.
 - Removing State intervention in financial and administrative matters including decisions on operational areas such as borrowing and investment relationships with other financial institutions, staff matters including appointment of CEO etc. The CEO of SCARDB will have to conform to the fit and proper criteria prescribed by RBI or NABARD.

- A cap of 25% on State Govt equity with maximum one director in the SCARDB with State Govt equity and one director in the PCARDB with State Govt equity.
- State Govt or ARDB wishing to reduce the State equity would be free to do so.
- There shall be no restrictive orders limiting the operational and financial autonomy of ARDBs.
- SCARDBs and PCARDBs should have autonomy to make independent borrowing/credit related decisions through a range of alternative financial instruments.
- Long term cooperative credit structure may concentrate on providing investment credit in the agriculture sector but based on necessity and past experience may provide short term loans or crop loans to its members.
- PCARDBs should be free to convert themselves with other cooperative federal structures and transact business with them, commercial banks or RRBs, irrespective of their membership in the SCARDB.
- SCARDBs should also be free to access resources from the SCB or other banks by becoming its share holder member, if necessary.
- Limiting powers of State Govts to supersede boards only under specific conditions prescribed on par with STCCS package.
- Ensuring timely elections before expiry of term of the existing boards.
- Maximum six months time may be given to ensure timely elections in case of boards of ARDBs which have been superseded.
- Adoption of prudential norms including CRAR as and when suggested by NABARD.
- Ensuring audit of SCARDBs by chartered accountants from the panel to be approved by NABARD.
- The State Govts should bring in all the amendments through an ordinance or through the legislative process.
- SCARDBs to be allowed to mobilize a variety of deposits from the public.
- NABARD to prescribe terms and conditions which must be fulfilled by ARDBs before accepting or continue to accept deposits of any form from the public.
- NABARD would further examine the terms and conditions on which SCARDBs accessing public deposits could be brought within the scope of a deposit protection scheme.
- Any financial institution including NABARD should be free to provide resources to

an ARDB in any tier directly or indirectly through any financial institution regulated by RBI or a federal cooperative using alternative financial instruments and on its own terms and conditions without necessarily resorting to State Govt guarantee.

Governance

- To facilitate professional and prudent governance in SCARDBs the fit and proper criteria prescribed by RBI from time to time for elections and professionalisation of boards of cooperative banks in the STCCS would be adopted for the boards of SCARDBs as well.
- Amendments will be carried out in the NABARD Act as well as relevant State Acts to empower NABARD to inspect SCARDBs which are permitted to accept public deposits.
- On signing MoU, grants will be released for conduct of special audit, HRD initiatives and installation of computerized accounting system.

Release of financial assistance

- On Act amendment through ordinance or legislative process, 75% of Govt of India share of funding accumulated losses will be given. After elections to the board and induction of professionals in the board under the amended provisions of the Act, the balance 25% of GOI's share of funding accumulated losses will be disbursed.

Implementation mechanism

- NABARD will be the principal implementing agency. National, State and District level Implementing and Monitoring Committees will guide and monitor implementation. The representatives of LTCCS to be nominated to existing committees for STCCS package at the State level.

PRESENT STATUS

Even though the final package was approved by Union Cabinet in February 2009, Government of India did not take further action for implementing the same. In our meeting with officials of Ministry of Finance, it was informed that the scheme would be circulated to the State Govts for implementation immediately after general elections. In the meantime, Ministry of Finance had convened a meeting of representatives of select states to finalise the MoU format. However, there were no further initiatives on the part of Ministry of Finance to

implement the scheme even after elections were over. The Federation had taken up the issue of undue delay in implementing the package even after approval by the Cabinet in the meeting of its representatives with Shri Pranab Mukherjee, Union Finance Minister for Finance on 4 August 2009. Subsequently, the Ministry of Finance had set up a Task Force under the chairmanship of Additional Secretary (FS) with representatives of NABARD, RBI, Ministry of Agriculture and representatives of some of the States to examine the need for implementing a revival package for LTCCS in the context of implementation of ADWDR Scheme 2008. A delegation from the Federation met Principal Secretary to Prime Minister on 17.12.2009 to inform the concern of the sector over the move to stop implementation of revival package by constituting one more Task Force to review the scheme which was already approved by the Cabinet. The Federation had also approached State Govts for their interventions in the matter. The representatives of State Govts had strongly advocated for reviving the structure in the final meeting of the Task Force held on 5 January 2010. The Task Force headed by Shri G.C. Chaturvedi submitted its report to Govt in February 2010 favouring early implementation of the package for reviving LTCCS which was already finalized in consultation with State Govts with a revised outlay in view of the impact of ADWDR Scheme on the financial position of institutions in the structure.

The Ministry of Finance in the meeting with representatives of NABARD, Federation and others held on 19 May 2010 informed that the revival package would be finalized soon based on the recommendations of Chaturvedi Task Force. However, the finalized scheme is yet to receive cabinet approval. The representatives of the Federation again met Finance Minister, Minister of State for Finance and Principal Secretary to Prime Minister during the year to expedite the scheme. In the meantime, the Ministry through NABARD had sought relevant information for reworking out the outlay based on a nearer to current cut-off date of 31.3.2010, for recapitalisation. The Zonal Seminars on Preparedness of ARDBs for Revival which was attended by over 1000 delegates representing apexes and primaries in the structure throughout the country expressed concern over the continuing delay in implementing the package resulting in further weakening of the structure and deepening the credit crisis faced by over 2 crore farmer members in it.

Zonal Seminars on Preparedness of ARDBs for Revival

Introduction

Vaidyanathan Task Force II in its final report submitted to Govt in August 2006, recommended a package of measures to revive Long Term Cooperative Credit Structure

(LTCCS). Govt of India, in February 2008 had approved a revival scheme based on the recommendations of the Task Force. Subsequently, it was decided to modify that scheme in the light of the implementation of Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008. The modified package to revive institutions in the LTCCS is expected to be announced by the Govt shortly. The proposed package comprises of one time financial support for recapitalization as well as reforms involving a shift in the traditional business model of ARDBs as a financial intermediary offering just a single product and their transformation into self-reliant autonomous institutions capable of meeting the credit needs of rural sector adequately.

The Federation on the above background organized 4 Zonal Seminars on 'Preparedness of ARDBs for Revival' during January-February 2011. The dates and venues of the Seminars were as below:-

- [1] 8-9 January 2011 at Kolkata (East and North East Zone covering West Bengal, Chhattisgarh, Orissa, Bihar, Tripura, Assam & Meghalaya)
- [2] 23-24 January 2011 at Ahmedabad (Central & West Zone covering Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa, Gujarat & Rajasthan)
- [3] 1-2 February 2011 at Chandigarh (North Zone covering Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Delhi and Jammu & Kashmir)
- [4] 10-11 February 2011 at Thiruvananthapuram (South Zone covering Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Pondicherry & Andhra Pradesh)

Zonal Seminars focused on actions required to be initiated by SCARDBs and PCARDBs to address their present challenges in the areas of loan recovery, resource mobilisation and business development for preparing themselves for revival.

The Seminars had a common format. Theme papers for the Seminars were contributed by NCARDB Federation and NABARD. Papers on various sub themes were contributed by NCUI, NCDC as well as Shri P.V.A. Rama Rao, Ex-Managing Director, NABARD and Shri Nawal Kishore, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB and Dr. Ushakumari. Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman of NABARD anchored deliberations in all the four seminars. Dr. K.G. Karmakar, Managing Director, NABARD delivered the key note address at Kolkata and Executive Directors of NABARD Shri Amaresh Kumar and Dr. A.K. Bandopadhyay addressed the Seminars in other places. The Seminars were also addressed by Secretaries (Coopn) and Registrars of Cooperative Societies of various States giving valuable inputs for its final outcome. More than 1000 delegates from SCARDBs and PCARDBs attended these Seminars.

Dr. Asim Das Gupta, Minister for Finance, West Bengal; Shri Dilipbhai Sanghani, Minister for Cooperation, Gujarat; Shri Jagdeep Singh Nakai, Chief Parliamentary Secretary (Coopn), Punjab and Shri G. Sudhakaran, Minister for Cooperation, Kerala, inaugurated the Seminars at Kolkata, Ahmedabad, Chandigarh and Thiruvananthapuram, respectively.

Recommendations

The recommendations of the Seminars in four zones had striking similarities in terms of approach to core issues. The recommendations of these seminars, which are consolidated themewise and categorized on the basis of agencies to which it relate are presented below:-

The Zonal Seminars principally considered actions that should be initiated by ARDBs to enhance their preparedness for revival to a managerially sound, organizationally efficient and operationally vibrant structure. Given the last opportunity for revival with financial assistance from Govt under the proposed VC-2 package, it is essential for all the stakeholders to join hands in the prime task of structural re-engineering of the system with shared commitment and shared sense of urgency and priority. Accordingly, there were also suggestions to realign the legal and policy environment and other support systems to be facilitated by the Central and State Governments as well as RBI and NABARD.

(A) RECOMMENDATIONS RELATING TO SCARDBs & PCARDBs

I. Business Expansion & Diversification

1. Accelerating farm investments is vital for achieving and sustaining the required growth rate of agriculture sector. ARDBs, in this context, need to widen and deepen their traditional function of financing capital formation in agriculture.
2. There has been a sharp decline in ARDBs' share in the credit flow to agriculture in various states, to less than 1% from over 25% during 80s and 90s, leading to drastic reduction in availability of credit to small and marginal farmers, especially for asset creation and improving farm productivity. ARDBs, therefore, should take steps to increase their share in the total credit disbursements in agriculture in each state to address credit crisis faced by small and marginal farmers.
3. Farmers need a package of credit services including Long Term and Short term, for a variety of purposes relating to farm as well as non-farm activities in a one-stop shopping. Inability of ARDBs to provide short term loans is a serious constraint in their functioning. ARDBs, therefore, need to develop a range of short term and long term loan products to meet the varied credit needs of its members.

4. It is observed that generally farm incomes are not sufficient to sustain small and marginal farmers. Banks, therefore, should consider overall viability while financing small and marginal farmers as well as weaker sections since they are not generally viable unless some other subsidiary farm/off-farm/non-farm activities/ occupations are also financed.
5. Issue of Gold Loans by ARDBs has proved to be a successful activity in all respects as demonstrated by some banks in the southern states, which can be emulated by others too.
6. Introduction of short term loan products should be given high priority in the business development plans of ARDBs for the following reasons:
 - To provide working capital/production credit to facilitate optimum use of assets created out of investment credit.
 - To end the dependence of members on informal sources for short term credit. (multiple sources)
 - To secure for themselves viable business levels (ARDBs).
 - To increase frequency of contacts with the borrower, which is found necessary for improving loan recovery.
7. Majority of institutions in LTCCS are operating at business levels, which are grossly inadequate to meet their management and risk costs. Banks on a priority basis should strive to reach viable business levels within a period of 3-5 years.
8. The Business Development Plans of ARDBs should focus on farm investment, especially in Minor Irrigation/Micro Irrigation system to help reaching the targeted growth rate of 4% pa for securing sustainable food security to the nation and livelihood to the farmers.
9. ARDBs should issue crop loans with refinance from NABARD and extend Cash Credit facility to Long term borrowers based on repaying capacity and existing security.
10. ARDBs should issue Kisan Credit Cards to all their members to streamline the process of purveying credit for on-farm and off-farm activities.
11. BDPs of ARDBs should factor in the priorities set by state governments in the State Agricultural Development Plans and the state credit plans, with the cooperation and guidance of NABARD.
12. ARDBs need to pursue group approach (ie SHG / JLGs especially in financing poorer sections ie. lessees/tenant farmers/agricultural labourers and tribal farmers).
13. Technology application in Agriculture takes place through investments and asset creation. ARDBs, being specialized agencies for farm credit for investments, should facilitate transfer of technology from research stations to farms with the help of NABARD

and its Farmers Clubs, as also the Research Stations / Agricultural Universities and extension departments.

14. In the mutual interest, ARDBS need to build up with their ST counterparts at each level, coordination but not conflict, with ST wing:
- Financially (joint financing of projects, giving priority to each other in investing surplus funds)
 - Management wise (Common Directors at Board level)
 - Operationally (shared expertise), and
 - Organizationally (shared infrastructure and other facilities).

II. Non-Fund Business

15. ARDBs should explore the avenues for generating additional revenue from non-fund based business like,
- (i) Provision of fee-based services (eg. issue of guarantees, collection of out- station bills, money transfers, lockers, and agency business besides ITE-products like payment of utility bills, railway / air travel ticketing and information centres, etc).
 - (ii) A package deal with insurance companies - Bank can also cover their entire group of borrowers, for life and accident risk at a reasonable premium. This has twin advantages . Certain Banks have taken a lead already in this.
 - Outstanding balance is secured by Insurance, and
 - Get the benefit of financial margins in cross selling of the products and
 - (iii) “Business Correspondent and Facilitator model” - Banks and its Primaries may tie-up with indigenous corporates, MNCs and CBs for providing out-sourcing support for appraising, supervising and monitoring of their portfolios. (Activities at the Primaries being seasonal, existing staff can be utilised for this purpose along side their recovery drive).

III. Business Innovation

16. As part of BDP, some of the innovative and rewarding business in terms of income generation to the banks which are not only desirable but also necessary in the competitive market that can be explored (of course, selectively and cautiously to start with) are :

- (i) Side by side with traditional small loans, enter in to BIG TICKET loans in Commercial agriculture to secure cross subsidisation. (eg. Financing the farmers (individuals or SHGs-JLGs) linked to agro processing and export units under floriculture, fruit processing and sea foods exports etc.).
- (ii) PPPP-Public, Private and Panchayat Partnership for Inclusive Growth thro' Inclusive Governance is emerging as a vibrant delivery mode for rural investments, ARDBs should take an aggressive role to participate in this SPV for mutual benefit at the participants level and for Growth with Equity at national level. (this is the emerging Social Responsibility of both the corporates as well as the cooperatives).

IV. Resources for Lending

17. Deposit Mobilisation

- Business Development Plans of ARDBs cannot be executed effectively without raising substantial own resources through deposits. Acceptance of Deposit is an essential function of a credit cooperative and also an important tool for Financial Inclusion. ARDBs should, therefore, mobilise members' deposits aggressively by adopting innovative practices.
- Deposit Mobilisation Programme of ARDBs should take into account the following aspects:
 - Developing a range of deposit products to suit the needs of different sections of depositors.
 - Target members' deposits which are outside the regularity framework of RBI/NABARD.
 - It should be made obligatory on the part of every borrowing member to open and maintain a thrift deposit account with the ARDB (branch/primary bank).
 - To invest 50% of deposits in securities and bank deposits and deploy balance 50% in short term credit products, as a prudent business practice
 - Deposits collected by PCARDBs to be passed on to SCARDBs for proper management and deployment of funds with adequate compensation
 - Initiate aggressive Publicity to deposit schemes, modernization of buildings and computerization of deposit accounts.
 - Making use of NABARD's support from Cooperative Development Fund for modernization of building, construction of cash counters etc.
 - Marketing of deposit products through innovative schemes like giving prizes such as, cars, motorcycles, refrigerators, T.Vs etc. to new depositors through lucky draw on a

quarterly basis by retaining a small portion of interest on deposits which can be used for this purpose.

- Primaries should endeavour to expand membership base and encourage members to avail of the financial facilities.

18. Refinance from NABARD

- Share of NABARD refinance to SCARDBs declined from 47% (1981) to 22% (2010), current outstanding support being Rs.16,000 crore. ARDBs should strive to step up availment of refinance from NABARD for augmenting investment credit support to farmers and coverage of rural families.

19. Line of credit from NCDC

- SCARDBs in all states should make use of the line of credit extended by NCDC by introducing suitable short term products including general Cash Credit to LT borrowers.

20. Borrowings from other agencies

- ARDBs should, with the support and guidance from NABARD, go for credit rating from accredited rating agencies to secure funding support from Commercial banks and other agencies without government guarantee.
- Federation should simultaneously initiate steps to set up, with the support and guidance from NABARD, a dedicated rating agency for ARDBs in collaboration with CRISIL or similar agencies.

V. Loan Recovery

21. ARDBs are required to achieve substantial improvement in loan recovery within a short period for making majority of units eligible for support under revival package as well as to attain sustainable viability.
22. The following practices/systems which are found effective in improving recovery may be adopted by banks as part of recovery strategies.
 - Repayment instalments to be collected on monthly basis.
 - Shorter loan period for faster recycling of funds and redemption of loan liability during early years of the project when returns are high.

- Continued financial support to the borrowers by way of short term loans/Cash Credit support etc.
- Recognition/incentives to prompt repayers.
- Linking benefits of staff to recovery performance/realized net margins of branch/PCARDBs.
- A separate appraisal of repayment/default risk profile of the borrowers.
- Flat interest rates instead of calculating interest on diminishing balance to make interest rates attractive especially for loans issued for shorter duration.
- Banks to pursue legal recovery measures in all cases of willful defaults where loan accounts remain overdue for more than 2 years.

23. Among other policy initiatives for ensuring better recycling of funds, the more important to be operationalised are :

The most important constraint in effecting recovery is the difficulty to enforce the security of agricultural lands. To overcome this problem , state farming corporations (or similar state corporations) may be entrusted with taking over lands put up for sale . This will quicken the process of recovery by enforcing security at reasonable price. (This is already in vogue in some states.)

- Alternatively, appropriate AMCs may be identified or set up in each state to deal with the transfer of security.
- Alongside, banks, with the help of NABARD and SEBI, and under the leadership of Federation, develop a Secondary market for trading in mortgage securities.

24. A strategic plan for recovery of loans and reduction of NPAs should be drawn up, enlisting support and cooperation of Directors, followed by an objective and constructive review at Board level in each of its meetings. (ie Such reviews should be based on loan defaults (area-wise / sector-wise) and case-by-case analysis of chronic defaulters).

25. In order to reduce imbalance, SCARDBs in federal structure whose aggregate amount of demand with PCARDBs is substantially more than that of PCARDBs with members as well as its annual repayment liabilities to creditors, should reschedule arrear demands with PCARDBs over a period of 5 to 7 years.

VI. Interest Rate Policy

26. ARDBs need to price their loan products taking into account their entire costs i.e., financial, transaction and risk costs and in keeping with the competitive market forces.
27. Even though banks in many states are paying guarantee fees to the Government on yearly basis, the same is not factored in their interest rates on loans, resulting in financial losses. Banks need to include guarantee fee in their lending rate or by way of separate add-on cost to processing or other charges.
28. Even though NABARD revises rates of interest on refinance prospectively, its effect on ARDBs falls retrospectively as the revised rates apply to refinance against loans issued before such revisions. Since the impact of such difference in the cost of refinance extend to a long period, banks should include a specific provision in the loan agreement to facilitate periodical revision of lending rate in the event of change in their cost of funds at the time of availing refinance.
29. While NABARD is charging interest on interest defaulted by ARDBs at the same rate, most of the ARDBs are still not charging interest on interest payments defaulted by their borrowers. RBI has also permitted banks to collect interest on overdue interest at the original lending rate. ARDBs, therefore, should charge interest at the same rate on the entire defaulted instalments including interest portion for the period of default to avoid losses.

VII. HRD and Training

30. Post financial sector reforms and market orientation, cooperatives have to become more efficient, vibrant and cost-effective, leveraging technology to reinvent themselves. This calls for a revisit to the skill development /training support in the areas of

Governance (for Board Members)

It should cover reinventing coop values/ethos, business principles and repayment ethics. Crash training programmes should be organized by ARDBs in collaboration with NABARD for all elected Directors of SCARDBs and other tiers, which should be made mandatory for first time Directors.

Professional Management(for executives and staff)

It was strongly recommended that HRD plans and initiatives should be in synch with business expansion and diversification plans of SCARDBs and PCARDBs so that adequate business levels are restored to avoid idling of staff and facilitate their lateral and vertical movements within the organization. The programs may be structured in 2 tiers. One for general skills and the other for specialized skills for core staff in areas like BDP, Resource Management, Recovery management and technology etc

and

Member/ Borrower education (on coop. values ethics)

Building up awareness on new imperatives of coop. values and corporate business principles amongst the Members at primary level so as to build up the Primaries as Member centric and member driven autonomous democratic institutions with effective participation of members in the management of the societies.

31. For effective coordination in imparting training, there should be a Coordination Committee involving all major players

(Particularly NCCT and Federation) under the leadership of NABARD to Design, Implement, Monitor and Evaluate (DIME)

The above Committee should also prepare uniform course material, case studies, Sector papers, model schemes. operation manuals etc . and develop pools of resource faculty for common use (skillful and cost effective)

32. Training needs of individual employee should be assessed realistically as part of annual performance appraisal of employees and appropriate Training programs organized internally or externally.
33. HRD is a major challenge in the process of reviving LTCCS. Ageing staff, low level of professionalization, lack of promotion avenues and stagnation leading to low morale, absence of fresh recruitments for a long time in most of the institutions, inadequate training and skill upgradation etc were pointed out as the main deficiencies in HR. NABARD may be requested to prepare HRD Manual for ARDBs as it has done in the case of RRBs and ST Coops.
34. Fresh recruitment of quality staff is required in almost all banks simultaneous with business expansion / diversification and deposit mobilisation initiatives, through a

proper recruitment system. Campus recruitment from reputed institutions was recommended as a desirable method to recruit quality staff as it involves minimum cost and lead time.

35. There is an urgent need in every SCARDB to appoint, laterally or otherwise, a few professionals in the H.O (or its major branches), to assume responsibilities in the areas of deposit mobilisation and short term lending or lending to new areas/segments, and to support the top management in corporate planning and governance.
36. Banks should promote self training by staff, by providing incentives in the form of additional increments for acquiring qualifications like, CAIIB/Certificate Courses for Cooperative Bank's staff offered by Indian Institute of Banking and Finance.
37. Banks should make adequate allocation of funds for training of staff in their budget, which should be not less than 5% of its management cost.

VIII. Restructure/Reorganisation of PCARDBs and Branches of SCARDBs

38. In their present organizational form and with low business levels and poor working results, PCARDBs cannot achieve the goals of provision of timely, adequate and right credit for their members, securing for themselves sustainable viability

Broadly any re-designing and re-engineering exercise should address, among other things, the stipulated prudential standards prescribed by RBI / NABARD and benchmark performance laid down in the VCR-2.

- Non-Viable units have to exit thro M&A or liquidation in extreme cases.
- Potentially Viable may be given specific time frame to attain sustainable Viability by implementing re-oriented DAPs, post VCR-2

Viable Units should re-orient their business modules, along side attaining all the benchmarks set under VCR-2 (i.e. Governance, HRD and financial sustainability).

39. In the above restructured model, the Regional Offices of the Apex Bank could also be converged into 3 or 4 Divisional or Zonal Offices of the Apex Bank covering 6 to 8 DLPBs.
 - They exercise decentralized powers for effective supervision of Primary banks.
 - Surplus staff arising from this could suitably be re-deployed

40. AP and Karnataka have drawn up such exhaustive plans based on the recommendations of an expert committee. Such committees may be set up in other states too.

(B) RECOMMENDATIONS RELATING TO NABARD

41. NABARD is the sole source of lendable funds and investment credit with its refinance support is the only business for most of the institutions in LTCCS. There has been a sharp decline in the business levels of these institutions in the last five years due to reduced allocation of refinance by NABARD. The yearly allocation of refinance given by NABARD to SCARDBs is generally less than the repayment they make to NABARD in the last few years. NABARD, therefore, should give priority to ARDBs in refinance allocation, (by ensuring that yearly allocations to SCARDBs do not fall short of its yearly repayment to NABARD).
42. As per existing norms of NABARD, only those SCARDBs with recovery more than 70% are eligible for enhanced refinance allocation over the previous year. At a time when there has been a huge set back to loan recovery due to implementation of debt waiver scheme, very few banks are able to cross the above benchmark for higher refinance eligibility. NABARD needs to review its refinance policy with regard to ARDBs in order to facilitate higher refinance allocation to SCARDBs which show improvement in loan recovery irrespective of any cut off level.
43. Even though NABARD is extending refinance to SCARDBs for giving crop loans to their members who availed investment credit, this facility could not be availed by SCARDBs in general in the absence of separate allocation of funds for the purpose. NABARD, therefore, should consider giving separate allocations to banks for issuing crop loans so that advancing of crop loans should not result in reduction in their programme under investment credit.
44. While Kisan Credit Card scheme has been extended to ARDBs, the scope of Kisan Credit Cards issued/being issued by ARDBs is highly restricted and limited to a few purposes for which refinance is available from NABARD. NABARD, therefore, should permit ARDBs to finance all agricultural related credit needs through Kisan Credit Card Scheme with its refinance and should provide adequate allocation of funds for the purpose.
45. NABARD should take urgent steps to extend the interest subvention for prompt repayment of crop loans given by Govt of India to crop loan borrowers of ARDBs also.

46. In view of the restrictions regarding the ceiling on total deposits and the tenure of fixed deposits laid down in the guidelines for mobilizing public deposits issued by NABARD in 1997, ARDBs are now taking deposits only from their members. NABARD should include the deposit mobilisation programme of ARDBs as an eligible item for support under the Financial Inclusion Fund since offering deposits product to members is an important aspect of financial inclusion.
47. NABARD should provide support to ARDBs for renovation/modernization of buildings, construction of cash counters etc from Cooperative Development Fund.
48. NABARD under its mandate of institutional development of cooperatives may institute a study on functional restructuring of ARDBs covering areas such as deposit mobilisation, business diversification and roadmap for conversion into fullfledged banking etc.
49. Many SCARDBs who are otherwise eligible for refinance are not able to avail the same for want of govt guarantee. State Govts are increasingly becoming unable to issue guarantee due to ceiling on total guarantees. NABARD in this context should consider other viable options to substitute the condition of govt guarantee for extending refinance to ARDBs. The Seminar felt that NABARD should provide funds to ARDBs on the basis of credit rating given by accredited rating agencies. The Seminar recommended that NABARD should take necessary steps to amend its Act to include a provision to facilitate this.
50. For providing refinance support to ARDBs, NABARD should consider switch over from debenture to loan system which is found advantageous for both NABARD as well as ARDBs.
51. The interest rates on refinance have undergone upward revisions several times during the last six months. NABARD is applying higher rate of interest on refinance even on refinance applications pending with it at the time of such revision. Since banks are unable to charge higher interest on related loans NABARD should not apply higher rate of interest on refinance claims already pending with it at the time of revision.
52. For effective coordination in imparting training, there should be a Coordination Committee involving all major players (particularly NCCT and Federation) under the leadership of NABARD to Design, Implement, Monitor and Evaluate (DIME) .
53. The above Committee should also prepare uniform course material, case studies, Sector papers, model schemes. operation manuals etc.

54. ARDBs should, with the support and guidance from NABARD, go for credit rating from accredited rating agencies to secure funding support from Commercial banks and other agencies without government guarantee.
55. Federation should simultaneously initiate steps to set up, with the support and guidance from NABARD, a dedicated rating agency for ARDBs in collaboration with CRISIL or similar agencies.
56. Besides providing guidelines and skill imparting to help ARDBs to adequately and effectively participate in the implementation of the following National Priority programs,
- a) A 2nd Green Revolution :
- To establish food security to the nation and sustainable livelihoods to the individual rural households (food production has to be stepped up from the present level of about 220 m mts to 250 m mts).
 - With focus for better management of irrigation facilities and bringing dry lands into cultivation (ONLY ALTERNATIVE TO SUSTAIN).
- b) Climate change and Environment protection :
- A serious global concern and a national compulsion
- for improving clean environment thro' conservation of natural resources like water, land and air and protection against their degradation. Waste lands Development, Watershed Development and Energy Security thro' Renewable Energy sources (eg. Bio Gas / mass), Bio Diversity.
 - for arresting carbon emissions and massive expansion of green BELTS. Banks have to aggressively participate(farm/social forestry etc)
57. NABARD would do well to subsidise establishing TME cells in all the SCARDBs with grants from its CDF and make them accountable for performance with rigid targets fixed for expansion and innovation, keeping in view the imperatives of IG thro' FI .

(C) RECOMMENDATIONS RELATING TO GOI

58. Early implementation of the package for revival of LTCCS

The delay in implementing the revival package for LTCCS which was announced by the Government in the budget for 2008-09 and finally approved by the Cabinet on 26 February 2009 results in loss of precious time to address the financial and institutional weaknesses of the structure and credit crisis faced by large segment of farmers mostly belonging to the category of small and marginal farmers. The Govt of India, therefore, is requested to take early steps to implement the revival package for LTCCS.

59. Interest rate for investment credit to farmers

Government of India had taken steps to make available crop loans to farmers at 7% interest with additional subvention of 3% for prompt repayment. The effective rate of interest on short term crop loans has now come down to 4%. However, the interest rate on investment credit to farmers continues to be a matter of concern. NABARD gives funds for advancing investment credit to cooperatives and other banks at 9.25% at present. At this cost, banks are not able to lend such loans at interest anything less than 13%. Moreover, Government has also not extended the additional interest subvention of 3% for prompt repayment to the borrowers of investment credit. Hence, interest rate of investment credit is more than 3 times of the effective interest rate on short term agriculture credit. This is a huge disincentive for investments in the farm sector at a time when capital formation in agriculture is a high priority for achieving higher productivity and production.

Government, therefore, is requested to take following steps to address this issue.

- i) Create a separate fund at the level of NABARD, similar to RIDF, using a portion of shortfall in agricultural lending by commercial banks, for giving refinance to banks for disbursements of investment credit. This will reduce the cost of funds at the level of NABARD and banks which receive its refinance.
- ii) Government of India may extend the additional interest subvention of 3% for prompt repayment of agricultural loans for investment credit also.

60. Representation of Rural Co-operative Credit Structure in NABARD Board

There is a provision in the NABARD Act to include representatives of Co-operative Sector in its Board of Directors. It is necessary that the Government appoints representatives of Cooperative Rural Credit system, one each from short term and long term structures, in the Board of NABARD under the above provision of Act as these institutions account for the major share of the total business of NABARD.

61. Income tax incentives to depositors of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs)

The entire deposits collected by the Long Term Cooperative Credit Structure from its members are used for giving investment credit, leading to capital formation in agriculture and rural sectors. However, these deposits are not made eligible for income tax rebate under section 80c as applicable to deposits with scheduled commercial banks. The Government was requested to make the deposits with Long Term Cooperative Credit Structure eligible for tax rebate under section 80c of Income Tax Act.

62. Real Sector Issues Precondition for CARDBs Growth

Indian agriculture is going through a very critical phase and serious challenges. It is, therefore, necessary to put in place an enabling environment in the real sector so that the coops could deliver the expected results.

Credit is necessary but not sufficient in securing inclusive growth with equity. All other inputs together with backward and forward linkages need to be effectively put in position.

Once policy initiatives are put in place, RCCs have to take logical further steps for facilitating food security and sustainable livelihood thro' FI and IG.

63. Imperatives of supportive policy environment

- (i) In our country, political leadership has gradually taken over the coop. leadership and political expediency has marginalized the coop. principles of democratic values and functional autonomy, resulting in the prudence in business management giving way to narrow political gains. This strong malady has led to the severe impairment managerial, organizational and operational - in the movement.
- (ii) Successive expert Committees have suggested for restoration of coop. values in the movement and finally a ray of hope has emerged from the revival package under way following the recommendations of the Vaidyanathan Task Force (2006).

64. Relief to Farmers under stressed conditions

- (i) Governments at both Centre and States roll out relief by way of interest concessions and repayment waivers, following natural calamities While intentions of such packages are pious, in practice, they are implemented across the - board and often not reaching the genuine and the needy, thus defeating the well meant purpose of relief measures. This has also caused severe damage to the recovery climate, resulting in erosion in the financial strength of the institutions
- (ii) In this context, it is reiterated that the standard prudent suggestions for ameliorating the farmers distress in the right way and spending the ex-chequer's scarce resources with expedience need urgent consideration by the policy makers
 - Relief to be case by case, not across the board
 - Relief to be provided out side the banking system
 - Relief to be a part of integrated support package

65. Special Status to Rural Credit Cooperatives

As, of late, institutional interests are subordinated to political expedience, it is worth insulating the Cooperatives as constitutional entities like Panchayat Raj Institutions (PRIs) through appropriate amendments to our Constitution

66. Cooperative Education

All efforts should be made for building up coop leadership for the posterity from the youth, just as building up national leadership. Accordingly, for this purpose, inspiring success stories and mighty contribution of the coop. movement and its illustrious leaders should be made part of the curriculum of primary and secondary school education.

(D) RECOMMENDATIONS RELATING TO STATE GOVTS

67. ARDBs were set up and grown through State Govt initiatives. State Govts continue to be the major stakeholder of the structure. The State Govts, therefore, have to play a decisive role in reviving the structure. The Seminar appealed to State Govts to respond positively to the requirement of recapitalization and reforms in the LTCCS as suggested by Vaidyanathan Task Force.
68. The reforms envisaged in the LTCCS package are similar to those in the package for STCCS which have already been accepted by most of the State Govts. State Govts, therefore, may give the consent for implementation and start the process of implementation of the proposed package once it is announced.
69. The State Govts which are going for Act amendments as per the package for the STCCS may make those amendments applicable to LTCCS also as already done in some States.
70. State Govts may consider constituting State Level Committee involving experts to review the working of ARDBs and to take measures for improving recovery, resource mobilisation and business diversification in the pattern of State Level of Task Force set up for improving the working of Urban Cooperative Banks. (This has already been done in the states of AP and Karnataka).
71. ARDBs are required to maintain capital adequacy at the minimum level of 9% after recapitalization along with its business expansion which cannot be possible only with members' equity. ARDBs, therefore, should be allowed to raise additional capital through non voting preference shares. The State Govts may make appropriate provisions in the Act to facilitate this.

72. State Govts may issue guarantee to facilitate borrowings by ARDBs from NABARD and NCDC on a priority basis.
73. Some State Govts are charging guarantee fee from SCARDBs resulting in further increase in their cost of funds, leading to higher rate of interest at the ultimate borrower level. State Govts may waive fee for guarantee issued in favour of SCARDBs to facilitate inflow of resources to agricultural sector in the State from outside sources and making available credit to agriculture and rural sectors at affordable rates.
74. Some States are also charging stamp duty and registration fee for creating registered mortgage by the borrowers of ARDBs resulting in additional expenditure for farmers to avail credit from ARDBs. The Gehan system of Kerala and most of the southern States under which a declaration signed by the borrower before the authorized officer of the bank which is deemed to have all the characteristics of a registered mortgage, a copy of which is subsequently forwarded by the bank to the sub registrar office concerned for filing, may be implemented by all States to avoid the delay and expenditure for loan documentation.
75. State Govts may give support to ARDBs to enforce legal provisions to recover overdues and may confer powers for sale of security property to bank's officials.

(E) RECOMMENDATIONS RELATING TO RBI

76. Norms for converting ARDBs to fullfledged banks

At present, ARDBs are not banking institutions under the purview of BR Act 1949. Consequently, ARDBs cannot access public deposits and meet the financial services needs of their members like other rural financial institutions. Based on the recommendations of Capoor Committee (1999) to convert ARDBs into fullfledged banks, RBI in the year 2001 constituted a Committee to evolve norms for giving banking licence to ARDBs. However, the said Committee was subsequently dissolved before submitting a report. The Vaidyanathan Task Force II in its report mentioned that 'if on date or in the future any entity within the structure fulfills the conditions necessary for obtaining a banking licence, the banking regulator can consider it on merits'. However, RBI has not so far prescribed the conditions necessary for obtaining banking licence by ARDBs. RBI, therefore, needs to evolve such norms so that ARDBs who fulfill such norms can be considered for banking licence as recommended by Vaidyanathan Task Force II.

(F) RECOMMENDATIONS RELATING TO NCARDB FEDERATION

77. Federation needs to strengthen the technical support available to it for performing its advocacy and lobbying roles and for influencing government policies relating to rural credit/LTCCS by maintaining a panel of experts comprising of persons associated with Planning Commission, Management Institutes, RBI/ NABARD etc.
78. Federation to approach CRISIL/accredited rating agencies for evolving separate norms for rating of SCARDBs.
79. Federation to institute studies in the following areas through suitable experts/agencies as well as involving its own officials.
- (i) Business diversification by LTCCS including non fund based business.
 - (ii) Deposit mobilisation by ARDBs.
 - (iii) Recovery Management
 - (iv) Roadmap for conversion of ARDBs into fullfledged banking institutions.
80. Federation to institute a certificate course in rural credit management for employees of ARDBs. SCARDBs should consider giving incentive of additional increment and weightage for promotions to encourage employees to pass this course.
81. Federation to undertake a study on the working of JLTCs of SCARDBs in collaboration with and support from NABARD with a view to making them effective vehicles to carry the staff to vibrant reforms mode.
82. Federation to constitute a Committee with representatives from SCARDBs and NABARD to monitor the follow-up and implementation of the recommendations of the Zonal Seminar and to work as a trouble shooting team to assist its members
- It should also ensure the Message of reforms is carried, adequately and effectively, to all the stakeholders at state regional and village levels also and their willing and collective consent is secured to make the reforms process a fully participatory exercise.
83. Business Development Process
- (i) The SCARDB units are presently preparing their DAP/AAP for business development under the MoUs executed by them with NABARD. Post VCR-2, such AAPs should be institution -specific and time bound (period of 3 to 5 years) with all rigors of result -orientation
 - (ii) The Plans should be implemented and monitored (DIME) under the guidance and supervision of an Empowered Committee of Experts supported by a dedicated team of executives of the institutions concerned and under the guidance and support from umbrella organizations ie. NABARD/NCARDBF / NCUI.

(iii) As the revival of the ARDBs cannot be achieved only through a one-time financial package, It needs to be accompanied by institutional, legal and regulatory reforms that could enable the structure to function in a sustainable manner and prevent it from falling back into impairment. The above Committee has to be entrusted with these comprehensive tasks.

(iv) Post Reforms, under the VC-2 package, ARDBS to graduate to

- a financially strong, viable and sustainable growth model
- operate in the competitive market on a stand-alone mode.

84. The long suspense and distressing wait for GOI's financial assistance for the implementation of the Reform Package for revitalization of the SCARDB structure should end, as any more suspense and wait will make the reform process more difficult and challenging. The reforms package should be commenced forthwith with or without the financial assistance under the VCR - 2 package, what with the firm determination of the entire community of the SCARDBs, at all its levels. If it could happen with smaller units like RRBs, it can happen with the gigantic army of leaders, members and staff within , well poised to take on the challenge and post victory.

85. **“Restructuring and Revitalization of LTCCS is a compulsion and not an option”**

With the success of the Seminars, the Federation should prepare the Road Map for the ARDBs as also their destination i.e. VISION 2020.

Standing Committee of CEOs

The Standing Committee of CEOs was constituted in September 2009 with the following tasks.

- 1) Reviewing the overall performance of the sector, identifying issues and suggesting solutions to the Board.
- 2) To prepare action plans for SCARDBs and PCARDBs based on decisions in the meeting of the Board and other forums.
- 3) To document and share best practices in loan recovery, resource mobilisation, HRD, MIS, corporate governance etc.

1st Meeting of the Committee on 8 February 2010 in Mumbai

Highlights of the inaugural address of Shri K. Sivadasan Nair, Chairman

- Reducing over dependence on NABARD for lendable funds is the major challenge before this structure. SCARDBs generally are forced to stop lending operations whenever NABARD suspends refinance support. Eg: Assam, Bihar, Orissa, Maharashtra, Jammu & Kashmir etc.
- Pondicherry & Gujarat SCARDBs could carry on lending operations without funding support from NABARD relying mainly on deposits from member and public.
- Similarly, Kerala SCARDB developed alternative avenues for borrowings in a substantial way to supplement refinance from NABARD.
- Experience of these banks in exploring alternative avenues of resource mobilisation needs to be studied by other banks.
- Inability to meet the short term credit needs of members is the second major constraint faced by SCARDBs.
- NABARD has permitted ARDBs to supplement Swarojgar Credit Card Scheme and Kisan Credit Card Scheme. Similarly, NCDC line of credit is available for advancing short term loans of any kind of members. It is disappointing that except Kerala no other SCARDB had taken full advantage of these facilities. Kerala experience in advancing short term loans need to be shared and emulated by others.
- Loan recovery continues to be a major challenge for the entire sector. Debt waiver scheme, expectations about future waivers, distress of farmers etc are some of the general factors responsible for poor recovery of agricultural loans by SCARDBs.

- At the same time, the ST credit structure and RRBs are able to perform much better than ARDBs in loan recovery under similar conditions. This shows that there are certain factors peculiar to ARDBs responsible for poor loan recovery. Banks should identify and address these factors.
- Revival of institutions in the structure are possible on its own initiatives and efforts. The CEOs have a big role to play in deciding the future of the structure. The Committee of CEOs was constituted to facilitate frequent interaction among them to discuss issues and guide the structure to face the challenges successfully.

**Highlights of key note address by Shri K.K. Ravindran,
Managing Director, NCARDB Federation**

- The various challenges faced by the structure also provides opportunities.
- There is felt need to supplement refinance of NABARD through a variety of savings and deposits products as well as borrowings from other institutions like NCDC, commercial banks etc.
- It is high time that banks diversified their loans portfolio from the single product of long term agricultural loans. Banks should address issues of capacity building of staff, restrictions in the Act, byelaws and should evolve proper systems to advance crop loans to their members with refinance support of NABARD.
- Sanctioning cash credit limit to borrowers of LT loans using NCDC funds/resources raised as deposits/borrowings from other banks/owned funds is a major initiative to diversify its loans portfolio to the advantage of members.
- Jewel loans, traders loans etc which are successfully advanced by some SCARDBs offer opportunity for diversifying loan products.
- Experience of some of the banks show that overdues can be substantially brought down by taking the following measures:-
 - (i) Tightening appraisal and follow-up system.
 - (ii) Selection of borrowers based on credit worthiness and repaying capacity.
 - (iii) Customer friendly loan procedure.
 - (iv) Financing through JLG system.
 - (v) Revamping repayment system involving shift to monthly instalments, switch over to equal instalment system, shorter loan period, allowing flexibility in the terms of repayment etc.

- (vi) Accountability of field officers for faulty appraisal and recommendation of loan proposal.
- (vii) Assigning recovery targets with incentive/penalty system.
- (viii) Revamping internal house keeping and vigilance.
- (ix) Introducing risk management system.
- SCARDBs need to revamp their MIS and reporting system by strengthening statistical department with qualified personnel and proper infrastructure, arrangements at PCARDB/branch level for timely reporting of data ensuring accuracy.
- All SCARDBs should publicise Annual Statistical Bulletin in the common format suggested by the Federation.

Presentation by CEOs

Shri M. Venkata Reddy, Chief Executive, Karnataka SCARDB

- Bank committed to diversify loans portfolio.
- Alternative avenues for resources will be explored.
- Substantial improvement in recovery performance is expected on the background of Govt's offer of interest subvention of 10.25% on repayment.
- The powers of sale of security property delegated to the bank's supervisor.

Shri G.C. Kewalramani, Managing Director, M.P. SCARDB

- The Bank has taken steps to fully meet the working capital requirements of borrowers of LT loans.
- Bank plans to step up deposit mobilisation to supplement NABARD funding.
- The objective of the Bank should be to meet the entire credit requirement of members.

Shri A.K. Dharni, Managing Director, Kerala SCARDB

- Bank was successful in diversifying loans portfolio.
- Bank has implemented Swarojgar Credit Card Scheme, Kisan Credit Card Scheme and also advancing traders loans and jewel loans. The recovery is quite high in these new areas of lending compared to traditional areas. In spite of good potential bank is not given permission by the Govt to mobilize deposits. The resource needs for diversified programmes are largely met through borrowings from NCDC and commercial banks.

Shri Swaranjit Singh, Managing Director, Punjab SCADB

- The Bank started deposit mobilisation but efforts needs to be stepped up.
- The RCS has not given permission to advance crop loans. The Federation has also taken up the matter with RCS.
- There was a severe set back to recovery due to ADWDR scheme but recovery shows signs of good improvement this year.

Smt. V. Nandakumari, Jt. Registrar/General Manager (F&A), Tamil Nadu SCARDB

- The Bank is not getting refinance from NABARD for many years.
- State Govt's Debt Waiver Scheme has wiped off the entire agricultural loans outstanding.
- At present Bank is advancing mainly jewel loans using funds borrowed from TNC Bank at 8.75% which is lent at 9.5%.
- Bank also started doing insurance business as agents of IFFCO-TOKYO.

Shri H.P. Ganatra, Managing Director, Gujarat SCARDB

- The Bank stopped taking funds from NABARD due to guarantee fee at unaffordable rate.
- The Bank is carrying on business through using deposits and borrowings from NCDC and commercial banks.
- The borrowings outstanding from NABARD has come down substantially and will be nil in a couple of years.

Decisions/Recommendations

- (1) The terms of reference of the Committee will include follow-up action of board decisions including preparing action plans to implement decisions.
- (2) Documenting success stories.
- (3) Information/experience sharing.
- (4) Regularity of meeting Meeting shall be held once in three months preferably after

one month from the previous board meeting and before one month from the next board meeting.

- (5) Meetings will be on self-financing basis.
- (6) Meetings shall be held in various States by rotation. Local SCARDB to provide local transport, lunch etc. Travel, boarding and lodging shall be on self-financing basis.
- (7) Each bank to appoint a person to coordinate matters relating to the working of the Committee including furnishing required information to the Federation.
- (8) It was also decided that Federation shall issue guidelines on resource mobilisation, diversification of lending, loan recovery etc incorporating the suggestions in the Meeting.

Action points based on deliberations in the 2nd Meeting of the Committee on 25 May 2010 at Kasauli Resort

1) Loan recovery

To step up recovery efforts and carry out intensive drive throughout the year adopting following measures in addition to the measures suggested in the recovery strategy.

- i) To initiate coercive measures against willful defaulters including sale of mortgaged land. In States where the State Govt has diluted coercive measures to recover overdue loans, the Bank should approach the Govt to remove such restrictions in the case of willful defaulters and non agricultural loans.
- ii) Outsourcing recovery follow-up by engaging unemployed educated persons from local areas on contract basis.
- iii) Linking additional monetary benefits of staff including annual increments with recovery performance of the branch/PCARDB.
- iv) Organizing lok adalats for loan recovery by providing certain incentives such as waiver of penal interest charges etc.

2) Deposit mobilisation

SCARDBs should start mobilizing deposits from members as a core activity with suitable targets for PCARDBs/branches commensurate with potentials.

3) Short term products

Introducing the cash credit scheme for LT borrowers who are regular in repayment

under simple documentation procedure without taking additional security. Similarly, all eligible SCARDBs should start giving crop loans using concessional refinance of NABARD.

4) Capacity building of staff

To organize crash training programme for staff on deposit mobilisation and financing of short term credit products.

5) Outsourcing basic banking services

SCARDBs to negotiate with commercial banks (preferably those banks with whom they have longstanding business relationship) for extending basic banking services to their members such as remittance facilities, issuing DD etc as business correspondents.

6) Modernising operational units

Business outlets of ARDBs need to be modernized on priority basis in the context of deposit mobilisation with required facilities and ambience.

7) Computerising operations

SCARDBs need to computerize their operations on high priority. SCARDBs which are working in profit should immediately go for computerization without waiting for external assistance.

3rd Meeting on 8 October 2010 at Chennai

Following are the important decisions taken in the third meeting.

SCARDBs to make plans for recovery of Rs.3000 crore out of arrear demand of Rs.5670 crore and Rs.2500 crore out of fresh demand of Rs.3500 crore as of June 2011 targeting total collections of Rs.5500 crore out of total demand of Rs.9200 crore.

Federation to issue detailed guidelines for formulating business development plans for the next five years based on demand for loans, lendable funds from various sources such as NABARD, NCDC, deposits from members, borrowings from commercial banks etc. The meeting observed that on the average the structure is operating at 50% of break-even business level requiring doubling of loans outstanding without any significant addition to staff.

The meeting deliberated on the format of Zonal Seminars including theme, venues, dates, resource persons as well as tentative budget. The meeting also considered the proposal for rationalization of annual membership subscriptions by member banks and

made recommendations to the Board for rationalizing the annual membership subscription norms.

The meeting also considered draft proposals for fixing norms for performance awards to member banks and decided to call for the views of individual member banks on the draft proposals before taking a final decision by the Board.

Income Tax issues of member banks

Some of the member banks have been assessed for income tax during the year under subsection 4 to section 80P which was introduced from the year 2006-07. Since sub section 4 specifically applies to cooperative banks coming under the purview of BR Act and SCARDBs nor PCARDBs being not cooperative banks within the meaning given in BR Act, Federation advised SCARDBs to continue to claim tax exemption under section 80P even after the introduction of sub section 4. Federation also advised member banks which were assessed for payment of tax under sub section 4 to approach Tribunal and High Court if necessary if decision goes against them under appeals at departmental level. Accordingly, Kerala and Maharashtra SCARDBs have filed appeal before respective tribunals.

In the case of Punjab SCADB, the entire interest income from its deposits with various banks from 1998-99 to 2006-07 was assessed for payment of tax. The bank's appeal against such assessment, at the departmental level was decided in its favour. However, the department challenged that decision in the tribunal which was also decided in the favour of the bank. The IT department has now filed a writ petition in the high court against the decision of the tribunal. This matter is pending before the high court.

Even though most of the SCARDBs are continued to be exempted from income tax at present, it is observed that ARDBs will have to pay income tax like cooperative banks coming under BR Act once the Direct Taxes Code Bill becomes law. The Direct Taxes Code Bill includes provisions to withdraw the income tax exemptions for SCARDBs and PCARDBs with jurisdiction over more than one taluk in unambiguous terms.

In the eventuality of SCARDBs requiring to pay income tax, they need to revamp their accounting system in conformity with the requirements under income tax law for claiming all eligible exemptions which are allowed under the Act. Such eligible exemptions are quite substantial and will considerably reduce their tax liability. SCARDBs have been advised to take immediate action in this regard.

Deposit Mobilisation by ARDBs

Total dependence on borrowed resources for advancing loans has been the most important constraint restricting the growth of ARDBs. Even though the need to mobilize own resources by ARDBs was recognized by various Committees, the policy environment was lacking for deposit mobilisation by the structure. RBI in 1997 permitted ARDBs to mobilize public deposits of 1-2 year duration upto its net worth. Banks which started mobilizing deposits under the RBI scheme could not continue with this scheme due to the restrictions regarding the ceiling. Banks in the absence of short term lending programme also lacked avenues to deploy deposit resources profitably. The deposit mobilisation programme, even though is still carried on by SCARDBs in many States, has not succeeded in mobilizing substantial resources and adequately tapping the vast potential. The total deposits outstanding of SCARDBs ever since the introduction of the scheme in 1997 has been in the range of Rs.400-500 crores as against the potential of Rs.5000 crores assessed by Bhandari Committee about 13 years back, which is estimated to have gone up by three times by now.

Need for renewed efforts

- 6 out of 19 SCARDBs are not able to access refinance from NABARD. Deposit mobilisation is the only means for these banks to carry on business.
- Refinance support from NABARD is not adequate to maintain viable business levels for banks eligible for the same.
- SCARDBs need to broaden their credit services to short term products to meet demand for such loans from members as well as to maintain viability for which own resources are required.
- Building up own resources through deposits is necessary to improve borrowing capacity and widening avenues for borrowing including commercial banks.
- Banks can mobilize deposits from their members under various schemes on terms as decided by its board, which are not subject to the restrictions imposed in the RBI scheme.
- Banks have profitable avenues for deploying short term funds mobilized through deposits unlike in the past.

Savings and deposit products that may be offered by ARDBs

Thrift Deposits :

The members can deposit their savings in their thrift deposit account with ARDB at any time and withdraw the same after maintaining a minimum balance whenever they want. ARDB may offer interest on the average balance in the thrift account at a rate slightly higher than interest rate on saving bank account with regular banks, which is 3.5% p.a.

Recurring Deposits :

Members can open recurring deposits for depositing a fixed amount on a monthly basis. The maturity value of recurring deposits with interest accrued is withdrawable on completing the period of recurring deposit account which can be 12 months, 24 months, 36 months etc.

Fixed Deposits :

Fixed deposits are taken for a fixed period, the minimum of which may be three months in the case of ARDBs at a specific interest rate with options of interest payable on quarterly basis or capitalized quarterly and payable on maturity.

Cash Certificates :

Cash certificates of Rs.5000 or Rs.10000 may be issued for three years or five years at a discounted price depending on the rate of interest offered and period of deposit. Cash certificate schemes suit certain class of depositors and also convenient for the ARDB from the point of view of accounting and servicing of deposits.

Share Capital Converted Deposits :

Instead of repaying shares on closure of loan, the ARDB may convert the shares into fixed deposit or cash certificate with assured returns to the member.

Terms & Conditions

- Banks should ensure that all depositors are enrolled as members.
- In federal structure, member deposits can be collected only by primaries which needs to be transferred to SCARDBs for proper management and deployment of funds.
- It should be ensured that deposits outstanding at the primary level at the end of every month should be equivalent to their deposits outstanding with the SCARDB.

- SCARDBs to pay interest on deposits by primaries at 1% more than the average cost of deposits for primaries to defray the cost of collection, accounting and servicing.
- All deposit taking primaries need to avail OD limit from a bank close to it to ensure timely liquidity to meet withdrawal demands from depositors. The drawals from OD limit for refund of deposits to be reported to SCARDB every Friday for direct transfer of required funds to the account.
- The interest on OD availed by the PCARDB for timely servicing of deposits should be met by the SCARDB which is the ultimate custodian of all deposits collected by the PCARDB.
- Deposit resources should be used mainly for issuing non agricultural short term loans, the interest rate of which may be linked to the actual cost of funds for the SCARDB including interest on overdraft reimbursed to the primaries (for servicing the deposits) with a margin of 4-5% per annum for the structure as a whole to cover transaction and risk cost.
- The rate of interest on deposits payable to depositors may be fixed at 1% above the prevailing rates of banks to encourage savings by members.
- SCARDBs to give detailed instructions to PCARDBs and branches regarding books to be maintained, arrangements for transfer of deposit funds to SCARDB, arrangements for timely refund of deposits on maturity, printing and custody of blank FD receipts, method of interest application in the deposit accounts, procedure regarding premature closing, sanctioning loan on the security of deposits, minimum balance to be maintained in the thrift deposits, returns to be sent to SCARDBs on deposits outstanding, collection, refund etc and the periodicity of the same.
- SCARDBs should also advice periodically the interest rates on various kinds of deposits depending upon general interest rate scenario.
- ARDB should give wide publicity in its area for highlighting the advantages of its deposit schemes such as no TDS, attractive interest compared to other banks, facility of premature withdrawal, loan facility including cash credit limit on the security of deposits etc.

Recovery Strategies and Action Plan

The most important challenge before ARDBs in the context of the prospect of implementing a package by Govt of India to revive the structure is to improve loan recoveries. Substantial improvement in loan recovery is essential for the following reasons:-

(1) Eligibility for revival package

More than 70% of 703 PCARDBs do not satisfy the norm of 50% recovery to become eligible for revival support. Intensive recovery drive is required to maximize the number of units eligible for revival support.

(2) To avoid future losses

Uncovered risk cost/provisions against NPAs accounts for most part of the accumulated losses of institutions in the structure. Sustaining a recovery level not less than 70-80% is necessary to avoid further losses after recapitalization.

(3) Liquidity

The owned funds comprising of share capital and reserves of ARDBs are completely locked up in overdues. The aggregate demand of ARDBs at ground level as on 30 June 2010 was about Rs.9900 crores, against which aggregate amount of collections were Rs.4150 crores, leaving a balance of Rs.5750 crores as overdues. This amount represents almost double the aggregate net worth of institutions in the structure. This puts heavy pressure on liquidity position of banks. Recovering a substantial portion of outstanding overdues assumes great importance to restore liquidity in the system and to implement new loan products for which external funding support is not available.

The Federation issued guidelines to SCARDBs vide circular dt. 4 June 2010 for undertaking intensive recovery drive based on deliberations in the Standing Committee of CEOs held on 25 May 2010. Following are the highlights of these guidelines:-

- [1] Pursuing legal recovery measures in all cases where loan is overdue for more than 2 years including sale of security property on selective basis in order to strengthen the impact of legal recovery drive.
- [2] To set up a special Cell in the SLDB as well as each operating unit for initiating legal recovery measures.
- [3] Resort to measures like settlement of overdues during the course of legal recovery process by waiving penal interest and charges etc by all banks.
- [4] The banks may also strive to organize lok adalats for settlement of dues as per guidelines issued by RBI/NABARD.
- [5] Sale of security property to be the last resort when all other means fail. Even in that case if the market value of the property mortgaged is much more than the outstanding dues, the bank to sell only a portion of mortgaged property which is sufficient to realize the total dues after taking a fresh valuation based on present market value.

The SCARDBs to pursue the above measures for improving recovery along with other measures in recovery strategies already finalized and circulated to SCARDBs, the main points of which are as below:-

- 1) Rescheduling of loans in genuine cases.
- 2) Shorter loan period to improve liquidity and faster recycling of funds.
- 3) Switch over to monthly/quarterly instalment system instead of annual instalments.
- 4) Switching to equal instalment system of repayment instead of equated instalment system.
- 5) Recovery target for field staff with arrangement for review along with reward/punishment system.
- 6) Introducing cash credit scheme and other short term loan products which have almost 100% voluntary repayment as such loans are renewable on repayment. High proportion of short term loans in the total demand can improve the overall recovery percentage dramatically.

Eligibility Norms for NABARD refinance during 2010-11

NABARD in April 2010 communicated eligibility criteria for giving refinance to SCARDBs during 2010-11. As per these norms, banks with recovery of 70% or more are eligible for unrestricted refinance support subject to realistic lending plans and banks having recovery between 60-70% are eligible for 5% increase in refinance over the previous year and banks with recovery between 50-60% are eligible to draw refinance at the previous year's level while banks whose recovery is in the range of 30-50% will face a 5% cut in refinance availed in the previous year. Banks with recovery less than 30% are not eligible for refinance. The highlight of refinance policy during the year is upward revision of cut-off recovery rates for refinance eligibility compared to the previous year.

Short term refinance to SCARDBs under section 25 of NABARD Act 1981

NABARD vide circular dt. 1 April 2010 issued operational guidelines for issuing short term crop loans and availing refinance against such loans by ARDBs. For availing this facility, SCARDBs are required to put in place proper systems and procedures for operationalising the scheme and take measures for capacity building of their staff. NABARD has also offered support for undertaking capacity building for crop loan financing.

The salient aspects of the scheme are as follows:-

- Short term credit limits for SAO operations being extended to SCARDBs under section 25 (1) (d) of NABARD Act 1981.
- Limit provided against crop loans/working capital loans issued to non defaulting members of ARDBs who have already availed long term loans.
- Limit for 2010-11 would be from 1st April 2010 to 31st March, 2011.
- Audit should have been completed for the year 2008-09 with audit rating of either A or B for SCARDBs and A, B or C for PCARDBs.
- Wherever audit report for 2008-09 not available, 40% of the sanction limit will be disbursed on the basis of audited accounts for the year 2007-08.
- The eligibility will be decided on recovery position as on 30 June 2009 or 30 June 2008 or average recovery of preceding three years ending June 2008 whichever is highest at the SCARDB level. Eligibility being upgraded based on improvement in recovery as on 30 June 2010.
- SCARDBs with recovery more than 30% only will be eligible.
- The rate of interest on drawals shall carry interest rate of 4.5% on condition that rate of interest for crop loans at ultimate borrower level does not exceed 7% p.a. and individual borrowing limit for a farmer not to exceed Rs.3 lakh.
- The drawals have to be secured by State Govt guarantee or pledge of government securities or FDRs.
- Refinance application should be made in prescribed proforma.
- Each drawal will be repayable on expiry of 12 months.
- Extent of refinance will be 100%.

Interest rates on NABARD refinance

The rate of interest charged by NABARD on refinance given to ARDBs has gone up by 2% p.a. through successive upward revisions in the last six months based on market trends as under.

w.e.f. 9 August 2010	: From 7.25% to 7.75%
w.e.f. 18 November 2010	: From 7.75% to 8.25%
w.e.f. 13 December 2010	: From 8.25% to 8.75%
w.e.f. 19 January 2011	: From 8.75% to 9%
w.e.f. 4 February 2011	: From 9% to 9.15%

The Zonal Seminars organized by the Federation recently in 4 zonal centres, urged SCARDBs to take steps to avoid losses in the context of revision of interest rates on refinance involving substantial increase in the cost of funds for ARDBs.

The Zonal Seminars observed that even though NABARD increases the rate of interest prospectively, its impact falls retrospectively on ARDBs since the increased rate applies to loans already disbursed at interest rates based on pre revised cost of refinance. Most of the ARDBs had to draw refinance in the month of December and January against loans disbursed before August at rate of interest almost 2% higher than what was prevailing at the time of disbursing loans. The difference of 2% far exceeds the interest margins available to the SCARDB resulting in negative net margins on a long term basis. Since NABARD has turned down the request of the Federation to apply the higher interest rate only on refinance in respect of loans issued by ARDBs from the date of revision, the issue is left to SCARDBs to resolve. The Zonal Seminars in the above context recommended flexibility in the interest rate policy of SCARDBs so that interest rates on loans issued can be revised at a later stage, depending on the changes in the cost of funds involved in lending.

Union Budget 2011-2012

The Union Budget 2011-12 was presented in the backdrop of economy estimated to have registered a growth of 8.6% but in the shadow of continuing increase in food prices in spite of agricultural growth exceeded 5% and all-time high foodgrain production estimated at 235 million tons in 2010-11. Following are the major proposals in the budget.

- Fiscal consolidation measures including proposal to set up Public Debt Management Agency of India.
- Introduction of Direct Taxes Code with effect from 1.4.2012.
- Direct transfer of cash subsidy to BPL families for kerosene, LPG and fertilizers.

- Target of Rs.40000 crore for disinvestment in 2011-12, while retaining minimum 51% ownership of Central Public Sector Undertakings by the Government.
- Further liberalization of foreign direct investment policy including opening of mutual funds to foreign investors.
- Proposal to amend BR Act for giving additional banking licences to private sector.
- Recapitalisation of public sector banks and RRBs Rs.6000 crore and Rs.500 crore respectively.
- Creation of India Microfinance Equity Fund and Women SHG Development Fund with corpus of Rs.100 crore and Rs.500 crore respectively.
- RIDF to continue with an outlay of Rs.18000 crore as against Rs.16000 crore last year.
- Allocation of Rs.5000 crore to SIDBI for incremental lending to micro, small and medium enterprises and Rs.3000 crore to NABARD to support handloom weavers cooperative societies.
- Public sector banks to lend 15% of outstanding loans under priority sector to minority communities.
- Further liberalization of 1% interest subvention scheme on housing loans.
- **Credit flow to farmers to be raised to Rs.4,75,000 crore as against Rs.3,75,000 crore in 2010-11.**
- **Interest subvention for prompt repayment of crop loans increased to 3% from 2%.**
- **Capital base of NABARD to be raised by Rs.3000 crore in phased manner.**
- **Allocation of Rs.10000 crore to NABARD's Short Term Rural Credit Fund.**
- **15 Mega Food Parks during 2011-12.**
- **Augmentation of storage capacity through private entrepreneurs and warehousing corporations.**
- **Viability gap funding for constructing modern storage capacity.**
- **Agriculture Produce Marketing Act of State Govts being reformed to remove bottlenecks in supply and distribution of agricultural commodities.**
- **Allocation for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) increased to Rs.7860 crore from Rs.6755 crore.**
- **Accelerating Green Revolution in eastern region, promoting 60000 pulses villages in rainfed areas, extending oil palm cultivation to 60000 hectares, accelerated fodder development programme in 25000 villages, promoting organic farming etc are other important proposals relating to agriculture.**

- Allocation of Rs.214000 crore for infrastructure.
- Comprehensive policy for PPP projects.
- Issue of tax free bonds of Rs.30000 crore to boost infrastructure development through govt undertakings.
- Launching National Mission for hybrid and electric vehicles.
- Financial support to metro projects in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata and Chennai.
- Five-fold strategy to deal with the problem of black money.
- Introducing National Food Security Bill in the Parliament during 2011-12.
- 17% increase in allocations for social sector to Rs.168088 crore.
- Rs.58000 crore for Bharat Nirman programme.
- Rural broadband connectivity to all 250000 panchayats in three years.
- Remuneration of Anganwadi workers increased from Rs.1500 to Rs.3000 per month and Anganwadi helpers from Rs.750 to Rs.1500 per month.
- 24% increase in allocation for education.
- Banking facilities to all 73000 habitations with population over 2000 to be completed in 2011-12.

Budget Estimates

- Gross tax receipts Rs.9,32,440 crore.
- Non-tax revenue Rs.1,25,435 crore.
- Total expenditure Rs.12,57,729.
- Increase in total plan allocation 18.3%.
- Increase in non plan expenditure 10.9%.
- Fiscal deficit kept at 4.6% of GDP as against 5.1% of GDP last year with a target of reducing it further to 3.5% by 2013-14.
- Target for net market borrowing in 2011-12 Rs.3.43 lakh crore.
- Total Central Govt debt will be 44.2% of GDP in 2011-12 as against 52.5% recommended by 13th Finance Commission.

IV. REVIEW OF MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2010-2011

A. Borrowings

The aggregate borrowings of 16 SCARDBs (Bihar, Gujarat, Jammu & Kashmir, Maharashtra NIL borrowings) out of 19 SCARDBs during the year 2010-11 amounted to Rs.2959.87 crores, as against Rs. 2624.08 crores during the previous year, resulting in an increase of Rs. 335.79 crores i.e. by 12.80%. Assam, Orissa and Tripura did not furnish the data. The share of NABARD refinance in the total amount raised by SCARDBs amounted to Rs. 2342.52 crores accounting for 79.14% in the year 2010-11 as against 81.32% in the year 2009-10. While Pondicherry (209.49%), Kerala (141.68%), Tamil Nadu (22.83%) & Haryana (22.12%) showed increase in borrowings raised during the current year, there was decrease in the borrowing raised by M.P. (>100%), Punjab (20.26%), Chhattisgarh (5.14%) and Karnataka (4.59%). It was marginally lower in the case of Rajasthan & U.P. SCARDBs. (Refer Table 1)

The Borrowing Outstandings of 16 SCARDBs amounted to Rs. 15129.95 crores as on 31st March 2011 as against Rs. 15147.80 crores as on 31st March 2010 (16 SCARDBs). The increase in borrowings outstanding was mainly accounted for by Jammu & Kashmir (55.61%), Tamil Nadu (31.42%), West Bengal (12.32%) Haryana (9.74%), Uttar Pradesh (9.58%) & Himachal Pradesh (8.60%), while there was substantial decrease in the case of Bihar (44.11%), Gujarat (27.67%) & M.P. (23.81%). Assam, Orissa & Tripura did not report the data. (Refer Table 2)

B. Deposit Mobilisation

During the year 2010-11, 11 SCARDBs raised Rs.204.79 crores as against Rs. 172.96 crores by 13 SCARDBs. No data was received from Assam, Orissa & Tripura SCARDBs.

The deposits outstanding as on 31st March 2011 amounted to Rs. 574.04 crores (16 SCARDBs) as against Rs. 528.32 crores (17 SCARDBs) as on 31st March 2010. (Refer Table 3)

C. Loans advanced

The total loans advanced by SCARDBs during the year 2010-11 amounted to Rs.3831.34 crores (16 SCARDBs) as against Rs. 3428.81 crores (17 SCARDBs). No data received from Assam, Orissa & Tripura. The increase in lending was mainly contributed by Tamil Nadu (49.37%), Kerala (29.18%), Pondicherry (16.90%), West Bengal (12.55%) & Gujarat (10.91%). There was decrease in lending in respect of M.P. (>100%), J&K (45.69%), Chhattisgarh (11.38%). The aggregate loans outstanding at Ultimate Borrowers level stood

at Rs. 11619.20 crores (13 SCARDBs) for the year 2010-11 as against Rs.15731.05 crores (17 SCARDBs) for the previous year 2009-10. *(Refer Table 4)*

D. Financial performance

Out of 19 SCARDBS, only 11 SCARDBs have furnished the data on 31st March 2011. Of the 11 SCARDBs, 8 SCARDBs have reported Profit (as against 10 SCARDBs in the previous year) while 3 SCARDBs (Bihar, J&K & Pondicherry) have reported loss (as against 7 SCARDBs in the previous year). The total profit of 8 SCARDBs stood at Rs.110.23 crores and the losses of 3 SCARDBs at Rs.330.65 crores. *(Refer Table 5)*

E. Non Performing Assets

The total loan outstanding as on 31st March 2011 stood at Rs. 12087.37 crores (12 SCARDBs) against Rs. 17497.19 Crores (17 SCARDBs) as on 31st March 2010. However, the NPA amounted to Rs. 3374.37 crores (8 SCARDBs) as on 31st March 2011 against Rs. 5549.86 Crores (17 SCARDBs) as on 31st March 2010. Assam, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan & Tripura SCARDBs didn't furnished the data *(Refer Table 6)*.

F. Recovery Performance

The yearly recovery performance at Ultimate Borrowers level is worked out for the period July-June. As the data as on 30th June 2011 was not readily available at the time of finalizing this report, the position as on 30th June 2010 is considered for review. The total ground level demand of ARDBs during 2009-10 (30th June 2010) were Rs. 10368.03 Crores against which collections amounted to Rs. 4192.37 Crores which formed 40.44% of demand as against 36.75% as on 30th June 2009. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 50% in the case of 5 banks viz. Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Kerala, Pondicherry & Punjab whereas the same in respect of Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh & West Bengal were in the range of 40 to 50%. The poorest recovery was in respect of Bihar which was in single digit amounting to 7%. *(Refer Table 7)*

G. General Information

There was no change in the structural pattern of SCARDBs during the year under report. Of the 19 SCARDBs, the number of federal and unitary SCARDBs continued to be 10 and 7 respectively and the remaining 2 SCARDBs having a mixed structural pattern comprising of affiliated PCARDBs as well as own branches. 2 SCARDBs (Assam and Tripura SCARDBs didn't report the data). The Unitary structure SCARDBs were operating through 716

branches as on 31st March 2011. The Federal structure had 655 PCARDBs (Orissa SCARDB didn't report the data) which in turn had 1045 branches as on 31st March 2011. The total membership of 13 SCARDBs as on 31st March 2011 was 108.34 lakhs of which the borrowing members were 66.22 lakhs. While 11 SCARDBs had elected board, 5 SCARDBs did not have an elected board as on 31st March 2011. Assam Chhattisgarh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan & Tripura SCARDBs didn't report the data. At PCARDBs level, only 381 PCARDBs had elected board as on 31st March 2011. The data in brief in this regard is as under:-

Sr. No.	Particulars	2010-11	2009-10
1)	Number of SCARDBs (Federal)	10	10
2)	Number of SCARDBs (unitary)	7	7
3)	Number of SCARDBS with mixed Structural pattern	2	2
4)	Number of Branches of SCARDBs (Unitary)	716	744
5)	Number of PCARDBs (Federal)	655	654
6)	Number of Branches of PCARDBs (Federal)	1045	1153
7)	Total Membership (in lakhs)	108.34	133.54
8)	Of item 7, Borrowing members (in lakhs)	66.22	72.85
9)	Number of SCARDBs having Elected board	11	9
10)	Number of PCARDBS having elected board	381	416
11)	Staff in SCARDBs (Number)	6446	7234
12)	Staff in PCARDBs (Number)	6019	10313

V. PROGRAMME OF ACTIVITIES OF THE PLANNING, RESEARCH AND DEVELOPMENT (PRD) CELL

The Planning, Research and Development (PRD) Cell was established in 1973 in the Federation to undertake specific research and development activities with financial support by way of grant-in-aid from the Ministry of Agriculture, Government of India. The PRD Cell has undertaken the following activities during the current year.

(A) Conferences / Seminars / Workshops

1) Seminar for Sharing of Experiences in Loan Recovery

Date

16 April 2010

Venue

Hotel Sunway GRT Grand, Pondicherry.

Inaugural Session

Chaired by Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NCARDB Federation.

Chief Guests at the Inaugural Session

Dr. Chandra Pal Singh Yadav, President, NCUI and Dr. Bijender Singh, Chairman, NAFED & NAFSCOB.

Resource persons

Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation.

Shri V. Jagan Mohan, Managing Director, Andhra Pradesh SCB.

Presentations on Experiences in Loan Recovery by Managing Directors of SCARDBs

1. Shri H.P. Ganatra, Managing Director, Gujarat SCARDB.
2. Shri Satbir Sharma, Managing Director, Haryana SCARDB.
3. Shri Gopal Sharma, Managing Director, H.P. SCARDB.
4. Shri A. Arivazhagan, Managing Director, T.N. CSARDB.
5. Shri Swaranjit Singh, Managing Director, Punjab SCADB.
6. Shri A.K. Bhowmik, Managing Director, West Bengal SCARDB.
7. Shri Subhas Biswas, Sr. Officer, Tripura CARDB.
8. Shri Nawal Kishore, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB.

2) Meeting of Standing Committee of CEOs

Date

25 May 2010

Venue

Kasauli Resort, H.P.

Inaugural Session

Chaired by Dr. B.C. Gupta, Financial Commissioner, Punjab.

Resource persons

1. Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation.
2. Dr. G. Vajralingam, Registrar of Coop. Societies, Punjab.
3. Shri G.S. Mangat, Managing Director, Punjab SCB.
4. Shri Nawal Kishore, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB.

Main topics discussed

- 1) Deposit mobilisation by ARDBs.
- 2) Diversification of lending.
- 3) Recovery action plan.
- 4) Income tax issues of ARDBs.

3) National Seminar on Preparedness of ARDBs for Revival

Date

9 August 2010

Venue

Hotel Bogmallo Beach Resort, Goa.

Participants

Chairmen and Chief Executives of Member Banks.

The Seminar discussed various aspects of Preparedness of ARDBs for Revival in the context of the proposal to implement a revival scheme by Govt of India and reviewed the progress of resource mobilisation programme, recovery drive and business diversification by SCARDBs.

4) Meeting of Standing Committee of CEOs

Date

8 October 2010

Venue

Hotel Checkers, Chennai.

The meeting finalized detailed guidelines for formulation of Business Development Plans for next five years by SCARDBs and PCARDBs and the format for organizing Zonal Seminars on Preparedness of ARDBs for Revival.

5) Zonal Seminars

(i) Seminar for East and North East Zone

The Seminar for East and North East Zone was held during January 8-9, 2011 at IKMARD, Kolkata. The Seminar was inaugurated by Dr. Asimkumar Das Gupta, Minister for Finance, West Bengal and valedictory address was delivered by Dr. K.G. Karmakar, Managing Director, NABARD. Resource persons included Shri Y.C. Nanda, Ex.Chairman, NABARD, Shri P.K. Agarwal, Principal Secretary, Govt of India, Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation, Shri Nawal Kishore, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB and Shri P.K. Mahato, Faculty, NCCT, Kalyani.

(ii) Seminar for West and Central Zone

The Seminar for West and Central Zone was held during January 23-24, 2011 Gujarat SCARDB, Ahmedabad. The Seminar was inaugurated by Shri Dilipbhai Sanghani, Minister for Agriculture & Cooperation, Gujarat. Key note addresses were given by Dr. B.C. Gupta, Secretary, Ministry of Food & Civil Supplies, Govt of India and Shri A.K. Bandopadhyay, Executive Director, NABARD. Resource persons included Shri Y.C. Nanda, Ex.Chairman, NABARD, Ms. Anita Manchanda, Chief Executive, NCUI, Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation, Shri Nawal Kishore, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB and Dr. K.T. Channeshappa, Regional Director, NCDC.

(iii) Seminar for North Zone

The Seminar for North Zone was held during February 1-2, 2011 at the Auditorium of Hotel Park View, Chandigarh. The Seminar was inaugurated by Shri J.S. Nakai, Chief Parliamentary Secretary (Coopn), Punjab. Key note addresses were given by Shri Amaresh Kumar, Executive Director, NABARD, Shri Suresh Kumar, Financial Commissioner, Punjab. Resource persons included Shri Y.C. Nanda, Ex.Chairman, NABARD, Shri P.V.A. Rama Rao, Ex.Managing Director, NABARD, Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation, Shri Nawal Kishore, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB and Shri Premkumar, IAS, Principal Secretary (Coopn), Himachal Pradesh presented papers on seminar theme.

(iv) Seminar for South Zone

The Seminar for South Zone was held during February 10-11, 2011 at Hotel Grand Days, Thiruvananthapuram. The Seminar was inaugurated by Shri G. Sudhakaran, Minister for Cooperation & Coir, Kerala. Shri Kasu Venkatakrishna Reddy, Minister for Coeoperation, Andhra Pradesh was the chief guest at the inaugural session. The papers were presented by Shri Y.C. Nanda, Ex.Chairman, NABARD, Shri P.V.A. Rama Rao, Ex.Managing Director,

NABARD, Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation, Shri Nawal Kishore, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB, Dr. T. Paranjothi, Secretary, NCCT, Smt. L. Ushakumari, Professor, SD College, Alleppey and Shri Bijoy George, Regional Director, NCDC.

The recommendations of the Seminars are given in this report separately.

6) CEOs Meeting on 14 March 2011

The meeting finalized the recommendations on Zonal Seminars and formulated draft action plan based on the recommendations.

(B) Publications

- (a) **Monthly Progress Report of ARDBs** The Federation compiles and publishes data relating to key operational areas on a monthly basis to review the working of banks and to furnish information on credit flow and other related aspects to Govt. of India, Planning Commission etc. 12 consolidated monthly reports from April 2010 to March 2011 were brought out during the year 2010-11.
- (b) **Annual Statistical Bulletin** contains comprehensive information about the audited financial position, structural aspects and operational details relating to SCARDBs as well as PADBs affiliated to SCARDBs. The Bulletin for the year 2008-09 was brought out during the year and the bulletin for the year 2009-10 is under compilation. The Statistical Bulletins are now brought out in a Compact Disc (CD) for circulation.
- (c) **Publication of Land Bank Journal** : The Land Bank Journal is one of the oldest publications of the Federation in rural finance, which is published by the Federation on quarterly basis for the last 48 years. The Journal apart from publishing research articles and success stories relating to agriculture and rural credit, cooperation, etc., is also covering news and reports on agriculture and other related activities in the sector as also on general areas of interest relating rural credit. During the year, 2 quarterly issues i.e. June 2010 and September 2010 have been published and the December 2010 issue and March 2011 are under print.

VI. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure as per audited accounts for the year 2010-11 are given below :

Assets and Liabilities

(Rs. in Lakhs)

LIABILITIES	As on		ASSETS	As on	
	31.3.11	31.3.10		31.3.11	31.3.10
Reserve Fund & Other Funds	1525.21	1429.71	Cash & Bank Balances	1.12	1.93
Secured Loans	2.04	0.00	Investments	1221.76	1146.37
Other Liabilities & Provisions	153.86	149.72	Fixed Assets	266.28	277.65
Surplus transferred from Income & Exp.A/C	7.64	30.33	Sundry Debtors & Receivables	77.57	70.43
			Loans & Advances	21.27	10.04
			Sundry Deposits & Prepaid Exps.	3.11	4.42
			Advance FBT paid	0.84	2.12
			Income Tax	96.80	96.80
TOTAL	1688.75	1609.76	TOTAL	1688.75	1609.76

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)	
		2010-11	2009-10
INCOME			
1.	Annual Membership Subscription	52.75	60.80
2.	Interest on Bank A/cs, Earmarked Memorial Funds, Deposits not earmarked, Reserve Fund & Development Fund	55.13	31.10
3.	Dividend on Shares	0.15	0.15
4.	Additional contributions from member banks	23.38	15.17
5.	Guest House Misc. Income/service charges	0.39	0.37
6.	Grant-in-Aid	9.00	33.00
7.	Grant received from NCUI/NCDC	2.50	0.00
8.	Miscellaneous Income/Recovery from Bad & Doubtful debts/Provisions reversed etc.	3.49	2.51
TOTAL (1 to 8)		146.79	143.10
EXPENDITURE			
1.	Salaries & Allowances, P.F.	56.96	48.38
2.	Seminars/Conferences/Training Programmes/ Zonal Seminars	16.81	4.30
3.	Travelling/Conveyance Expenses/L.F.C.	6.72	13.15
4.	Depreciation on Fixed Assets	11.52	11.30
5.	Deficit in Journal Activities	0.94	0.15
6.	Meeting Expenses	0.40	2.29
7.	Office premises maintenance charges & taxes	7.63	7.05
8.	Membership Fees & delegation fees	4.17	4.58
9.	Postage/Telegram & Telephones/Internet	2.68	2.82
10.	Guest House Expenses	3.41	3.47
11.	Prior Period Item A/c.	0.68	0.15
12.	Repairs & Maintenance	2.57	2.33
13.	Stationery, Printing & Publicity	5.05	3.12
14.	Legal & Professional charges	2.19	3.42
15.	Insurance	0.37	0.19
16.	Establishment & Sundry Expenses	2.96	1.97
17.	Provisions		
	i) Staff Gratuity	0.00	1.40

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)	
		2010-11	2009-10
	INCOME		
	ii) Leave Encashment	0.29	2.70
	iii) Demand from Defaulted Member Banks	2.11	--
	iv) BDDR	6.55	--
18.	Contingency Reserve Fund	5.06	--
19.	Income Tax	0.07	--
	Total (1 to 19)	139.14	112.77
	Surplus	7.64	30.33
		Amount (Rs. in lakhs)	
<u>Apportionment of Surplus by General Body</u>			
	(1) Reserve Fund	--	(2.01)
	(2) Contingency Reserve Fund	--	(21.19)
	(3) Cooperative Education Fund of NCUI	--	(0.08)
	(4) Education Fund of Federation	--	(0.08)
	(5) Building Fund	--	(2.31)
	(6) Development Fund	--	(1.00)
	(7) Staff Welfare Fund	--	(0.5)
	(8) Exgratia to Staff	--	(3.16)
	Total	--	(30.33)

(Figures shown in bracket pertains to F.Y. 2009-10)

As per Byelaw No.37 of the Federation, the appropriation of surplus for the year 2010-11 shall be made by the General Body in the Annual General Meeting.

JOURNAL ACTIVITIES

INCOME

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)	
		2010-11	2009-10
1.	Journal Subscription	41060.00	40980.00
2.	Advertisement charges	86000.00	97000.00
3.	Sale of Publications	360.00	180.00
4.	Excess provision written back	2277.00	2906.00
TOTAL (1 to 4)		129697.00	141066.00

EXPENDITURE

1.	Printing charges	154240.00	132923.00
2.	Postage, Tel. & Telegrams	13531.18	14642.00
3.	Honorarium to Contributors/ Authors/other expenses	5200.00	7100.00
4.	Provision for BDDR	50020.00	--
5.	Excess provision Written off	--	60.00
6.	Miscellaneous Expenses	1145.00	1415.00
TOTAL (1 to 6)		224136.18	156140.00
Net Surplus/Net Deficit (+)/(-)		(-)94439.18	(-)15074.00

VII. ENDOWMENT FUNDS

The position of various endowment funds as on 31st March 2011 are briefly enumerated below :

Name of the Fund	Balance as on 31.3.2011	Activities under the Fund
1. B. Venkatratnam Memorial Fund	77,861.99	B.V. Memorial Trophy is awarded for the best ARDB in Category-I every year.
2. Udaybhansinhji Memorial Fund	1,24,473.42	(i) Awarding prizes to the meritorious trainees of Diploma Course in Land Development Banking at the Institutes of Coop. Management in the country run by the National Council for Coop. Training. (ii) Udaybhansinhji Memorial Trophy awarded to category-I every year.
3. Dattatrayalu Memorial Fund	59,647.50	The Dattatrayalu Trophy for the best bank in Category-III is awarded every year
4. M.N. Nambiar Memorial Fund constituted by Kerala SCARDB	52,570.86	M.N. Nambiar Trophy is awarded for the best performance in lending by ARDBs every year.
5. Punjab Chief Minister's Trophy Fund Constituted by Punjab SCARDB	46,331.00	Punjab Chief Minister's Trophy is awarded for best performance in Recovery by ARDBs every year.
6. Silver Jubilee Fund	3,27,405.10	Under this Fund, Federation is giving Fellowship of Rs.25,000/- to one employee or any member bank or ward of a member bank of any member bank for doing the Post Graduates Business Management Diploma Course conducted by VAMNICOM, Pune.
7. Asian Raiffeisen Center Fund constituted by Federation.	1,42,632.18	-
TOTAL	8,30,922.05	

VIII. GENERAL BODY, BOARD AND EXECUTIVE COMMITTEE

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd., Patna.
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajaya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.

21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

Board of Management

As per Byelaws No.20(iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The Board of Management as on 31.3.2011 consisted of the following persons:-

Sr. No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri K. Sivadasan Nair, MLA Chairman	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
2.	Shri Gobinda Roy, Vice Chairman	West Bengal State Coop. Agri. & Rural Development Bank Ltd.
3.	Shri B.H. Jadeja, MLA, Vice Chairman	Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
4.	Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Vice Chairman	Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.
5.	Shri Bijay Kumar Singh	Bihar Rajya Sahakari Bhumi Vikas Bank Simit
6.	Shri Devendra Kumar Pandey	Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd.
7.	Shri R.G.N. Mule	Goa State Cooperative Bank Ltd.
8.	Shri Dalip Singh Yadav	Haryana State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
9.	Shri S.S. Chauhan	Himachal Pradesh State Coop. Agri. & Rural Development Bank Ltd.
10.	Shri C.K. Rajendran	Kerala State Coop. Agri. & Rural Development Bank Ltd.
11.	Shri Kishan Singh Bhatol	Madhya Pradesh State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Sr. No.	Name of Board Member	Member Bank representing
12.	Ms. Roshan Warjri	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
13.	Shri J. Sekar	Pondicherry Cooperative Central Land Development Bank Ltd.
14.	Shri Nawal Kishore	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
15.	Shri K.K. Ravindran	Ex-officio

Six positions in the Board remained vacant as on 31.3.2011 due to change of nominations of representatives of member banks who were elected to the Board.

Executive Committee

1. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman.
2. Shri B.H. Jadeja, Chairman, Gujarat SCARDB.
3. Shri Gobinda Roy, Chairman, West Bengal SCARDB.
4. Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman, Punjab SCADB.
5. Shri Dalip Singh Yadav, Director, Haryana SCARDB.
6. Shri J. Sekhar, Chairman, Pondicherry CCLDB.
7. Shri Kishan Singh Bhatol, Chairman, Madhya Pradesh SCARDB.
8. Shri R.G.N. Mule, Chairman, Goa SCB.
9. Shri Bijay Kumar Singh, Chairman, Bihar RSBVB.
10. Smt. Roshan Warjri, Chairperson, Meghalaya CAB.
11. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Administrative Committee

1. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman.
2. Shri B.H. Jadeja, Vice Chairman.
3. Shri Gobinda Roy, Vice Chairman.
4. Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Vice Chairman.
5. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Meeting of General Body, Special General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2010-11

The Meetings of the General Body, Administrative Committee and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below :

MEETINGS	PLACE	DATE
(a) General Body (50th Meeting)	Goa	09 Aug. 2010
(b) Board of Management 129th Board 130th Board 131st Board	Pondicherry Goa Uttarakhand	16 April 2010 09 Aug. 2010 07 Dec. 2010
(c) Executive Committee Meeting	Goa	09 Aug. 2010

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing the regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under debenture floatations, advances, recovery etc., also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1) Package for Revival of Long Term Cooperative Credit structure based on recommendations of Vaidyanathan Task Force II Stage of progress of implementation.
- 2) Suggestions in First Meeting of Standing Committee of CEOs
- 3) Proposal to approach state govts to constitute State level Task Force to strengthen long term cooperative credit structure.
- 4) Revision of rate of interest on refinance.
- 5) Financing Joint liability Groups (JLGs) of Micro entrepreneurs/Artisans in non farm sector.
- 6) Agriclinc and Agribusiness Centres scheme Inlcusion of the new categories of candidates.
- 7) Performance of member banks in key operational areas.

- 8) Centrally sponsored scheme Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits
- 9) Centrally sponsored scheme for establishing 'Poultry Estates" and mother units for rural backyard poultry.
- 10) Centrally sponsored scheme Establishment/modernization of rural slaughter houses.
- 11) Capital Investment Subsidy Scheme (CISS) for rural godowns Farmer category and Multistorey godowns.
- 12) United Nations Proclamation regarding International Year of Cooperatives
- 13) Message from ICA on the occasion of International Women's Day - 8 March 2010.
- 14) Revival package for long term cooperative credit structure Present position.
- 15) Deposit mobilization by ARDBs.
- 16) Recovery strategies and Action Plan.
- 17) Action points based on deliberations in the 2nd meeting of Standing Committee of CEOs.
- 18) Income Tax issues of SCARDBs
- 19) Review of member banks' operations during the year 2009-10
- 20) Eligibility norms for NABARD refinance during 2010-11
- 21) Dairy and Poultry venture capital funds.
- 22) Subsidy schemes for Fisheries development funded by National Fisheries Development Board.
- 23) Golden Jubilee Year of the Federation.
- 24) Revival Package for long term cooperative term credit structure.
- 25) Banking licence for long term cooperative credit structure.
- 26) Proposal for organizing zonal seminars on preparedness for revival.
- 27) Formulation of Business Development Plans for the next five years.
- 28) Preparedness for Revival Review of progress in

- (1) Intensive recovery drive
 - (2) Deposit Mobilisation
 - (3) Introducing short term loan products
- 29) Interest rates on NABARD refinance
 - 30) Performance of member banks in key operational areas.
 - 31) Draft manual on Internal check and control systems for ARDBs prepared by NABARD.
 - 32) Credit flow to agriculture Agricultural loans waiver of margin/ security requirements.
 - 33) Dairy and Poultry Venture capital funds Dairy entrepreneurship Development Scheme (DEDS)
 - 34) Centrally sponsored scheme for utilization of fallen animals.
 - 35) Sanction of term loans to state governments under section 27 of the NABARD Act, 1981 for contribution to share capital of cooperative credit institutions Policy for the year 2010-11.
 - 36) Centrally sponsored scheme Integrated Development of small Ruminants and Rabbits Revised operational guidelines.

IX. REPRESENTATION AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS

Membership at National and International Levels At the national level, the Federation continued its membership with the

- 1) National Co-operative Union of India (NCUI)
- 2) Indian Merchants' Chamber (IMC)
- 3) Indian Banks' Association (IBA)
- 4) Centre for International Co-operation and Training in Agricultural Banking (CICTAB) and
- 5) Indian Society for Studies in Cooperation.

The Federation is also holding membership as shareholder of the

- 1) National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC), New Delhi.
- 2) Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC), New Delhi.
- 3) Co-operative Bank of India (COBI), New Delhi.

The Federation is represented on the management of some of these institutions.

At international level, the Federation continued to be affiliated to the

- 1) International Cooperative Alliance (ICA), Geneva.
- 2) International Raiffeisen Union (IRU), Bonn and
- 3) Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA), Bangkok.

Affiliation to these international bodies gave the Federation and member banks opportunity to interact with fellow members at regional and global levels on matters of common interest.

Representation and participation of Chairman and Chief Executive National Level

The Federation continued close liaison with various agencies including Central and State Governments, NABARD, RBI etc., during the year under report.

The Chairman and Managing Director of the Federation were either nominated or continued to represent on various bodies as also on committees constituted by the Govt. of India, Reserve Bank of India, NABARD, NCUI, COBI etc. They attended the meetings on various Boards/Committees besides participating in the Seminar, Workshop, Conference etc., convened at different levels.

During the year under report, the Chairman of the Federation was nominated/represented as a member of the following committees/Board.

- (i) General Body and Governing Council of NCUI.
- (ii) Board of Trustees of the National Institute for Rural Banking.
- (iii) Member on the Committee for Cooperative Education constituted by NCUI.
- (iv) Member of the Board of Directors, NAFFAC.
- (v) Member, National Council for Cooperative Training.

- (vi) Member, General Body of ICA.
- (vii) Member, General Body of ICA (ROAP).
- (viii) Member, General Body of IRU.

The Managing Director was also nominated and continued to represent the Federation on the following Committee/Boards during the year.

- (i) Vice Chairman, Global HRD Committee of ICA.
- (ii) Member, General Council, APRACA.
- (ii) ICA Committee on Human Resource Development for Asia and the Pacific.
- (iii) Member, Governing Council, Indian Society for Studies in Cooperation.
- (iv) Member of General Council and Committee of Directors of CICTAB.

X. ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation is grateful to the management of NABARD and its officers for their initiatives and guidance in strengthening ARDBs, and refinance support to SCARDBs. The Board places on record the support and guidance received from Shri U.C. Sarangi, Chairman, Dr. K.G. Karmakar, Managing Director, Executive Directors and other Executives and Officers of NABARD.

NCDC has been providing funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better. We acknowledge our gratitude to the Board of NCDC and more particularly Shri Govindan Nair, Managing Director respectively, for the same.

Government of India, Ministry of Finance is in the process of finalizing the package for reviving long term cooperative credit structure based on the recommendations of VTF II. The Board places on record its gratitude to Financial Minister Shri Pranab Mukherjee, Secretary (Financial Services) Shri Shashi Kant Sharma, Joint Secretary (Financial Services) Shri Umesh Kumar for their valuable contributions in this regard.

The Board places on record its appreciation and gratitude to Shri Sharad Pawar, Hon'ble Minister for Agriculture for the valuable support extended to the sector and to Secretary (Agri. & Coopn.) Shri Prabeer Kumar Basu and Joint Secretary & Central Registrar of Cooperative Societies Shri Rajendra Kumar Tiwari and other officers of the Ministry for the support and guidance given to the Federation.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr. Chandrapal Singh Yadav, President and Ms. Anita Manchanda, Chief Executive.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge our deep debt of gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on

record the dynamic leadership of Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman with the able support of Vice Chairpersons Shri Gobinda Roy, Shri Sukhdarshan Singh Mrar and Shri B.H. Jadeja, MLA, to the Federation and the LT credit sector during an extremely challenging period.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

**K. Sivadasan Nair, MLA
Chairman**

TABLE 1 - DEBENTURES / BORROWING RAISED (In Rupees Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	RAISED DURING 2010-11				GRAND TOTAL	
		From NABARD (Incl. Hsg)	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ HUDCO/NHB)	(2010-11) (3+4+5+6)	(2009-10)
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Assam	NR	NR	NR	NR	NR	0.00
2)	Bihar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3)	Chhattisgarh	1,279.00	9.15	3.19	0.00	1,291.34	1,365.29
4)	Gujarat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5)	Haryana	39,998.57	382.26	382.26	19,750.00	60,513.09	49,550.53
6)	Himachal Pradesh	5,799.59	0.00	0.00	0.00	5,799.59	0.00
7)	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8)	Karnataka	15,601.88	348.17	348.17	0.00	16,298.22	17,083.09
9)	Kerala	41,417.56	10.57	10.57	20,000.00	61,438.70	25,421.72
10)	Madhya Pradesh	1,016.89	22.76	22.76	0.00	1,062.41	15,468.30
11)	Maharashtra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12)	Orissa	NR	NR	NR	NR	NR	NR
13)	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	488.97	488.97	157.98
14)	Punjab	30,846.75	566.84	100.00	0.00	31,513.59	39,525.22
15)	Rajasthan	20,310.08	271.43	271.42	0.00	20,852.93	20,942.57
16)	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	17,775.00	17,775.00	14471.00
17)	Tripura	NR	NR	NR	NR	NR	NR
18)	Uttar Pradesh	59,981.71	598.87	372.05	0.00	60,952.63	60,949.27
19)	West Bengal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,472.80
	TOTAL	234,252.03	2,210.05	1,510.42	58,013.97	295,986.47	262,407.86

Note:- NR denotes Not Reported

TABLE 2 - DEBENTURES / BORROWINGS OUTSTANDING AS ON 31 MARCH

(In Rupees Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2011					GRAND TOTAL	
		Ordinary Deb.Prog.	From NABARD (Incl. Hsg)	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ HUDCO/ NHB)	(31/03/2011) (3+4+5+6+7)	31/3/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Assam	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0.00
2)	Bihar	892.88	1,086.92	860.00	99.06	0.00	2,939.46	5,259.21
3)	Chhattisgarh	0.00	14,181.95	289.65	441.47	415.63	15,328.70	16,854.24
4)	Gujarat	0.00	13,685.00	257.93	0.00	99.11	14,042.04	19,205.40
5)	Haryana	767.00	192,147.89	5,000.72	4,432.49	19,305.00	221,653.10	201,974.00
6)	Himachal Pradesh	70.00	24,211.09	610.05	21.47	0.00	24,912.61	22,891.80
7)	Jammu & Kashmir	NR	NR	279.28	336.72	616.00	1,232.00	2,775.19
8)	Karnataka	884.00	141,836.24	4,246.25	7,063.48	0.00	154,029.97	152,740.57
9)	Kerala	0.00	164,715.17	2,242.05	2,243.39	23,871.57	193,072.18	191,280.44
10)	Madhya Pradesh	940.00	91,104.92	3,386.07	4,719.64	0.00	100,150.63	123,994.68
11)	Maharashtra	1,019.00	0.00	441.57	6,639.14	84,469.16	92,568.87	95,318.17
12)	Orissa	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
13)	Pondicherry	4.00	16.33	0.91	2.12	522.49	545.85	307.35
14)	Punjab	0.00	199,933.72	872.86	99.03	0.00	200,905.61	204,519.20
15)	Rajasthan	0.00	125,518.52	3,225.34	2,931.55	0.00	131,675.41	132,593.19
16)	Tamil Nadu	1,005.00	0.00	0.00	6,194.00	11,175.00	18,374.00	13,980.87
17)	Tripura	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
18)	Uttar Pradesh	0.00	248,354.30	6,092.50	6,400.31	0.00	260,847.11	259,222.22
19)	West Bengal	0.00	80,717.29	0.00	0.00	0.00	80,717.29	71,863.31
	TOTAL	5,581.88	1,297,509.34	27,805.18	41,623.87	140,473.96	1,512,994.83	1,514,779.84

Note:- NR denotes Not Reported

TABLE 3 - DEPOSIT MOBILIZATION PROGRAMME

(In Rupees Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	Deposits Raised During		Deposits Outstanding as on	
		2010-11	2009-10	31/03/2011	31/03/2010
1	2	3	4	5	6
1)	Assam	N.R.	21.59	N.R.	37.81
2)	Bihar	0.00	0.00	0.02	0.02
3)	Chhattisgarh	1,312.81	1,478.36	2,055.34	1,866.46
4)	Gujarat	9,647.78	7,982.35	13,288.04	13,869.78
5)	Haryana	0.00	0.00	0.00	0.00
6)	Himachal Pradesh	407.96	274.70	1,584.27	1,176.31
7)	Jammu & Kashmir	330.74	241.35	717.78	387.05
8)	Karnataka	584.47	531.31	1,579.06	1,435.51
9)	Kerala	0.00	0.00	0.00	0.00
10)	Madhya Pradesh	0.00	531.16	12,242.95	12,337.34
11)	Maharashtra	0.00	0.00	0.00.	0.00
12)	Orissa	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	Pondicherry	618.79	570.49	866.15	874.04
14)	Punjab	2,250.18	1,175.35	4,524.46	4,696.90
15)	Rajasthan	258.59	209.17	432.23	296.19
16)	Tamil Nadu	1,640.81	693.82	4,628.53	3,796.24
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	1,794.05	1,605.40	5,784.18	3,990.13
19)	West Bengal	1,632.87	1,981.38	9,700.78	8,067.91
	TOTAL	20,479.05	17,296.43	57,403.79	52,831.69

Note:- N.R. denotes Not Reported

TABLE 4 - LOANS / ADVANCES DISBURSED DURING THE YEAR AND OUTSTANDING AS ON 31 MARCH

(In Rupees Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	DISBURSED DURING 2010-11		GRAND TOTAL		OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2011		GRAND TOTAL	
		FARM SECTOR	NON-FARM SECTOR (Incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	(2010-11) (3+4)	(2009-10)	FARM SECTOR	NON-FARM SECTOR (Incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	(2010-11) (7+8)	(2009-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Assam	N.R.	N.R.	N.R.	7.65	N.R.	N.R.	N.R.	965.42
2)	Bihar	0.00	33.38	33.38	0.00	1,533.30	5,079.52	6,612.82	6,764.80
3)	Chhattisgarh	1,248.96	71.54	1,320.50	1,490.11	14,623.22	143.99	14,767.21	15,943.67
4)	Gujarat	11,998.25	2,343.26	14,341.51	12,931.86	55,587.79	306.90	55,894.69	59,667.80
5)	Haryana	36,770.90	4,755.07	41,525.97	38,866.05	162,808.94	41,620.10	204,429.04	190,534.00
6)	Himachal Pradesh	3,276.09	1,530.24	4,806.33	4,073.85	15,074.76	11,060.64	26,135.39	24,827.60
7)	Jammu & Kashmir	275.98	8.70	284.68	524.21	825.67	369.21	1,194.88	1,149.08
8)	Karnataka	19,057.58	285.55	19,343.13	18,725.98	6,785.91	129,657.69	136,443.60	136,611.30
9)	Kerala	21,410.93	67,646.46	89,057.39	68,941.93	62,873.00	156,723.35	219,596.35	195,801.70
10)	Madhya Pradesh	271.46	691.59	963.05	6,983.13	N.R.	N.R.	N.R.	94,040.42
11)	Maharashtra	0.00	0.00	0.00	0.00	N.R.	N.R.	N.R.	48,624.60
12)	Orissa	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	Pondicherry	0.50	1,336.67	1,337.17	1,143.86	13.62	1,534.55	1,548.17	1,292.08
14)	Punjab	28,233.76	16,904.11	45,137.87	42,947.55	N.R.	N.R.	N.R.	216,802.22
15)	Rajasthan	20,429.40	4,635.02	25,064.42	25,899.21	0.00	0.00	0.00	142,677.63
16)	Tamil Nadu	18.65	43,511.70	43,530.35	29,142.53	2,586.74	52,744.26	55,331.00	37,363.12
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	60,790.74	12,058.18	72,848.92	70,289.34	N.R.	N.R.	355,580.00	320,496.00
19)	West Bengal	18,051.24	5,488.22	23,539.46	20,914.10	60,363.70	24,023.53	84,387.23	79,543.17
	TOTAL	221,834.44	161,299.69	383,134.13	342,881.36	383,076.65	423,263.74	1,161,920.38	1,573,104.61

Note:- N.R. denotes Not Reported

TABLE 5 - PROFIT / LOSS AS ON 31 MARCH

Sr.No	Name of the Bank	Profit/Loss at SCARDB Level (Amt. in Rs. lakh)	Profit/Loss at SCARDB Level (Amt. in Rs. lakh)
		2010-11*	2009-10
1	2	3	4
1)	Assam	N.R.	(345.64)
2)	Bihar	(28,378.05)	(26,316.41)
3)	Chhattisgarh	N.R.	(1,311.61)
4)	Gujarat	3711.49	2,578.51
5)	Haryana	N.R.	498.07
6)	Himachal Pradesh	110.00	117.54
7)	Jammu & Kashmir	(4,599.81)	(4,290.81)
8)	Karnataka	4.76	5.49
9)	Kerala	1812.28	1,751.75
10)	Madhya Pradesh	N.R.	(6,086.98)
11)	Maharashtra	N.R.	(56,295.90)
12)	Orissa	N.R.	N.R.
13)	Pondicherry	(87.49)	(89.88)
14)	Punjab	2900.00	2,744.79
15)	Rajasthan	1327.00	1,884.67
16)	Tamil Nadu	507.04	4956.75
17)	Tripura	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	N.R.	1060.24
19)	West Bengal	650.00	892.99
	TOTAL	(22,042.78)	(78,246.43)

Note:- Figures in Brackets indicate loss

* Tentative figures

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

Sr. No	Name of the Bank	NPA - AS ON 31 MARCH 2011			NPA - AS ON 31 MARCH 2010		
		Total Loan Outstanding* (31.03.11) (Rs. lakh)	Of the item 3		Total Loan Outstanding (31.03.10) (Rs. lakh)	Of the item 6	
			NPAs (Rs. lakh)	% of NPA to Total Loans Outstanding as on 31.03.11		NPAs (Rs. lakh)	% of NPA to Total Loans Outstanding as on 31.03.10
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Assam	N.R.	N.R.	N.R.	965.42	948.48	98.25
2)	Bihar	6,612.87	5,513.06	83.30	6,764.80	5,987.95	88.50
3)	Chhattisgarh	17,910.29	N.R.	N.R.	19,216.89	9,532.41	49.60
4)	Gujarat	55,894.69	27,644.71	49.46	59,667.80	30,662.50	51.39
5)	Haryana	214,007.01	72,012.27	33.65	192,961.00	54,983.00	28.49
6)	Himachal Pradesh	27,184.41	11,689.30	43.00	24,827.60	11,504.33	46.34
7)	Jammu & Kashmir	1,194.88	411.73	34.46	1149.08	529.30	46.06
8)	Karnataka	136,443.60	33,678.24	24.68	136,611.30	39,543.43	28.95
9)	Kerala	209,757.40	N.R.	N.R.	190,812.55	10,586.52	5.55
10)	Madhya Pradesh	N.R.	N.R.	N.R.	121,193.71	48,588.39	40.09
11)	Maharashtra	N.R.	N.R.	N.R.	116,174.10	113,503.23	97.70
12)	Orissa	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	Pondicherry	1,540.55	N.R.	N.R.	1,292.08	63.04	4.88
14)	Punjab	N.R.	N.R.	N.R.	207,803.19	177.85	0.09
15)	Rajasthan	N.R.	N.R.	N.R.	149,478.81	27,419.42	18.34
16)	Tamil Nadu #	134,684.83	21,332.65	15.80	118,237.77	17,816.03	15.07
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	307,504.00	165,155.00	53.71	320,496.00	168,455.56	52.56
19)	West Bengal	96,002.85	N.R.	N.R.	82,066.58	14,684.19	17.89
	TOTAL	1,208,737.38	337,436.96	27.92	1,749,718.68	554,985.63	31.72

Note: # Tamilnadu SCARDB's Farm Sector Waiver Amount - Blocked in 2006 - Rs. 82018.95 Lakhs included

* Tentative Figures, N.R. denotes Not Reported

TABLE 7 - RECOVERY PERFORMANCE AT ULTIMATE BORROWERS' LEVEL

(In Rupees Lakh)

Sr. No	Name of the Bank	At Ultimate Borrowers level									
		30.06.09					30.06.10				
		Demand	Collection	Balance	%of Recovery to demand	Demand	Collection	Balance	%of Recovery to demand		
1.	Assam	391.73	105.36	286.37	26.90	366.67	134.19	232.48	36.60		
2.	Bihar	27,478.37	522.33	26,956.04	1.90	31,794.26	2,228.29	29,565.97	7.01		
3.	Chhattisgarh	10,673.10	5,319.06	6,179.32	49.84	10,943.07	5,784.33	5,158.74	52.86		
4.	Gujarat	60,976.69	22,487.65	38,489.04	36.88	59,113.39	24,633.55	34,479.84	41.67		
5.	Haryana	112,076.05	22,523.84	89,552.21	20.10	138,120.00	37,410.00	100,710.00	27.09		
6.	Himachal Pradesh	2,825.00	1,671.00	1,154.00	59.15	12,190.74	6,265.51	5,925.23	51.40		
7.	Jammu & Kashmir	NR	NR	NR	NR	1,398.96	350.24	1,048.72	25.04		
8.	Karnataka	72,164.03	35,324.40	36,839.63	48.95	68,819.82	29,929.67	38,890.15	43.49		
9.	Kerala	80,483.27	48,308.46	32,174.81	60.02	89,839.02	60,089.36	29,749.66	66.89		
10.	Madhya Pradesh	68,802.96	20,292.62	48,510.34	29.49	88,679.63	23,186.19	65,493.44	26.15		
11.	Maharashtra	82,174.75	6,550.31	75,624.44	7.97	79,308.03	16,517.13	62,790.90	20.83		
12.	Orissa	2,158.61	474.35	1,684.26	21.97	NR	NR	NR	NR		
13.	Pondicherry	1,318.91	1,008.64	113.74	76.48	1,274.62	1,219.79	54.83	95.70		
14.	Punjab	96,456.40	53,937.16	42,519.24	55.92	122,785.58	72,901.14	49,884.44	59.37		
15.	Rajasthan	107,428.05	43,064.65	64,363.40	40.09	102,299.79	38,712.81	63,586.98	37.84		
16.	Tamil Nadu	20,906.72	2,521.35	18,385.37	12.06	21,450.66	7,713.77	13,736.89	35.96		
17.	Tripura	981.02	600.62	380.40	61.22	NR	NR	NR	NR		
18.	Uttar Pradesh	176,713.94	67,723.39	108,990.55	38.32	171,981.59	74,684.89	97,296.70	43.43		
19.	West Bengal	23,450.62	15,761.61	7,689.01	67.21	36,437.07	17,476.04	18,961.03	47.96		
	TOTAL	947,460.22	348,196.80	599,892.17	36.75	1,036,802.90	419,236.90	617,566.00	40.44		

Note:- Source Annual Statistical Bulletin 2008-09, 2009-10
For the year 2009-10, Orissa & Tripura SCARDBs didn't furnish the data

TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA

Sr.No	Name of the Bank	Number of Branches (Unitary / Mixed Structure)		Number of PCARDBs (Federal / Mixed Structure)		Number of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Membership (Borrowings + Nonborrowings)		Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Board		Staff of SCARDBs (number)		Staff of PCARDBs (number)	
		31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Assam	N.R.	28	0	0	0	0	N.R.	37,372	N.R.	3,164	N.R.	N.R.	N.A.	N.A.	N.R.	258	N.A.	N.A.
2)	Bihar	131	131	0	0	0	0	703,909	709,298	473,048	472,437	Yes	Yes	N.A.	N.A.	799	824	N.A.	N.A.
3)	Chhattisgarh	0	0	12	12	77	77	N.R.	214,403	N.R.	53948	Yes	Yes	N.R.	N.R.	50	53	354	376
4)	Gujarat	181	181	0	0	0	0	675226	676206	675226	676206	Yes	Yes	N.A.	N.A.	476	410	N.A.	N.A.
5)	Haryana	0	0	19	19	87	87	733185	748716	333312	368374	Yes	Yes	18	19	142	147	1368	1453
6)	Himachal Pradesh	33	33	1	1	16	16	76,189	75,532	47,219	48,305	Yes	Yes	1	1	133	140	59	61
7)	Jammu & Kashmir	45	45	0	0	0	0	92131	91615	73123	72607	No	No	N.A.	N.A.	150	152	N.A.	N.A.
8)	Karnataka	0	0	177	177	0	0	1073414	1062098	677656	666340	Yes	Yes	175	175	404	431	N.R.	1131
9)	Kerala	0	0	50	49	169	169	1035836	1035336	737023	737035	Yes	Yes	50	49	340	349	1025	1049
10)	Madhya Pradesh	0	0	38	38	347	352	396,320	412,742	275,540	309,962	No	No	34	36	N.R.	342	N.R.	2033
11)	Maharashtra	0	0	29	29	217	253	N.R.	1130393	N.R.	50884	No	No	2	2	173	191	1448	1600
12)	Orissa	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	Pondicherry	1	1	0	0	0	0	15511	15012	3334	3293	Yes	Yes	N.A.	N.A.	33	30	N.A.	N.A.
14)	Punjab	0	0	89	89	0	0	836660	840676	223564	259710	Yes	Yes	81	78	236	246	636	707
15)	Rajasthan	0	0	36	36	131	131	N.R.	1364573	N.R.	733286	Yes	No	N.R.	36	131	138	N.R.	680
16)	Tamil Nadu	0	0	180	180	1	0	2,281,347	2,200,379	509,580	399,060	No	No	N.R.	N.R.	157	168	547	602
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	323	323	0	0	0	0	2,535,893	2,396,996	2,353,309	2,212,427	No	No	N.A.	N.A.	3,082	3,220	N.A.	N.A.
19)	West Bengal	2	2	24	24	N.R.	68	377,905	343,550	239,735	217,941	Yes	Yes	20	20	140	135	582	621
	TOTAL	716	744	655	654	1045	1153	10833526	13354897	6621689	7284979	-	-	381	416	6446	7234	6019	10313

Note: N.A. Not Applicable • N.R. Not Reported




Dr. Bijender Singh, Chairman NAFED & NAFSCOB addressing the delegates on the occasion of 129th Board Meeting & Seminar on Sharing of Experiences in Loan Recovery of the NCARDB Federation Ltd, at Pondicherry on 16th April 2010.



Managing Director making the presentation at National Seminar on “Preparedness of ARDBs for Revival”, at Goa On 9th August 2010.



Chairman addressing 131st Board Meeting of the NCARDB Federation Ltd, at Jim Corbett National Park, Ramnagar (Uttarakhand) on 7th December 2010.



Inaugural session of Zonal Seminar on “Preparedness of ARDBs for Revival” of East and North East Zone, at Kolkata on 8-9 January 2011



Delegates on the Dias on the occasion of Zonal Seminar on “Preparedness of ARDBs for Revival” of Central & West Zone at Ahmedabad, on 23-24 January 2011



Chairman addressing the Zonal Seminar on “Preparedness of ARDBs for Revival” of North Zone at Chandigarh, on 1-2 February 2011



Zonal Seminar on “Preparedness of ARDBs for Revival” of North Zone at Chandigarh on 1-2 February 2011 - A view of participants.



Inaugural session of Zonal Seminar on “Preparedness of ARDBs for Revival” of South Zone, at Thiruvananthapuram on 10-11 February 2011

इक्यावनवीं वार्षिक रिपोर्ट २०१० - २०११



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन (लिमिटेड)

७०१, ७वीं मंझिल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन (कार्यालय) : २७८१ ४२२४(एम.डी) : २७८१ ४११४, २७८१ ४४२६
ईपीबीएक्स : २७८१ ४२२६ तार : भूमिविकास
गेस्ट हाऊस : २५५१४५१८ फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard@vsnl.net.in वेबसाईट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई संघ की वार्षिक आम बैठक

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संघ मर्यादित की वार्षिक आम बैठक बुधवार, 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे होटल बावा इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मुंबई में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु आहूत की जाएगी:

1. संघ की 9 अगस्त 2010 को बागमेलो बीच रिसॉर्ट, गोवा में सम्पन्न वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना.
2. वर्ष 2010-11 के खातों के लिए लेखा परिक्षित वक्तव्यों पर विचार.
3. वर्ष 2010-11 के अधिशेष का निस्तारण.
4. 31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की सांविधिक रिपोर्ट पर विचार.
5. 31.3.2011 को लेखा रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर अनुपालन रिपोर्ट पर विचार.
6. वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक रिपोर्ट पर विचार.
7. वर्ष 2010-11 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा शुल्क का निर्धारण.
8. वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक बजट पर विचार.

बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 और संघ के उपनियमों के अनुसार आम समिति में संघ के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि शामिल होगा जो बैंक के बोर्ड का प्रमुख/अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी या कोई सदस्य होगा जो कि उस बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एक संकल्प के माध्यम से नामित किया जाएगा या जहां बोर्ड न हो उस सदस्य बैंक के प्रशासक या जिस किसी भी नाम से उसे पुकारा जाता हो, के द्वारा नामित किया जाएगा. तदनुसार, सदस्य बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे आम समिति के अपने प्रतिनिधि के नाम को बोर्ड के संकल्प के साथ आम समिति की बैठक से कम से कम 10 दिन पहले संघ को सूचित करें.

प्रबंध मंडल के आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित

(के.के. रविन्द्रन)

प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18 अगस्त 2011

1. आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थ व्यवस्था 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण आई मंदी से उल्लेखनीय तेजी से उभरी है. 2010-11 में कृषि क्षेत्र में प्रतिक्षेप और विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर गति के कारण विकास मजबूत रहा, हालांकि सेवाओं में मंदी थी जो मुख्यतः सामुदायिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवाओं के कारण थी और गत दो सालों में राजकोषीय प्रोत्साहन के आधारभूत प्रभाव को दर्शा रही थीं. आर्थिक परिदृश्य के अनुसार मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और वैश्विक जोखिमों जैसे कि खाद्य व कमोडिटी मूल्यों व यूरोपीय देशों में ऋण समस्या को शांत करने के लिए कड़ी मौद्रिक नीतियों को बने रहना पड़ेगा.

2004-05 के स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अनुमानित स्तर पर कारक लागत (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद) पर 2010-11 में समाहित विकास कृषि में 5.4% था, जो पिछले साल मंदी से प्रतिक्षेपित था, उद्योग में विकास 8.1% रहा जो साल 2009-10 में 8.0% था; और सेवाओं में 2009-10 की 10.1% की वृद्धि के विरुद्ध 9.6% की मंद वृद्धि रही. मांग पक्ष पर, बचत और निवेश में वृद्धि और निजी उपभोग में उठाव के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्थिर बाजार मूल्यों पर 2010-11 में 9.7% मजबूत वृद्धि हुई. मौद्रिक सुधारों की अनुक्रमित व धीरे-धीरे वापसी मुद्रास्फीति के दबावों में मदद कर रही है. मुद्रास्फीति जो चालू वित्त वर्ष के बड़े हिस्से के लिए ऊंचे स्तर पर बनी रही वह बड़े पैमाने पर खाद्य वस्तुओं से प्रेरित थी.

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 2010-11 की जीडीपी का अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है. भारतीय अर्थ व्यवस्था चालू वित्त वर्ष में तीव्र गति से दृढ़तापूर्वक बढ़ रही है. वर्ष 2010-11 में वास्तविक जीडीपी में 8.6% की वृद्धि है, जो 2009-10 के संशोधित 8.0% विकास और 2008-09 के 6.8% विकास के साथ है, और अर्थ व्यवस्था पूर्व संकट के स्तर के निकट आ गई है. 2010-11 में विकास में अपघटन ने संकेत दिया कि यह उद्योग व सेवाओं में सभी संबंधित प्रमुख उप विभागों में व्यापक था, जबकि कृषि में इसके विपरीत था. कृषि क्षेत्र में अनाजों में 6.5%; तिलहन में 11.9%; कपास में 31.2%; गन्ने में 15.2%; फलों में 4.1%; और सब्जियों में 3.8% में वृद्धि के कारण अपेक्षाकृत तेजी से विकास का अनुमान है.

कृषि व संबंधित क्षेत्रों का विकास भारतीय अर्थ व्यवस्था के समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है. यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में वार्षिक आधार पर 2007-08 की त्रैवार्षिक समाप्ति पर औसत 5.0% से अधिक की वृद्धि हुई है जबकि वास्तविक जीडीपी में 9.0% से अधिक की वृद्धि हुई है. यह क्षेत्र 2010-11 के पूर्वार्ध में वास्तविक जीडीपी में 12.7% की वृद्धि का भागीदार है. वर्ष 1972 के बाद से सबसे बुरे दक्षिण-पश्चिम मानसून के अनुभव व 2009-10 में खरीफ की फसल में अनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद, रबी की फसल अच्छी होने के कारण प्राथमिक रूप से कृषि में विकास मामूली रूप से

0.4% रहा. सामान्य से अधिक बारिश के साथ, इस क्षेत्र में चालू वर्ष में विकास की संभावना 2010-11 के पूर्वार्ध के दौरान 3.8% की वृद्धि के साथ उज्ज्वल थी जो 2010-11 के पूर्वार्ध के दौरान 1.0% रही थी. सीएसओ के अग्रिम अनुमानों में कृषि व संबंधित क्षेत्रों में विकास 5.4% आंकी गई जिसका 2010-11 की वास्तविक जीडीपी में 14.2% समग्र हिस्सा निहित रहा.

2005-06 से 2008-09 तक लगातार चार सालों से, अनाज का उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति बनाए हुए है और इसने 2008-09 में 23.45 करोड़ टन के उच्च स्तर को छुआ. वर्ष 2009 में देश के कई हिस्सों में लंबे सूखे के कारण अनाजों का उत्पादन 2009-10 (चतुर्थ अग्रिम अनुमानों) में घट कर 21.820 करोड़ टन रह गया. प्रथम अग्रिम अनुमानों (केवल खरीफ की फसल) के अनुसार, 2010-11 के दौरान खरीफ की फसल का अनुमान 11.46 करोड़ टन था जो कि 12.53 करोड़ टन के लक्ष्य से कम है लेकिन 2009-10 (चतुर्थ अग्रिम अनुमानों) के दौरान दर्ज 10.38 करोड़ टन के खरीफ के उत्पादन से अधिक है. वर्ष 2010-11 में लक्ष्य की तुलना में अनुमानित खरीफ उत्पादन में कमी का मुख्य कारण देश के बड़े चावल उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति रही.

मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है. साल दर साल डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जिसकी प्रवृत्ति दिसंबर 2009 में आरंभ हुई थी वह चालू वित्त वर्ष में भी बनी हुई है. वित्त वर्ष 2010-11 द्वि-अंकीय हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ आरंभ हुआ. इस साल अच्छे मानसून के बावजूद, हेडलाइन मुद्रास्फीति वृद्धि के स्तर पर बनी रही जिसका कारण खाद्य पदार्थों में उच्च स्तर की स्फीति रही.

विश्व व्यापार परिमाण के अग्रानुक्रम में, भारत का निर्यात 2008-09 के मध्य तक वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने के बाद तेजी से गिरा; वे 2009-10 के उत्तरार्ध में उठे, जो पूरे 2010-11 में उठे तथा वे जून 2010 तक जारी रहा. इसके बाद अक्टूबर 2010 तक वृद्धि में मंदी आई और दिसंबर 2010 फिर उठाव आया जो 36.4% तक पहुंच गया, जो गत दो सालों से उच्चतम वृद्धि है. व्यापार घाटा (सीमा शुल्क के आधार पर) गत वर्ष की इसी अवधि में 80.1 अरब अमरीकी डॉलर से 2.4% बढ़ कर 2010-11 (अप्रैल-दिसंबर) में 82 अरब अमरीकी डॉलर हो गया. शुद्ध अदृश्य अधिशेष (अदृश्य प्राप्तियां ऋण भुगतान) 2010-11 के पूर्वार्ध के दौरान 39.1 अरब अमरीकी डॉलर तक कम रहा जो 2009-10 में तुलनात्मक रूप से 42.5 अरब अमरीकी डॉलर था. कम अदृश्य अधिशेष ऊंचे व्यापार घाटे के साथ मिलने के परिणाम स्वरूप चालू लेखा घाटा 2009-10 के पूर्वार्ध में 13.3 अरब अमरीकी डॉलर की तुलना में 2010-11 के पूर्वार्ध के दौरान 27.9 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया.

विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2009 के अंत पर 252 अरब अमरीकी डॉलर से मार्च 2010 के अंत पर 279.1 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 27.1 अरब अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्शा रहा है. भारत का विदेशी ऋण सितंबर 2010 के अंत पर 295.8 अरब अमरीकी डॉलर पर खड़ा था, जो मार्च 2010 के अंतिम स्तर पर 33.5 अरब अमरीकी डॉलर (12.8%) की वृद्धि

दर्ज कर रहा था. ऋण में वृद्धि का मुख्य कारण उच्च वाणिज्यिक ऋण, लघु अवधि व्यापार ऋण, व बहुपक्षीय सरकारी ऋण था.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2009 में स्वयं ही उदार रुख नीति की स्थिति से पीछे हटने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी. रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में नीतिगत दरें छह बार बढ़ाई जिसमें रेपो दरें इसकी नक़दी समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत संचयी रूप से 175 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाई गईं और इसे 6.5% तक बढ़ाया गया और रिवर्स रेपो दर 255 बीपीएस बढ़ाई गईं और इसे 5.5% तक कर दिया गया. नक़द भंडार अनुपात (सीआरआर) बैंकों की शुद्ध मांग व समय देयताओं (एनडीटीएल) का 6% था. वर्ष 2010-11 के लिए बजट 13वें वित्त आयोग की जीडीपी में मिश्रित सार्वजनिक ऋण अनुपात को 2014-15 तक 68% पर सीमित करने की सिफारिशों का अनुवर्तन करता है, जो इस मामले को स्थिति पत्र में विश्लेषित करने के आश्वासन के साथ, ही कमी करने की योजना भी बताता है. हालिया बजट में सुधार उपायों का संकेत है, जिसमें उर्वरकों, पेट्रोलियम व सार्वजनिक व्यय प्रबंधन पर आर्थिक सहायता सुधार, के साथ कराधान सुधार आने वाले हैं, जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे.

सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उत्तरोत्तर रूप से ऊपर जाता रहा है और यह 2010-11 के कुल योजना परिव्यय का 37% है. सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय में केन्द्र सरकार का हिस्सा जिसमें कुल व्यय (योजना व गैर योजना) में ग्रामीण विकास शामिल है वह 2005-06 में 13.75% से 2010-11 (बजट अनुमानों) में 19.27% तक बढ़ गया है. एमजीएनआरईजीए जो रोजगार गारंटी योजना देती है के तहत प्रगति संतोषजनक रही है. 2009-10 के दौरान इस योजना के तहत 5.26 करोड़ घरों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया जबकि 2008-09 के दौरान 4.51 करोड़ से अधिक घरों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया. 2010-11 के दौरान दिसंबर 2010 के अंत तक 4.10 करोड़ घरों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया. जबकि सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम व रोजगार सृजन योजनाओं के लिए सचेत रहकर बजटीय आबंटन में बड़े पैमाने पर वृद्धि की, वितरण तंत्र को मजबूत करने और इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सुव्यवस्था की आवश्यकता है.

ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहन राजनीतिक ध्यान आकर्षित करता रहा है. जलवायु परिवर्तन के समाधान पर भारत का दृढ़ संकल्प बढ़ती ऊर्जा क्षमता 2016 तक 20% का संकेतक लक्ष्य से प्रकट है, जो 2020 तक पूर्व सक्रिय नीतियों के जरिए जीडीपी की उत्सर्जन गहनता कम करने के घरेलू शमन लक्ष्य की पूरकता को 2005 के स्तर के 20-25% तक ले आएंगी.

(संदर्भ: आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11)

II. सहकारी दीर्घावधि ऋण संरचना – सिंहावलोकन

ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली भारत में दो विभिन्न प्रवाहों अल्पावधि एवं दीर्घावधि में ऋण देने के लिए कार्यरत है। दीर्घावधि ऋण संरचना की शुरुआत, १९२० के प्रारंभ में हुई, जब किसानों द्वारा लिए उनके पहले के ऋण को चुकाने के लिए भूमि बंधक बैंक की स्थापना १९२० में पंजाब में की गई। इसके बाद अन्य प्रान्तों में भी इसकी स्थापना की गई। प्रथम केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक की स्थापना मद्रास में डिबेंचरों को जारी करने एवं प्राथमिक भूमि बंधक बैंक के कार्यों के समन्वय के लिए की गई। बम्बई बैंकिंग इंकवायरी कमिटी (१९३०) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घावधि ऋण देने के लिए संसाधनों की कमी का उल्लेख किया एवं इसके लिए भूमि बंधक बैंक की स्थापना के लिए परामर्श दिया। भूमि बंधक बैंक का सन् १९३० एवं '४० के दशकों में पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह प्रसार हुआ। इसके लिए न कोई आकार तय था न ही उनके कार्य क्षेत्र को तय किया गया था। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थान के साथ भूमि बंधक बैंकों का पुनर्गठन किया जाए एवं इससे संबद्ध प्राथमिक भूमि बंधक बैंक तालुका स्तर पर हो। समिति ने कृषि के लिए ऋण में निवेश जैसी भूमिका निर्धारित कर भूमि विकास बैंक के कार्य क्षेत्र को विकासात्मक भूमिका प्रदान की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों की स्थापना प्रायः हर राज्य में की गई जो राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक बना तथा ९० के दशक में राज्य सहकारी कृषि व ग्राम विकास बैंक बन गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। एआरडीबी ने १९६० एवं ७० के दशकों में लघु सिंचाई एवं कृषि यांत्रिकीकरण के द्वारा जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में सराहनीय योगदान दिया है। कृषि कार्य में पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ ही इन बैंकों ने १९८० एवं ९० के दशकों में ग्रामीण और गैर कृषि क्षेत्रों को भी बड़े पैमाने पर वित्तपोषण करना शुरू किया। इससे, ग्रामीण परिवारों को उनकी आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिली। उनके उत्पादों पर अच्छी कीमतें मिलने के अलावा उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

एससीएआरडीबी एवं पीसीएआरडीबी तथा राज्य एवं प्राथमिक एआरडीबी के निर्वाचित बोर्ड सदस्यों के लगभग २५,००० कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को, एससीएआरडीबी द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहायता से संचालित जेएलटीसीएस, राज्य स्तरीय सहकारी प्रबंधन संस्थानों एवं स्तरीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (ICMs) & (RICMs) जिसका संचालन भारत सरकार के सहयोग से एनसीसीटी एवं नाबार्ड द्वारा संचालित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा पूरा किया जाता है। मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को मुख्यतः वॉमनिकॉम एवं कैब (VAMNICOM & CAB) पुणे तथा बर्ड (BIRD), लखनऊ एवं राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थान, बंगलुरु में प्रशिक्षण दिया जाता है।

लगभग सभी एसीएआरडीबी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को कम्प्यूटरीत कर दिया गया है जबकि सभी स्तरों की कार्यवाही को पूरी तरह से केरल और पंजाब एसीएआरडीबी द्वारा कम्प्यूटराइज़ किया जा चुका है। अन्य मुख्य एसीएआरडीबीओं द्वारा परिचालन को कम्प्यूटरीत करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चालू है।

एलटी स्ट्रक्चर ने कृषि के क्षेत्र में पूंजी निर्माण को गति देने में सहायक काम किया है। लेकिन, एआरडीबी की कार्यकुशलता, १९९० के दशक के बाद के हिस्से से कम होनी शुरू हो गई है जिसका मुख्य कारण अंतर्निहित कमियां हैं जो गैर-संसाधन आधारित विशेषज्ञता अवधि कर्ज एजेन्सियों के रूप में, उनके डिजाइन से जुड़ी हैं, जो अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों से स्पर्धा में पर्याप्त तीव्रता से वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार चलने की उनकी क्षमता को रोकती है।

इन कमियों के साथ, इस प्रणाली में कुछ आंतरिक एवं बाह्य अशक्तता एवं दोषों के कारण पिछले १० वर्षों में इनकी आर्थिक स्थिति एवं उनकी कार्यक्षमता में अत्यधिक हानि हुई है।

फरवरी २००८ में ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना की घोषणा के बाद क्षेत्र में ऋण उगाही बुरी तरह प्रभावित हुयी है। बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने फसलों को प्रभावित किया है व ऋण उगाही की प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप के कारण बकाया और एन.पी.ए. की बढ़ोत्तरी हुई है। यद्यपि, ऋण वसूली में पिछले दो वर्षों में सहायक बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन अभी भी अधिकतर बैंक चिंतामुक्त स्थिति से बाहर नहीं आये हैं।

राज्य स्तर और ए.आर.डी.बी. के प्राथमिक स्तर पर प्रशासन कई कारणों से बाधित होता है। स्वतंत्र और स्वायत्त संचालन की कमी, अधिकांश संस्थाओं में चुने गये बोर्ड की अनुपस्थिति, बिना किसी नियुक्ति प्रक्रिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का बार-बार परिवर्तन, विभिन्न संचालनीय क्षेत्रों में व्यावसायिक लोगों की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास प्रयास, बैंकों के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप इत्यादि खराब प्रशासन के लिये जिम्मेदार मुख्य कारण हैं।

इन कमियों के बावजूद भी यह ढांचा प्रासंगिक बना हुआ है एवं कृषि के कुल ऋण में आनुपातिक निवेश में इन कमियों को रोकने के लिए इसे पुनर्जीवित करना आवश्यक है। अतः इसकी सुदृढीकरण योजना में इसे सदस्यों द्वारा संचालित स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवायें प्रभावी रूप से प्रदान कर सके, खासकर आज के स्पर्धात्मक वातावरण में कृषि हेतु पूंजी निर्माण की बहुत आवश्यकता है।

III. वर्ष 2010-11 के दौरान विकास - खास बातें

स्वर्ण जयंती वर्ष

महासंघ जो 6 अक्टूबर 1960 को पंजीकृत हुआ था उसने 6 अक्टूबर 2010 को 50 साल पूरे कर लिए हैं। लम्बी अवधि के सहकारी ऋण ढांचे के लिए वकालत, पैरवी, सलाहकार, परामर्शदाता व प्रवक्ता की अपनी विविध भूमिकाओं में महासंघ इस अवधि के दौरान सफलता और निराशा के साथ-साथ क्षेत्र और सदस्य बैंकों के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव का गवाह रहा है। संघ ने अपने 50 साल, अपने व SCARDB के सदस्यों के सबसे चुनौतिपूर्ण काल में पूरे किये हैं। संयोगवश इस अवसर पर, वैद्यनाथन कार्यबल द्वितीय की सिफारिशों के आधार पर पुनःप्रवर्तन पैकेज के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार की ओर से सकारात्मक रुख दिखाई दिया है और SCARDB के बीच संसाधन जुटाने, व कुशल कर्मचारियों तथा तकनीक के सहारे उधार वसूली के लिए कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ी है। संघ ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष उपरोक्त संदर्भों में इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए और ढांचा तैयार करने हेतु जारी इन प्रयासों के लिए समर्पित किया है।

सहकारी दीर्घकालीन ऋण साख ढांचे के लिए नवजीवन संचार पैकेज

पृष्ठभूमि

ढांचागत मजबूती के लिए सरकार के हस्तक्षेप के वास्ते बैंकिंग क्षेत्र द्वारा चलाए गए अभियान को देखते हुए, वैद्यनाथन कार्यबल II की सिफारिशों पर आधारित एलटीसीसीएस में संस्थाओं के लिए नवजीवन संचार पैकेज के क्रियान्वयन हेतु २००८-०९ के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा का एक विशेष महत्व है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फेडरेशन द्वारा एक दशक तक किए गए लंबे प्रयासों की महत्वपूर्ण घटनाएं नीचे दी गई हैं:-

- सहकारी ग्रामीण ऋण ढांचे में संस्थाओं के पुनःपंजीकरण के संबंध में २१ मार्च, १९९९ को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के साथ एनसीएआरडीबी फेडरेशन तथा राज्य सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैठक।
- अप्रैल, १९९९ में भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा उच्च स्तर के कार्यबल की नियुक्ति।
- १६-१८ अगस्त, १९९९ को एआरडीबी में ढांचागत सुधारों पर फेडरेशन द्वारा काठमांडू में सेमिनार का आयोजन

जिसमें मुख्य वक्ताओं के रूप में क्रमशः कार्यबल के अध्यक्ष और सदस्य श्री जगदीश कपूर और श्री वाई.सी.नंदा ने हिस्सा लिया।

- एआरडीबी की बेलेंस शीटों के संशोधन के लिए एकमुश्त बजटीय सहयोग की आवश्यकता के संबंध में २१ जनवरी, २००० को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री बालासाहेब विखे पाटील के साथ फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैठक।
- एआरडीबी की बेलेंस शीटों के संशोधन के लिए एकमुश्त सहयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण के लिए २७ जनवरी, २००० को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री बालासाहेब विखे पाटील के साथ दूसरी बैठक।
- पुनःपूँजीकरण की मांग करते हुए ढांचे में सभी यूनिटों द्वारा फैंक्स/टेलीग्राम के माध्यम से १० फरवरी, २००० को प्रधानमंत्री को संदेश भेजे गए।
- सहकारी ऋण ढांचे के पुनःपूँजीकरण के मुद्दे पर १० फरवरी, २००० को दिल्ली में अध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ और अध्यक्ष, एनएएफएससीओबी द्वारा संयुक्त संवाददाता सम्मेलन।
- १३वीं लोकसभा में सहकारिता के लिए सांसदों के फोरम की स्थापना और मंत्री सांसद श्री येरेन नायडू इसके संयोजक बने।
- सांसदों के फोरम की पहली बैठक २ मार्च, २००० को नई दिल्ली में हुई जिसमें सहकारी ऋण ढांचे की बेलेंस शीटों के संशोधन के लिए संस्थाओं को एकमुश्त सहयोग प्रदान करने की जरूरत के बारे में इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- २ मार्च, २००० को आयोजित सांसदों के फोरम की बैठक के फैसलों से अवगत कराने के लिए ३ मार्च, २००० को अध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ और अध्यक्ष, एनएएफएससीओबी की प्रधानमंत्री के साथ बैठक।
- फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में १५ मई, २००० को सांसदों के फोरम की बैठक आयोजित। इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के सांसदों के अलावा, श्री सी.एम.जी.बालयोगी, लोकसभाध्यक्ष, श्री यशवंत सिन्हा, केंद्रीय वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय रसायन मंत्री, श्री बालासाहेब विखे पाटील, वित्त राज्य मंत्री और श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव, कृषि राज्य मंत्री ने भी हिस्सा लिया।
- भारत सरकार, राज्य सरकारों और कोआपरेटिवों के सदस्यों के आर्थिक सहयोग से सहकारी ग्रामीण ऋण संस्थानों हेतु पुनरुद्धार संचार पैकेज की अनुशंसा करते हुए जुलाई, २००० में जगदीश कपूर कार्य बल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।
- जगदीश कपूर कार्य बल की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में दिसंबर, २००० में भारत सरकार द्वारा परामर्श

सम्मेलन का आयोजन। बैठक में वित्तीय सहयोग के बंटवारे के तरीके पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी।

- २५ अगस्त, २००९ को जगदीश कपूर की अध्यक्षता वाले कार्य बल की रिपोर्ट लागू करने के बारे में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जिसमें इस मुद्दे पर सिफारिशों के लिए श्री बालासाहेब विखे पाटील की अध्यक्षता में मंत्रियों की संयुक्त समिति के चयन का प्रस्ताव आया जिस पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आम सहमति नहीं बन सकी।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नवजीवन संचार सहायता मामले में ६०:४० के बंटवारे के पैटर्न की अनुशंसा करते हुए दिसंबर २००९ में मंत्रियों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति। समिति ने यह भी सिफारिश की मजबूत एससीएआरडीबी को पूरी तरह से बैंकों के रूप में कार्य कराने हेतु लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
- फेडरेशन ने १८ दिसंबर, २००९ को चंडीगढ़ में एआरडीबी के समक्ष चुनौतियां और अवसर विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।
- चुनौतियां और अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार के बाद, एआरडीबी के समक्ष चुनौतियां और अवसर विषय पर पूर्वी क्षेत्र के लिए १३-१४ अप्रैल, २००२ को कोलकाता में, उत्तर क्षेत्र के लिए २०-२१ अप्रैल, २००२ को दिल्ली में, दक्षिण क्षेत्र के लिए २९-३० अप्रैल, २००२ को बंगलौर में और पश्चिम क्षेत्र के लिए ६-७ मई, २००२ को पुणे में चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- श्री पी.बी.माथुर, कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एआरडीबी को पूरी तरह से बैंकों के रूप में परिवर्तित करने के लिए मई, २००२ को रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यसमूह की नियुक्ति। यह कार्यसमूह बाद में श्रीमती उषा थोराट, कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पुनः गठित किया गया। तथापि, कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट पेश किए बिना अपना कार्य छोड़ दिया।
- १०० करोड़ रूपए के सांकेतिक आबंटन के साथ २००२-०३ के केंद्रीय बजट में नवजीवन संचार पैकेज की घोषणा। तथापि, राज्य सरकारों को योजना के बारे में जानकारी तथा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति का गठन करने की सरकार द्वारा बाद में घोषणा नहीं की गई जैसा कि योजना में परिकल्पित था।
- यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारी ऋण प्रणाली को फिर से जीवनदान देने का आश्वासन और सहकारी ऋण प्रणाली को पुनर्जीवन देने की दिशा में नई पहल करते हुए २००५ में वैद्यनाथन कार्य बल की नियुक्ति।
- तथापि, वैद्यनाथन कार्य बल ने यह देखते हुए कि दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे में शामिल मुद्दों की प्रति भिन्न है और कार्यबल को दोनों ढांचों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं था, अपनी

सिफारिशों से दीर्घकालीन ऋण ढांचे को हटाने और अपना विचार-विमर्श अल्पकालीन ऋण ढांचे पर ही सीमित रखने का फैसला किया।

- फेडरेशन के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, सरकार ने दीर्घकालीन ऋण ढांचे के लिए पुनरुद्धार पैकेज सुझाने हेतु कार्यबल द्वारा अल्पकालीन ऋण ढांचे पर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, जनवरी २००५ में उसी कार्यबल को नियुक्त किया।
- तथापि, दीर्घकालीन ऋण ढांचे पर वैद्यनाथन कार्य बल II के विचारार्थ विषयों में वित्तीय सहायता के मूल्यांकन और पुनरुद्धार के लिए किसी ऐसी लागू की जा सकने वाली कार्रवाई योजना का सुझाव देने की बात शामिल नहीं की गई जो पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित हो जबकि पिछले कार्यबल के विचारार्थ विषयों की यह मुख्य शर्त थी लेकिन उसने अपनी सिफारिशों को अल्पकालीन ऋण ढांचे तक ही सीमित रखा था।
- फेडरेशन ने पिछले कार्य बल को सौंपे गए कार्यों की तर्ज पर सरकार के सामने विचारार्थ विषयों में संशोधन की आवश्यकता का मुद्दा उठाया।
- फेडरेशन ने स्वयं को उस समय तक कार्यबल से अलग रखने का भी निर्णय लिया जब तक कि इसके विचारार्थ विषयों में उन उद्देश्यों को शामिल करते हुए संशोधन नहीं किया जाता जिसके लिए इसका गठन किया गया था।
- तत्पश्चात, सरकार ने अपने दिनांक २५ अप्रैल, २००५ के आदेश के जरिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देने वाली एआरडीबी को पुनर्जीवित करने के लिए लागू हो सकने वाली कार्रवाई योजना की सिफारिश और ऐसे पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता, इसके तरीके, बंटवारे के पैटर्न और चरण का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त विचारार्थ विषय शामिल किया।
- कार्यबल ने अगस्त, २००६ में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में संचित नुकसानों की भरपाई के लिए एक वित्तीय पैकेज और ४८३९ करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कम्प्यूटरीकरण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की। कार्यबल ने एआरडीबी के संस्थागत एवं कार्यात्मक पुनर्गठन के लिए व्यापक आधार वाले कानूनी और नीतिगत सुधारों की भी सिफारिश की।
- फेडरेशन को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात पुनरुद्धार पैकेज को अंतिम रूप देगी जैसा कि उसने अल्पकालीन ऋण ढांचे के मामले में किया था। लेकिन सरकार ने अगस्त, २००६ में रिपोर्ट पेश किए जाने से लेकर करीब १५ महीनों तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी का कारण कार्यबल की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त न होना बताया गया। यह सूचित किया गया कि यद्यपि कार्यबल की रिपोर्ट को सितंबर २००६ में ही राज्य सरकारों की

टिप्पणियों के लिए उन्हें परिचालित कर दिया गया था लेकिन अप्रैल, २००७ के अंत तक एक दो राज्यों ने ही सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

- फेडरेशन ने बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कार्यबल की सिफारिशों पर मदवार टिप्पणियों के साथ ४ नवंबर, २००६ को राज्यों को इस अनुरोध के साथ पत्र लिखा कि वे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें। इसके बाद जनवरी २००७ में कोआपरेशन के मंत्रियों को अध्यक्ष की ओर से पत्र लिखा गया। एससीएआरडीबीएफ भी इस मामले पर राज्य सरकारों से निरंतर बातचीत करते रहे।
- फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने पुनरुद्धार पैकेज को जल्द अंतिम रूप देने के सिलसिले में वित्त मंत्री की सलाह पर २४ अप्रैल, २००७ को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार और ८ मई २००७ को सचिव (वित्तीय क्षेत्र) श्री विनोद राय से मुलाकात की। फेडरेशन ने वित्त मंत्रालय को सलाह दी कि वह रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए उनकी एक बैठक बुलाए जैसा कि और अल्पकालीन ऋण ढांचे से संबंधित कार्यबल की रिपोर्ट के मामले में किया था।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार पर वैद्यनाथन कार्यबल II की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए १० अक्टूबर, २००७ को नई दिल्ली में राज्य के वित्त/कॉरपोरेशन मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में एलटीसीसीएस में संस्थानों के लिए पुनर्पूजीकरण और ढांचागत सुधारों समेत पुनरुद्धार पैकेज को लागू करने पर व्यापक तौर पर सहमति बन गई। बैठक में दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे रखने वाले सभी २० राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राज्यों ने एकमत से एलटीसीसीएस के लिए पुनरुद्धार पैकेज लागू करने की कार्यबल की सिफारिशों का समर्थन किया। राज्यों ने कार्यबल की कुछ सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव भी दिए:-
 - (i) पुनरुद्धार सहयोग हेतु पीसीएआरडीबी/एससीएआरडीबीएफ की शाखाओं के चयन के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पुनरुद्धार योजना में ३० प्रतिशत से ज्यादा वसूली के साथ सभी शाखाओं/पीसीएआरडीबी को शामिल किया जा सके।
 - (ii) एआरडीबी को पूरी तरह बैंकिंग संस्थानों में बदलने के लिए मापदंड विकसित किए जाएं।
 - (iii) एससीएआरडीबीएफ की शाखाओं को पीसीएआरडीबी में बदलना पुनरुद्धार सहयोग की पूर्व शर्त होने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इसे पांच वर्षों की अवधि के भीतर लागू किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल किया जा सकता है।

- (iv) पीसीएआरडीबी को किसी भी एजेंसी की सेवाएं लेने और अपनी पसंद के ढांचे से जुड़ने या हटने की खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए।
- (v) कार्यबल की यह सिफारिश लागू नहीं की जानी चाहिए कि एससीएआरडीबी के अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीसीएआरडीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को अनुमति देने हेतु नाबार्ड अधिनियम में संशोधन किया जाए।
- (vi) अल्पकालीन ऋण ढांचे की योजना की परिकल्पना के अनुसार, २५ प्रतिशत से अधिक राज्य इक्विटी को अनुदान में बदलने और राज्यों के बोर्ड में एक सरकारी नामजद व्यक्ति को रखने के प्रावधान के साथ, राज्यों को एलटीसीसीएस के संस्थानों में कुल इक्विटी का २५ प्रतिशत तक बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

केंद्रीय केबिनेट द्वारा 2009 में अनुमोदित एल.टी.सी.सी.एस. के पुनरुत्थान के लिये पैकेज

२६ फरवरी २००९ को एल.टी.सी.सी.एस. के पुनर्जीवन के लिये पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज का लक्ष्य एल.टी.सी.सी.एस. का पुनरुत्थान करना और इन्हें अच्छी प्रकार प्रबंधित, सदस्य केन्द्रित और जोशपूर्ण बनाना है। पी.सी.ए.आर.डी.बी. और एस.सी.ए.आर.डी.बी. को वित्तीय स्वास्थ्य के एक स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिये वित्तीय सहायता, पी.सी.ए.आर.डी.बी. को सुविधा देने के लिये विधिक और संस्थागत सुधार और एस.सी.ए.आर.डी.बी. को स्वायत्त केन्द्रित संस्थानों के रूप में कार्यशीलता तथा इन संस्थानों में प्रशासन को सुधारने के लिये कदम इस पैकेज के तीन मुख्य भाग हैं। पैकेज में ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना में शामिल नहीं ए.आर.डी.बी. द्वारा १९९७ से पूर्व दिये गये कृषि ऋणों के संदर्भ में अधिदेयता की फंडिंग के लिये विशेष प्रावधान है।

वित्तीय पैकेज

- ३१.३.२००८ तक पी.सी.ए.आर.डी.बी. और एस.सी.ए.आर.डी.बी. के संचित नुकसानों की फंडिंग।
- ए.आर.डी.बी. को ३१.३.१९९७ से पहले जारी किये गये ऋणों, जो कि पैकेज की घोषणा तक उगाहे नहीं जाते हैं, के लिये निम्न प्रकार से अधिदेयता प्रदान की जायेगी-

- छोटे और मध्यम किसानों के लिये १०० प्रतिशत।
- दूसरे किसानों के लिये २५ प्रतिशत।
- बैंकों को दूसरे किसानों से बकाया ७५ प्रतिशत को उगाहना होगा।
- संचित नुकसान की भरपाई को सी.आर.ए.आर. के ७ प्रतिशत पहुंचने तक करने के बाद यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त फंड।
- पैकेज का अनुमानित प्रावधान लगभग ३०७० करोड़ रु. है। वैसे, नुकसान की सही राशि नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत किये जाने वाले लेखा परीक्षण के बाद आंकी जायेगी।
- भारत सरकार खाता प्रणाली, मानव संसाधन विकास व विशेष लेखा परीक्षण के कंप्यूटरीकरण पर आने वाली लागत को भी वहन करेगी।
- राज्य सरकारों को भारत सरकार तथा नाबार्ड के साथ ३०.९.२०१० से पहले समझौता-ज्ञापन पर सहमति करनी चाहिये।
- पैकेज में राज्य सरकारों का हिस्सा निम्न प्रकार होगा-
 - १९९७ से पूर्व के ऋणों की अधिदेयता का २० प्रतिशत
 - प्रत्यक्ष कृषि को छोड़कर ऋण व्यवसाय में होने वाले कुल नुकसान का एक तिहाई
 - राज्य सरकारों द्वारा घोषित कर्ज माफी या ब्याज छूट योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को भुगतान किये जाने वाले देय, यदि कोई हों तो।
 - संस्थाओं को प्रत्यक्ष कृषि, जालसाजी और घपले इत्यादि को छोड़कर ऋण व्यवसाय में होने वाले कुल नुकसान का एक तिहाई हिस्सा वहन करना पड़ेगा।
- पी.सी.ए.आर.डी.बी. की प्रत्यक्ष सहायता को प्राप्त करने की योग्यता से बेअसर, संपूर्ण संरचना का संचित नुकसान पैकेज में शामिल किया जायेगा।
- अयोग्य पी.सी.ए.आर.डी.बी. के संचित नुकसान को इन पी.सी.ए.आर.डी.बी. को बंद कर देने के बाद एस.सी.ए.आर.डी.बी. को दे दिया जायेगा।

सहायता प्राप्त करने के योग्यता

- पी.सी.ए.आर.डी.बी./ऐकिक एस.सी.ए.आर.डी.बी. जिनकी उगाही ३०.६.२००८ को ५० प्रतिशत या अधिक है, वे पूर्ण पूँजीकरण प्राप्त करेंगे।
- जिनकी उगाही ३०-५० प्रतिशत की सीमा में है, वे ३०.६.२००८ की स्थिति से १० प्रतिशत का सुधार होने पर एक तिहाई पूँजीकरण सहायता प्राप्त करेंगे। ऐसी इकाइयां यदि ३०.६.२००८ तक उगाही में ५ प्रतिशत का सुधार करती हैं तो वे इस राशि का आधा प्राप्त करेंगी। बकाया राशि ३०.६.२०११ तक किसी भी साल में ५० प्रतिशत दी जायेगी, जिसको कि नेशनल इंप्लीमेंटिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एन.आई.एम.सी.) द्वारा ३०.६.२०१२ तक के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- कोई इकाई जिसकी उगाही ३०.६.२००८ को ३० प्रतिशत से कम है, वह भी सहायता प्राप्त करने के लिये योग्य हो जायेगी, यदि वे ३०.६.२०११ तक किसी साल में ५० प्रतिशत उगाही तक पहुंच जाती हैं और इसको एन.आई.एम.सी. द्वारा एक साल के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- कोई पी.सी.ए.आर.डी.बी. जो ३०.६.२०११ या ३०.६.२०१२ तक योग्य होने में असफल हो जाती है तो उसे बंद होना होगा या किसी दूसरी पी.सी.ए.आर.डी.बी. में विलय करना होगा।
- ऐकिक एस.सी.ए.आर.डी.बी. के लिये योग्यता के आधार पी.सी.ए.आर.डी.बी. के समान ही होंगे। अतः सहायता प्राप्त करने के लिये उनको जून २०१२ तक ५० प्रतिशत उगाही प्राप्त करनी होगी।
- अपात्र पी.सी.ए.आर.डी.बी. या ऐकिक एस.सी.ए.आर.डी.बी. को बंद होना होगा, अगर राज्य सरकारें उनको ५० प्रतिशत उगाही में पड़ने वाली कमी को पूरा करने के लिये अनुदान न दें।
- राज्य सरकारों को इस पैकेज की स्वीकृति की दिनांक से ५ सालों के भीतर ऐकिक एस.सी.ए.आर.डी.बी. को संघीय रूप में परिवर्तित करने के लिये उद्घोषणा कर देनी चाहिये।
- ३१.३.२००८ को समाप्त होने वाले तीन सालों में एस.सी.ए.आर.डी.बी. का औसत सालाना व्यवसाय लेन-देन इसकी बैलेस शीट का कम से कम १० प्रतिशत होना चाहिये। वैसे, एन.आई.एम.सी. के पास इस शर्त में छूट देने का विकल्प होगा। राज्य सरकार ऐसी अवस्था में इस प्रकार की इकाइयों के व्यवसाय में सुधार के लिये ठोस उपाय और कार्य योजना का प्रस्ताव देगी और उगाही में सुधार करने के लिये फण्ड प्रदान कर सकती हैं।

- ३१.३.२००८ की कट-ऑफ दिनांक को परिसमापन के अंतर्गत आने वाले ए.आर.डी.बी. पर पुनरुत्थान पैकेज लागू नहीं होगा।

कानूनी और संस्थागत सुधार

वित्तीय सहायता कानूनी व संस्थागत सुधारों व पैकेज की अन्य स्थितियों पर निर्भर करेगी जैसे कि

- जमाकर्ताओं समेत सभी प्रयोक्ताओं को पूर्ण सदस्यता का अधिकार।
- सीईओ की नियुक्ति समेत स्टाफ के मामलों, अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ काम करने, उधार लेने और निवेश संबंधी रिश्तों के निर्णयों समेत वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप खत्म करना। एससीएआरडीबी के सीईओ को आरबीआई या नाबार्ड द्वारा सुझाई गई उपयुक्त व समुचित कसौटियों के अनुरूप करना होगा।
- एससीएआरडीबी के मंडल में राज्य सरकार के एक निदेशक के प्रावधान के साथ राज्य इक्विटी की अधिकतम सीमा २५ प्रतिशत और एक निदेशक पीसीएआरडीबी में राज्य सरकार की इक्विटी के साथ।
- राज्य सरकार या एआरडीबी राज्य की इक्विटी कम करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- एआरडीबी की संचालन व वित्तीय स्वास्तता को सीमित करने के रुकावटी आदेश नहीं होंगे।
- एससीएआरडीबी व पीसीएआरडीबी को वैकल्पिक वित्तीय अनुदेशों की एक श्रेणी के जरिए स्वतंत्र रूप से कर्ज लेने/देने संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता होनी चाहिए।
- लम्बी अवधि का सहकारी कर्ज ढांचा कृषि क्षेत्र में निवेश कर्ज उपलब्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है लेकिन आवश्यकता व पूर्वानुभव के आधार पर इसके सदस्यों को लघु अवधि के कर्ज या फसली कर्ज उपलब्ध हो सकते हैं।
- पीसीएआरडीबी को स्वयं को अन्य सहकारी संघीय ढांचों, व्यावसायिक बैंकों या आरआरबी, भले ही वे एससीएआरडीबी के सदस्य न हों, के साथ परिवर्तनीय होने व उनसे लेनदेन के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए।
- एससीएआरडीबी एससीबी या अन्य बैंकों से इसका शेयरधारक सदस्य बनकर, यदि आवश्यक हो, संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- बोर्डों का स्थान लेने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित करना केवल विशेष स्थितियों में जो एसटीसीसीएस पैकेज की समता पर सुझाई गई हैं।

- मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समय से चुनाव सुनिश्चित करना।
- एआरडीबी का मंडल अधिक्रमित किया गया होने के मामले में समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम छह महीने का समय दिया जा सकता है।
- जब कभी नाबार्ड और रिजर्व बैंक द्वारा सुझाव दिया जाए, सीआरएआर समेत विवेकपूर्ण मानदंड अंगीकार कराना।
- एससीएआरडीबी का ऑडिट नाबार्ड से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेंट से करवाना सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार को एक अध्यादेश के जरिए या कानूनी प्रक्रिया के जरिए कानून में परिवर्तन करने चाहिए।
- एससीएआरडीबी को जनता से विभिन्न तरह के जमा गतिमान करने की अनुमति होनी चाहिए।
- जनता से जमा स्वीकार करने या स्वीकार करना जारी रखने से पूर्व नाबार्ड नियम व शर्तों का सुझाव देगा जो एआरडीबी द्वारा पूरी की जाएंगी।
- जिन नियम व शर्तों पर एससीएआरडीबी जनता के जमा तक पहुंच बनाएगा नाबार्ड आगे उनका परीक्षण करेगा और उन्हें जमा सुरक्षा योजना के तहत ला सकता है।
- कोई भी वित्तीय संस्थान जिसमें नाबार्ड भी शामिल है किसी एआरडीबी को किसी भी स्तर पर आरबीआई या संघीय सहकारी के जरिए नियमित वित्तीय संस्थान द्वारा वैकल्पिक वित्तीय अनुदेशों का प्रयोग कर और अपने नियम व शर्तों पर राज्य सरकार से बिना आवश्यक अनुमति लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए।

प्रशासन

- एस.सी.ए.आर.डी.बी. में व्यावसायिक व विवेकपूर्ण प्रशासन को सहज बनाने के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एल.टी.सी.सी.एस. में सहकारी बैंकों के बोर्डों के चुनावों और व्यवसायिककरण के लिये समय-समय पर निर्धारित सटीक व उचित आधार एस.सी.ए.आर.डी.बी. के बोर्ड के लिये भी लागू होंगे।
- नाबार्ड को उन एस.सी.ए.आर.डी.बी. की जांच करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, जिनको जनता का जमा स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गयी है, नाबार्ड अधिनियम के साथ-साथ संबंधित राज्य अधिनियमों में संशोधन किये जायेंगे।

- समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, विशेष लेखा परीक्षण करने, मानव संसाधन पहलों और कंप्यूटरीकृत खाता प्रणाली के लिये अनुदान जारी किया जायेगा।

वित्तीय सहायता जारी करना

- अध्यादेश या विधिक प्रक्रिया के द्वारा अधिनियम में संशोधन पर, संचित नुकसानों के लिये भारत सरकार का ७५ प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा। बोर्डों के चुनाव तथा अधिनियम में संशोधन के तहत बोर्डों में व्यावसायिक लोगों की प्रविष्टी के बाद संचित नुकसानों के लिये भारत सरकार का बकाया २५ प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा।

लागू करने की प्रक्रिया

- नाबार्ड लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी रहेगी। राष्ट्रीय, राजकीय और जनपद स्तरीय इंप्लीमेंटिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमिटी लागू करने पर दिशा-निर्देश देंगी और नजर रखेगी। राज्य स्तर एस.टी.सी.सी.एस. पैकेज के लिये एल.टी.सी.सी.एस. के प्रतिनिधियों को वर्तमान कमेटियों में नामित किया जायेगा।

वर्तमान स्थिति

हालांकि अंतिम पैकेज केन्द्रीय सरकार द्वारा फरवरी 2009 में अनुमोदित हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से हमारी मुलाकात में, सूचना दी गई कि आम चुनावों के तत्काल बाद राज्य सरकारों को क्रियान्वयन के लिए योजना भेज दी जाएगी. इस बीच, वित्त मंत्रालय ने एमओयू फार्मेट को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई. लेकिन, वित्त मंत्रालय की ओर से आगे कोई पहल नहीं की गई, योजना को लागू करने में, यहां तक कि चुनाव भी पूरे हो गए. संघ ने कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बावजूद भी पैकेज के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब का मामला 4 अगस्त 2009 को वित्त पोषण के लिए अपने प्रतिनिधियों की बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के साथ उठाया. परिणाम स्वरूप, वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव (एफ़एस) के नेतृत्व में नाबार्ड, आरबीआई, कृषि मंत्रालय व कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक टास्कफोर्स गठित कर दी, एडीडब्ल्यूडीआर योजना 2008 के क्रियान्वयन के संदर्भ में एलटीसीसीएस के लिए एक रिवाइवल पैकेज के क्रियान्वयन की आवश्यकता के परीक्षण के लिए. संघ से एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव से 17.12.2009 को मिला. कैबिनेट द्वारा पहले से अनुमोदित योजना की समीक्षा के लिए एक और टास्क फोर्स के गठन द्वारा रिवाइवल पैकेज के क्रियान्वयन को बंद करने के प्रस्ताव पर सेक्टर की चिंताओं से सूचित करने के लिए संघ इस मामले में हस्तक्षेप के लिए राज्य सरकारों से भी मिला. राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने

5 जनवरी 2010 को टारक फोर्स की अंतिम बैठक में दृढ़तापूर्वक ढांचे के पुनःउत्थान करने की वकालत की. श्री जी.सी. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में टारक फोर्स ने फरवरी 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी जिसमें एलटीसीसीएस को पुनःउत्थान करने के लिए पैकेज के जल्दी क्रियान्वयन का पक्ष लिया गया है जो ढांचे में संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर एडीडब्ल्यूडीआर योजना के प्रभाव के मद्देनजर न्यूनीकृत खाके के साथ पहले ही राज्य सरकारों से परामर्श में तय हो चुका था,.

वित्त मंत्रालय ने 19 मई 2010 को नाबार्ड प्रतिनिधियों, महासंघ और अन्यो के साथ हुई बैठक में सूचित किया कि चतुर्वेदी कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर पुनरुद्धार पैकेज को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा. लेकिन, अंतिम रूप दी हुई योजना को अभी तक केबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है. महासंघ के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री व प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव से योजना में तेजी लाने के लिए साल के दौरान फिर मुलाकात की. इस बीच, मंत्रालय ने नाबार्ड के जरिए परिव्यय की पुनःगणना हेतु वर्तमान समापन दिनांक 31.3.2010 के करीबी आधार पर पुनःपूँजीकरण के लिए प्रासंगिक जानकारी मांगी. पुनरुद्धार के लिए ARDB की तैयारियों पर क्षेत्रीय सम्मेलन जिसमें पूरे देश से 1000 से अधिक संरचना में शीर्ष व प्राथमिक प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किया व उन्होंने पैकेज को लागू करने में लगातार हो रही देरी पर चिंता जाहिर की जिसके परिणाम स्वरूप इसमें 2 करोड़ किसान सदस्य संरचना में कमजोरी व गहराते ऋण संकट का सामना कर रहे हैं.

ARDBs के पुनरुद्धार की तैयारी पर क्षेत्रीय सम्मेलन

वैद्यनाथन कार्यबल द्वितीय ने सरकार को अगस्त 2006 में दी अपनी अंतिम रपट में, लम्बी अवधि के सहकारी ऋण ढांचे (LTCCS) के उपायों के एक पैकेज की सिफारिश की है. भारत सरकार ने फरवरी 2008 में कार्यबल की सिफारिशों पर आधारित एक पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी थी. तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया कि उस योजना को कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना 2008 को लागू करने की प्रक्रिया में रूपांतरित किया जाए. LTCCS में संस्थानों को पुनरुद्धार करने के लिए रूपांतरित पैकेज सरकार द्वारा शीघ्र ही घोषित करने की अपेक्षा की जा रही है. इस प्रस्तावित पैकेज में शामिल है पुनःपूँजीकरण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता/ अवलंबन व साथ ही सुधार जिसमें शामिल है ARDBs के पारंपरिक व्यापार के मॉडल में एक परिवर्तन एक वित्तीय मध्यस्थ प्रस्ताव, एक एकल उत्पाद और उसका स्व- शासी स्वायत्त संस्थान में परिवर्तन जो ग्रामीण क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं का सामना करने में पर्याप्त सक्षम हो.

उपरोक्त पृष्ठभूमि में संघ ने जनवरी- फरवरी 2011 में 'पुनरुद्धार के लिए ARDBs की तैयारी' पर 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए. सम्मेलनों के दिनांक व स्थान निम्न प्रकार से रहे:-

- (1) 8-9 जनवरी 2011 कोलकाता में (पूर्व और उत्तरपूर्व क्षेत्र जिसमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, आसाम व मेघालय आते हैं).
- (2) 23-24 जनवरी 2011 अहमदाबाद में (मध्य और पश्चिम क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात व राजस्थान आते हैं).
- (3) 1-2 फरवरी 2011 चंडीगढ़ में (उत्तर क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व जम्मू-कश्मीर आते हैं).
- (4) 11-12 फरवरी 2011 तिरुअनंतपुरम में (दक्षिण क्षेत्र जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी व आंध्रप्रदेश आते हैं).

क्षेत्रीय सम्मेलन SCARDBs व PCARDBs द्वारा अपनी वर्तमान चुनौतियों से सामना करने के लिए आरम्भ किए जाने वाले कदमों पर आवश्यक कार्य करने पर केन्द्रित थे. ये चुनौतियां हैं पुनरुद्धार के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु ऋण वसूली, संसाधन जुटाना व व्यापार विकास करना.

सम्मेलनो का एक सामान्य रूप था. सम्मेलनों के लिए विषय पत्र का योगदान NCARDB संघ व नाबार्ड ने किया. विभिन्न उप विषयों पर पत्रों का योगदान NCUI, NCDC के साथ ही श्री पी.वी.ए. रामा राव, पूर्व प्रबन्ध निदेशक, नाबार्ड व श्री नवल किशोर, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश SGVB व डॉ. ऊषाकुमारी ने किया. श्री वाय.सी नन्दा, नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन ने चारों सम्मेलनों में विचार विमर्श की एंकरिंग की. डॉ. के.जी. करमाकर, प्रबन्ध निदेशक नाबार्ड ने कोलकाता सम्मेलन में मुख्य वक्तव्य दिया और नाबार्ड के कार्यकारी निदेशक श्री अमरेश कुमार व डॉ. ए.के. वंद्योपाध्याय ने अन्य स्थानों पर सम्मेलनों को संबोधित किया. सम्मेलनों को सचिवों (Coopn) व कई राज्यों के रजिस्ट्रार ऑफ़ सोसायटीज़ ने इसके अंतिम परिणाम के विषय में जानकारी दी. SCARDBs व PCARDBs के 100 से अधिक प्रतिनिधि इन सम्मेलनों में शामिल हुए.

डॉ. असीम दास गुप्ता, वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल; श्री दिलीपभाई संघानी, सहकारी मंत्री गुजरात; श्री जगदीप सिंह नकाई, मुख्य संसदीय सचिव (Coopn), पंजाब और श्री जी. सुधाकरन, सहकार मंत्री, केरल ने कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ व तिरुअनंतपुरम में क्रमशः सम्मेलनों का उद्घाटन किया.

सिफारिशें

चारों क्षेत्रों के सम्मेलनों की मूल विषयों की शर्तों के प्रति सिफारिशों में काफ़ी समानता थी. इन सम्मेलनों की सिफारिशें, जो विषयान्तर्गत समेकित हैं और एजेंसियों जिनसे ये संबंधित हैं उनके आधार पर श्रेणीबद्ध हैं और नीचे प्रस्तुत हैं:-

क्षेत्रीय सम्मेलनों ने सैद्धांतिक रूप से ऐसा कार्य सोचा जो ARDBs द्वारा आरम्भ किया जाए, जो पुनरुद्धार के लिए उनकी तैयार रहने में वृद्धि के लिए प्रबन्धकीय रूप से दृढ़, सांगठनिक रूप से कार्यदक्ष और संचालन की दृष्टि से ऊर्जापूर्ण ढांचा हो. प्रस्तावित वीसी-2 पैकेज के तहत अंतिम अवसर के साथ वित्तीय सहायता के लिए, सारे हितधारकों के लिए यह आवश्यक है कि प्रधान ढांचागत कार्य को साझी प्रतिबद्धता व तात्कालिक और प्राथमिकता के साझे बोध के साथ पुनःनिर्मित किया जाए. तदनुसार, केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ ही आरबीआई व नाबार्ड द्वारा निर्विघ्न होने के लिए वैधानिक व नीति पर्यावरण व अन्य सपोर्ट सिस्टमों को भी पुनःसंगठित करने के सुझाव थे.

(ए) SCARDBs व PCARDBs से संबंधित सिफारिशें

I. व्यापार विस्तार व विविधीकरण

1. कृषि क्षेत्र में आवश्यक विकास दर प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कृषि क्षेत्र में तेज़ निवेश महत्वपूर्ण है. इस संदर्भ में ARDBs, को कृषि में पूंजी निर्माण के अपनी पारंपरिक गतिविधियों को व्यापक व गहरा करना होगा.
2. कई राज्यों में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में ARDBs' के हिस्से में तेज़ी से कमी होती रही है, जो 1980 व 90 के दशक के दौरान, 25% से अधिक था और वर्तमान में 1% से भी कम हो गया है, विशेषकर परिसंपत्ति निर्माण और उन्नत कृषि उत्पादकता के लिए लघु व सीमांत किसानों का ऋण की उपलब्धता में तीव्र कमी की ओर बढ़ गया है. इसलिए, कृषि में कुल ऋण संवितरण में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए ARDBs को, हर राज्य में उपरोक्त मामले में दखल के लिए कदम उठाने चाहिए.
3. किसानों को एक ही स्थान पर उद्देश्यों की विविधता के लिए व कृषि के साथ ही गैर कृषि कार्यों के लिए भी ऋण सेवाओं के पैकेज की आवश्यकता है जिसमें लघु अवधि व दीर्घ अवधि के ऋण शामिल हैं. अपनी गतिविधियों में लघु अवधि का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ARDBs की अक्षमता एक गंभीर विवशता है. इसलिए, ARDBs को, अपने सदस्यों

की अलग अलग ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु अवधि व दीर्घ अवधि के ऋण उत्पादों की श्रेणी विकसित करने की आवश्यकता है.

4. सामान्यतः देखा गया है कि कृषि आय, लघु व सीमांत किसानों के पर्याप्त नहीं है कि वे जीवन चला सकें. इसलिए, बैंकों को लघु व सीमांत किसानों के साथ ही कमजोर तबके का वित्त पोषण करते समय समग्र व्यवहार्यता के बारे में सोचना चाहिए, चूंकि वे सामान्यतः व्यवहार्य नहीं होते जब तक कि कुछ अन्य छूटें कृषि/ कृषि-बाह्य, गैर कृषि गतिविधियां/ व्यवसाय भी वित्त पोषित न हों.
5. ARDBs द्वारा जारी स्वर्ण ऋण हर तरह से सफल गतिविधि साबित हो चुका है जैसा कुछ बैंकों ने दक्षिणी राज्यों में प्रदर्शित किया है, जिसे अन्य राज्य भी अपने ऋण में शामिल कर सकते हैं.
6. लघु अवधि ऋण उत्पाद को ARDBs के व्यापार विकास योजनाओं में शामिल करने में उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए,
 - निवेश ऋण से आस्तियों के अनुकूलतम उपयोग को निर्विघ्न करने के लिए कार्य पूंजी / उत्पादन ऋण उपलब्ध करवाना.
 - लघु अवधि ऋण के लिए सदस्यों की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए. (विभिन्न स्रोत)
 - स्वयं के लिए व्यवहार्य व्यापार स्तर सुरक्षित करने के लिए (ARDBs)
 - उधारकर्ता के साथ संपर्क की बारम्बारता में वृद्धि के लिए, जो ऋण वसूली की उन्नति के लिए आवश्यक पाई गई है.
7. अधिकांश LTCCS संस्थान व्यापार स्तर पर संचालित हैं, जो अपने प्रबन्धन व जोखिम लागत की भरपाई के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है. अब बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर 3-5 सालों की अवधि के अंदर व्यवहार्य व्यापार स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए.
8. राष्ट्र की सुरक्षा और किसानों की आजीविका के लिए धारणीय खाद्य सुरक्षा निश्चित करने हेतु व 4% प्रतिवर्ष की लक्षित वृद्धि दर पाने में सहायता के लिए ARDBs की व्यापार विकास योजना को विशेषकर लघु सिंचाई/ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कृषि निवेश पर ध्यान देना चाहिए.

9. ARDBs को नाबार्ड से पुनःवित्त से फसल ऋण जारी करना चाहिए और नक़द ऋण सुविधा को पुनः भुगतान क्षमता और मौजूदा सुरक्षा के आधार पर लम्बी अवधि के उधारकर्ताओं तक विस्तारित करना चाहिए.
10. ARDBs को अपने सभी सदस्यों को कृषि व अकृषि गतिविधियों के लिए ऋण की प्रक्रिया सरल व सुचारू करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने चाहिए.
11. ARDBs के BDPs को राज्य कृषि विकास योजनाओं और राज्य ऋण योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा तय प्राथमिकताओं में नाबार्ड के सहयोग व मार्गदर्शन से घटक होना चाहिए.
12. ARDBs को सामूहिक भागीदारी (जैसे एसएचजी/ जेएलजी विशेष रूप से गरीब तबकों के वित्तपोषण में जैसे पट्टेदार/ किराएदार किसान/ कृषि श्रमिक व आदिवासी किसान) की आवश्यकता है.
13. कृषि में तकनीकी सुविधाएं निवेश व आस्तियां निर्माण के जरिए स्थान ले रही हैं. ARDBs, निवेश के लिए कृषि के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी होने के नाते, ARDBs को नाबार्ड व इसके किसान क्लबों और साथ ही शोध स्थानों/ कृषि विश्व विद्यालयों व विस्तार विभागों की सहायता से शोध स्थानों से कृषि तक तकनीक हस्तांतरण की सुविधा देनी चाहिए.
14. पारस्परिक हित में, ARDBs को हर स्तर पर कम अवधि संस्थानों को प्रतिस्थानी बनाने और एसटी विंग से सहयोग, न कि संघर्ष की आवश्यकता है:
 - वित्त की दृष्टि से
 - प्रबन्धन की दृष्टि से (मंडल स्तर पर एक जैसे निदेशक)
 - संचालन की दृष्टि से (साझी विशेषज्ञता), और
 - संगठन की दृष्टि से (साझा बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं), और

II. नॉन फंड व्यापार

15. ARDBs को नॉन फंड व्यापार आधारित व्यापार से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए तरीकों की खोज करनी चाहिए जैसे,

- (i) शुल्क आधारित सेवाओं की व्यवस्था (जैसे गॉरण्टी का मामला, बाहर के बिलों की वसूली, धन हस्तांतरण, लॉकर, व एजेंसी व्यवसाय के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे उपयोज्यता बिलों का भुगतान, रेलवे/ विमान यात्रा टिकटें व जानकारी केंद्र, आदि).
- (ii) बीमा कम्पनियों के साथ पैकेज डील- बैंक अपने उधारकर्ताओं के पूरे समूह को जीवन व दुर्घटना जोखिम के लिए उचित प्रीमियम पर सुरक्षित कर सकते हैं. इसमें दुगुने लाभ हैं. कतिपय बैंकों ने इसमें पहले ही शुरुआत कर दी है.
 - बीमे द्वारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस सुरक्षित होता है, और
 - उत्पाद की क्रॉस सेलिंग में वित्तीय मार्जिन का लाभ होता है और
- (iii) व्यापार कारस्पॉन्डेंट व फेसिलिटेटर मॉडल - बैंक व इनकी प्राथमिक शाखाएं उनके पोर्टफोलियो की समीक्षा, सुपरवाइजिंग व देखरेख आउट सोर्सिंग सपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए स्वदेशी निगमों, एमएनसी व सीबी से भागीदारी कर सकती हैं.

(अपने वसूली अभियान के साथ प्राथमिक स्तर पर गतिविधियां मौसमी होने के कारण), मौजूदा कर्मचारी इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

III. व्यापार नवोन्मेष

16. व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में, बैंकों को आय उत्पन्न करने के मामले में कुछ नवीन व प्रतिफल व्यापार - जो न केवल कामनीय है बल्कि जो खोजे जा सकते हैं वे स्पर्धात्मक बाजार में आवश्यक हैं - (यक्रीनन, सावधानीपूर्वक चयन की आवश्यकता) ये हैं:

- (i) पारम्परिक लघु ऋण के साथ चलते हुए, क्रास सबसिडीसेजशन सुरक्षित करने के लिए व्यवसायिक कृषि में बड़े ऋणों में प्रवेश. (जैसे पुष्प कृषि, फल प्रसंस्करण व समुद्री खाद्य निर्यात आदि जो कृषि प्रसंस्करण व निर्यात इकाइयों से जुड़े किसानों का (व्यक्तिगत या SHGs-JLGs को) वित्त पोषण करना.
- (ii) समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक, निजी व पंचायत की भागीदारी समावेशी शासन से ग्रामीण निवेश के लिए वाइब्रेंट डिलीवरी मोड के रूप में उभर रही है, ARDBs को सहभागियों के स्तर पर आपसी लाभ के लिए व राष्ट्रीय स्तर पर इक्विटी के साथ वृद्धि के लिए इस SPV में भाग लेने के लिए एक आक्रामक भूमिका लेनी होगी. (यह निगमों और सहकार दोनों के ही लिए एक उभरती सामाजिक जिम्मेदारी है.)

IV. ऋण देने के लिए संसाधन

17. निक्षेप (जमा) जुटाना

- ARDBs की व्यापार विकास योजनाएं अपने स्वयं के सारभूत संसाधनों को बढ़ाए बिना प्रभावी रूप से कार्य में नहीं लाई जा सकती हैं. जमा की स्वीकृति ऋण सहकार की एक अत्यावश्यक गतिविधि है और साथ ही महत्वपूर्ण भी. ARDBs को इसलिए, नए तरीके अपना कर सदस्यों के जमा को आक्रामक रूप से चलायमान रखना चाहिए.
- ARDBs के जमा जुटाव कार्यक्रम को निम्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए:
 - जमाकर्ताओं के विभिन्न खंडों की आवश्यकताओं को अनुकूल लगने वाले जमा उत्पादों की एक श्रेणी का विकास करे.
 - सदस्यों के जमा खाते, जो आरबीआई/ नाबार्ड के नियमित ढांचे से बाहर हैं को लक्ष्य बनाएं.
 - ARDB (शाखा/ प्राथमिक बैंक) में एक किफ़ायती जमा एकाउण्ट खोलने और बनाए रखना हर ऋण लेने वाले सदस्य के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए.
 - नीतिज्ञ व्यापार व्यवहार के रूप में, जमा का 50% सिक्योरिटीज़ और बैंक जमा में तथा शेष 50% लघु अवधि ऋण उत्पाद में निवेश करने के लिए.

- PCARDBs द्वारा संग्रहित जमा, उचित प्रबन्धन व उपयुक्त प्रतिपूर्ति के साथ निधि को फैलाने के लिए SCARDBs के पास आना चाहिए.
- जमा योजनाओं, इमारतों के आधुनिकीकरण और जमा एकाउंटों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए आक्रामक प्रचार आरम्भ करें.
- इमारतों के आधुनिकीकरण, कैश काउंटर्स आदि का निर्माण सहकारी विकास निधि से नाबार्ड सपोर्ट के उपयोग से करें.
- नवीन योजनाओं जैसे जमा पर थोड़े अंश में ब्याज रखने के द्वारा जो इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है व उदाहरणतः त्रैमासिक आधार पर नए जमाकर्ताओं को लकी ड्रॉ के जरिए करें, मोटर साइकिलें, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, आदि पुरस्कार देना जमा उत्पादों के जरिए विपणन करना.
- अपना सदस्यता आधार बढ़ाने और उन्हें वित्तीय सुविधाएं लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्राथमिकी परिश्रमपूर्वक होनी चाहिए.

18. नाबार्ड से पुनःवित्त

- नाबार्ड से SCARDBs को पुनःवित्त का अंश (1981) के 47% से (2010) में 22% तक घट गया है, वर्तमान आउटरटेन्डिंग सपोर्ट 16,000 करोड़ रु. का है. ARDBs को नाबार्ड से पुनः वित्त की उपलब्धता पाने के लिए और किसानों को निवेश में ऋण सपोर्ट में वृद्धि करने के लिए और ग्रामीण परिवारों के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए.

19. NCDC से ऋण की उपलब्धता

- सारे राज्यों में SCARDBs को उपयुक्त लघु अवधि ऋण उत्पाद प्रस्तुत कर NCDC द्वारा विस्तारित ऋण की उपलब्धता का उपयोग करना चाहिए जिसमें LT उधारकर्ताओं को सामान्य नक़द ऋण शामिल है.

20. अन्य एजेंसियों से उधार लेना

- ARDBs को नाबार्ड के सहारे व मार्गदर्शन के साथ, एक््रेडिटेड रेटिंग एजेंसियों से क्रेडिट रेटिंग करवानी चाहिए जिससे उन्हें व्यवसायिक बैंकों व अन्य एजेंसियों से सरकारी गॉरण्टी के बिना, निधि का सहारा मिल सके.
- महारासंघ को इसी तरह से नाबार्ड के सहारे व मार्गदर्शन के साथ, एक सेट अप तैयार करने के लिए पहल करनी चाहिए, जिससे ARDBs के लिए क्रिसिल या उसके ही जैसी एजेंसी के सहयोग से, एक समर्पित रेटिंग एजेंसी हो.

V. ऋण वसूली

21. ARDBs को पुनरुद्धार पैकेज के सहारे के तहत पात्र यूनियों को एक लघु अवधि के अंदर ऋण वसूली में सारभूत उन्नति पाने और साथ ही धारणीय व्यवहार्यतायोग्य प्राप्त करने की आवश्यकता है.
22. निम्नलिखित अभ्यास/ प्रणालियां वसूली को उन्नत करने में प्रभावी पाई गईं ये बैंकों द्वारा वसूली रणनीति के अंग के रूप में अपनाई जा सकती हैं.
- पुनर्भुगतान किश्तें मासिक आधार पर संग्रह करें.
 - निधि के तीव्र पुनःचक्र के लिए लघु ऋण अवधि और ऋण देयता का प्रतिदान परियोजना के प्रारम्भिक सालों में जब रिटर्न उच्च होता है.
 - लघु अवधि ऋण/ नकद ऋण सपोर्ट आदि के द्वारा उधारकर्ताओं को निरंतर वित्तीय सपोर्ट जारी है.
 - समय पर पुनः भुगतानकर्ताओं को मान्यता/ प्रोत्साहन.
 - वसूली कार्यक्षमता व शाखा/ PCARDBs के शुद्ध मुनाफे की उगाही को कर्मचारियों के लाभ से जोड़ना.
 - पुनःभुगतान/बकाया उधारकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल का एक अलग मूल्यांकन.
 - ब्याज दर आकर्षित करने के लिए घटते संतुलन पर ब्याज गणना करने की बजाय फ्लैट ब्याज दर विशेषकर लघुतर अवधि के लिए जारी ऋण के लिए.
 - जानबूझकर बकाया के सारे मामलों में बैंक वैधिक वसूली उपाय अपनाएं जहां ऋण लेखा 2 साल से अधिक से ओवरड्यू बने हुए हैं.
23. निधि के बेहतर पुनःचक्र को सुनिश्चित करने के लिए अन्य नीति पहलों के बीच, अधिक महत्वपूर्ण संचालन हैं:
- प्रभावी वसूली में सबसे महत्वपूर्ण विवशता है कृषि भूमि की सिक्युरिटी में बल लागू करने के लिए कठिनाई. इस समस्या से निकलने के लिए, राज्य कृषि निगमों (या इसी तरह के निगम) पर विश्वास किया जा सकता है ली गई जमीन को बिक्री करने के लिए. यह वसूली की प्रक्रिया को तेज करेगा उचित मूल्य पर पर सिक्युरिटी लागू करने के द्वारा. (यह पहले ही कुछ राज्यों में कर दिया गया है).

- वैकल्पिक रूप से, उपयुक्त AMCs पहचाने जा सकते हैं या हर राज्य में तैयार किए जा सकते हैं सिक्युरिटी के हस्तांतरण में व्यवहार के लिए.
 - साहचर्य में, बैंक, नाबार्ड व सेबी की सहायता से, और संघ के नेतृत्व में, गिरवी रखी सिक्युरिटीज में व्यापार के लिए एक गौण बाजार का विकास करना.
24. ऋण की वसूली के लिए एक रणनीतिक योजना व NPA's की कमी को तैयार करना चाहिए, सपोर्ट व निदेशकों का सहयोग नामांकित करना चाहिए, इसके बाद एक उद्देश्य व इसकी हर बैठक में बोर्ड स्तर पर रचनात्मक समीक्षा. (जैसे ऐसी समीक्षाएं ऋण बकाया पर आधारित होनी चाहिए (क्षेत्रीय आधार पर/ विभाग आधार पर) और आदतन बकायादारों का मामला दर मामला विश्लेषण होना चाहिए).
25. असंतुलन को कम करने के लिए, संघीय संरचना/ ढांचे में SCARDBs जिनकी PCARDBs से मांग की कुल राशि वास्तव में झुअउठउझी के सदस्यों के साथ से अधिक है तथा साथ ही लेनदारों को इसकी चुकौती का सालाना पुनःभुगतान, 5 से 7 सालों की अवधि में PCARDBs के साथ बकाया मांग को पुनः निर्धारित करना चाहिए.

VI. ब्याज दर नीति

26. ARDBs को अपने ऋण उत्पादों का उनकी लागत के हिसाब से मूल्य रखने की आवश्यकता है, जैसे वित्तीय, लेनदेन व जोखिम लागत और स्पर्धात्मक बाजार की जरूरतें.
27. भले ही कई राज्यों में बैंक सरकार को सालाना आधार पर गॉरण्टी शुल्क भर रहे हैं, इन ऋणों पर उनके ब्याज दर का कारक नहीं है, परिणाम स्वरूप वित्तीय हानि होती है. बैंकों को आवश्यकता है कि वे अपनी ऋण दरों में गॉरण्टी शुल्क शामिल करने की या प्रक्रिया के लिए अलग से अतिरिक्त लागत या अन्य शुल्कों की.
28. भले ही नाबार्ड ने पुनःवित्त पर ब्याज की दरें उत्तरव्यापी प्रभाव से परिशोधित की हैं, इसका प्रभाव ARDBs पर पूर्वव्यापी हुआ है क्योंकि परिशोधित दरें ऐसे परिशोधन से पहले जारी हुए ऋण के विरुद्ध पुनःवित्त पर लागू होती हैं.

चूंकि पुनःवित्त की लागत में ऐसे अंतर का प्रभाव एक लम्बी अवधि तक विस्तारित होता है, तो बैंकों को ऋण करार में ऋण दर में आवधिक परिशोधन का एक विशिष्ट प्रावधान करना चाहिए जो पुनःवित्त प्राप्त करने के समय निधि की लागत में परिवर्तन करेगा.

29. चूंकि नाबार्ड ARDBs पर बकाया ब्याज उसी दर पर लगाता है जबकि, अभी भी अधिकांश ARDBs अपने उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न किए जाने पर कोई ब्याज नहीं लगाते. आरबीआई ने भी बैंकों को कालातीत ब्याज पर मूल ऋण दर से ब्याज लेने की अनुमति दी है. इसलिए, ARDBs, को पूरे डिफ़ाल्टेड किस्तों पर उसी दर से ब्याज लेना चाहिए इसमें घाटा पूर्ति के लिए डिफ़ाल्ट अवधि के ब्याज का हिस्सा शामिल है.

VII. मानव संसाधन विकास व प्रशिक्षण

30. वित्तीय क्षेत्र में सुधारों व बाजारोन्मुखता के बाद, सहकारिता को स्वयं के लाभ की तकनीक से सुधार करने के लिए अधिक कार्यदक्ष, उद्योगी व लागत प्रभावी होना पड़ेगा. यह इन क्षेत्रों में कौशल विकास/ प्रशिक्षण अवलंबन का आव्हान है

शासन (मंडल सदस्यों के लिए)

इसे बदलते सहकार मूल्यों/ लोकाचार, व्यापार सिद्धांत व पुनःभुगतान नैतिकता को सम्मिलित करना चाहिए. ARDBs को नाबार्ड के सहयोग से PCARDBs व अन्य tiers (स्तरों) के सारे चुने हुए निदेशकों को क्रेडिट ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, तथा वे कार्यक्रम पहली बार निदेशक बनने वालों के लिए अनिवार्य करना चाहिए.

व्यावसायिक प्रबन्धन (अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए)

यह दृढ़ता से सिफारिश की गई थी कि मानव संसाधन विकास योजनाएं तथा पहले SCARDBs व PCARDBs की विविधिकरण की योजनाएं और व्यापार विस्तार के साथ साथ होनी चाहिए जिससे कि कर्मचारियों के पास कार्य की कमी को टाला जा सके तथा व्यापार स्तर पुनःस्थापित हो जाएं और संगठन में उनकी पार्श्वीय तथा उर्ध्व रूप गतिविधियां निर्विघ्न चलें.

यह कार्यक्रम दो स्तरों में निर्मित हो सकता है. एक सामान्य कौशल के लिए और दूसरा मुख्य कर्मियों हेतु बीडीपी, संसाधन प्रबन्धन, वसूली प्रबन्धन व तकनीक आदि में विशेष कौशल के लिए.

और

सदस्य/ उधारकर्ता की शिक्षा (सहकार मूल्य नीतियों पर)

प्राथमिक स्तर पर सदस्यों के बीच सहकार मूल्यों व निगम व्यापार सिद्धांतों के नए अनिवार्यों के प्रति जागृति लाई जाए ताकि सदस्य केन्द्रित व सदस्य चालित स्वशासी लोकतांत्रिक संस्थान समाजों के प्रबन्धन में सदस्यों की प्रभावी सहभागिता से प्राइमरीज़ का निर्माण हो.

31. प्रशिक्षण देने में प्रभावी समन्वय के लिए, एक समन्वय समिति होनी चाहिए जिसमें सभी मुख्य संगठन शामिल हों (विशेषकर NCCT व महासंघ) नाबार्ड के नेतृत्व के तहत डिजाइन, क्रियान्वयन, देखरेख व मूल्यांकन (DIME) करने के लिए.

उपरोक्त समिति को एक रूप पाठ्यक्रम सामग्री, केस स्टडीज़, सेक्टर पेपर्स, मॉडल स्कीम्स, ऑपरेशन मेनुअल्स आदि भी तैयार करने चाहिए और सबके उपयोग (कौशलपूर्ण व लागत प्रभावी) के लिए रिसोर्सेस फैकल्टी के पूल विकसित करने चाहिए.

32. अकेले कर्मचारी की प्रशिक्षण आवश्यकता कर्मचारी की सालाना कार्यक्षमता के मूल्य निरूपण के अंग के रूप में वास्तविक रूप से निर्धारित होनी चाहिए और उसके अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक या बाह्य रूप से आयोजित करने चाहिए.

33. LTCCS के पुनःप्रवर्तन की प्रक्रिया में मानव संसाधन विकास एक बड़ी चुनौती है. मानव संसाधन में मुख्य कमियां इस तरह बताई गईं, बढ़ती उम्र के कर्मचारी, व्यावसायीकरण का निम्न स्तर, पदोन्नति अवसरों की कमी व गतिरोधकता उदासीनता की ओर बढ़ती है, अधिकांश संस्थानों में लम्बे समय से नई भर्ती की अनुपस्थिति में, अपर्याप्त प्रशिक्षण व कर्मचारी अपग्रेडेशन आदि कारण हैं. इस परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड से अनुरोध किया जा सकता है ARDBs के लिए मानव संसाधन विकास मेनुअल तैयार करने के लिए जैसा कि यह RRBs व ST सहकारी के मामलों में किया गया.

34. व्यापार विस्तार/ विविधिकरण व जमा जुटाव पहल तथा साथ ही एक उचित भर्ती प्रणाली के जरिए गुणवत्ता प्राप्त कर्मियों की ताज़ी भर्ती की आवश्यकता लगभग सारी बैंकों में है. एक आवश्यक पद्धति के रूप में गुणवत्ता प्राप्त कर्मियों की भर्ती के लिए जाने माने संस्थानों से कैम्पस भर्ती की सिफ़ारिश की गई क्योंकि इसमें न्यूनतम लागत व समय लगेगा.
35. पार्श्व भाग या अन्यथा, मुख्यालय (या इसकी बड़ी शाखाओं) में कुछ व्यावसायिक, जमा जुटाव व लघु अवधि ऋण या नए क्षेत्रों/ सेगमेंट्स में ऋण देने में जिम्मेदारी लेने वाले, और शिखर प्रबन्धन को निगम योजना व शासन में सहारा देने के लिए हर SCARDB में नियुक्ति करने की तत्काल आवश्यकता है.
36. बैंकों को कर्मियों द्वारा स्व प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, उनके गुणवत्ता प्राप्त करने पर जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनेंस द्वारा प्रस्तावित सहकारी बैंक कर्मियों के लिए CAIB/ सर्टिफिकेट कोर्स, इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में उत्प्रेरक देना चाहिए.
37. बैंकों को अपने बजट में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए निधि का पर्याप्त आबंटन रखना चाहिए, जो इनके प्रबन्धन लागत के 5% से कम नहीं होना चाहिए.

VIII. PCARDBs और SCARDBs की शाखाओं का पुनर्गठन/ पुनसंगठन

38. अपने वर्तमान सांगठनिक प्रारूप और निम्न व्यापार स्तर व कमजोर कार्य परिणाम के साथ, उनके स्वयं के लिए धारणीय व्यवहार्यता पाने के लिए PCARDBs सदस्यों को समय पर, पर्याप्त व सही ऋण के प्रावधान के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता.

व्यापक रूप से कोई भी पुनर्योजना व री-इंजीनियरिंग प्रयास को दूसरी चीजों के साथ, अनुबद्ध विवेकयुक्त मानकों से संबोधित होना चाहिए, जो आरबीआई/ नाबार्ड द्वारा वर्णित हैं और VCR-2 में बेंचमार्क परफ़ॉर्मेंस निर्धारित किए गए हैं.

- a. अव्यवहार्य ईकाइयों को M&A या पराकाष्ठा वाले मामलों में ऋण निस्तार के जरिए जाना होगा.
- b. संभावित व्यवहार्य VCR-2 के बाद, तय समय पर पुनःउन्मुख DAPs द्वारा धारणीय व्यवहारिता प्राप्त कर सकते हैं.

व्यवहार्य ईकाइयों को अपना व्यापार मापदंड पुनःउन्मुख करने के साथ VCR-2 के तहत तय बेंचमार्क प्राप्त करने चाहिए (जैसे शासन, मानव संसाधन विकास व वित्तीय धारणीयता).

39. उपरोक्त पुनर्गठित मॉडल में, एपेक्स बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी 3 या 4 डिवीजनल या ज़ोनल कार्यालयों में बदला जा सकता है या एपेक्स बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय 6 से 8 DLPBs को सम्मिलित कर सकता है.
 - a. वे विकेन्द्रीकृत शक्तियों को प्राथमिक बैंकों के पर्यवेक्षण में लगा सकते हैं.
 - b. इससे उभरे अतिरिक्त कर्मचारियों को उचित तरीके से पुनःनियुक्त किया जा सकता है.
40. आंध्र प्रदेश व कर्नाटक ने ऐसी सर्वांगपूर्ण योजनाओं को तैयार किया है जो विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित है. ऐसी समितियां अन्य राज्यों में भी बनाई जा सकती हैं.

(बी) नाबार्ड संबंधी सिफ़ारिशें

41. नाबार्ड ऋण योग्य निधि का समग्र स्रोत है व निवेश ऋण इसके पुनःवित्त के सहारे LTCCS में अधिकांश संस्थानों के लिए इकलौता व्यापार है. नाबार्ड द्वारा पुनःवित्त के कम आबंटन के कारण गत पांच सालों से इन संस्थानों के व्यापार स्तर में तीव्र कमी होती रही है. कुछ सालों से नाबार्ड द्वारा SCARDBs को पुनःवित्त का सालाना आबंटन सामान्यतः उस पुनःभुगतान से कम है जो वे नाबार्ड को देते हैं. इसलिए, नाबार्ड को ARDBs को पुनःवित्त आबंटन को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह सुनिश्चित करने के द्वारा कि SCARDBs को सालाना आबंटन नाबार्ड को इसके सालाना पुनःभुगतान से कम नहीं होगा.
42. नाबार्ड के मौजूदा मानदंडों के अनुसार, केवल वे ही SCARDBs पुनःवित्त आबंटन वृद्धि के योग्य हैं जिन्होंने पिछले साल 70% से अधिक वसूली की है. एक समय जब ऋण माफ़ी योजना के कारण ऋण वसूली में जबर्दस्त पिछड़ापन

आया था तब बहुत कम बैंक उच्च पुनःवित्त योग्यता के लिए उपरोक्त मानक को पार करने में सक्षम हुए थे. नाबार्ड को ARDBs के संबंध में SCARDBs को उच्चतर पुनःवित्त आबंटन को निर्विघ्न चलाने के लिए अपनी पुनःवित्त नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है जो बिना किसी अपेक्षित स्तर के ऋण वसूली में उन्नति का प्रदर्शन करे.

43. भले ही नाबार्ड SCARDBs को उसके सदस्यों को फ़सल ऋण देने के लिए, पुनःवित्त विस्तारित कर रहा है, जिन्होंने निवेश ऋण का लाभ उठाया है, सामान्यतः इस उद्देश्य के लिए निधि आबंटन अलग से होने की ग़ैर मौजूदगी में यह सुविधा SCARDBs को प्राप्त नहीं होनी चाहिए. इसलिए, नाबार्ड को बैंकों को फसल ऋण जारी करने के बारे में अलग से सोचना चाहिए ताकि अग्रिम फ़सल ऋण उनके कार्यक्रम में निवेश ऋण के तहत कम होने के परिणाम में आ जाए.
44. जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना ARDBs को विस्तारित की गई, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जारी करना/ ARDBs द्वारा जारी होने का कार्यक्षेत्र कुछ एक उद्देश्यों के लिए काफ़ी परिमित व सीमित था जिनके लिए नाबार्ड से पुनःवित्त उपलब्ध करवाता है. इसलिए, नाबार्ड, को ARDBs को अनुमति देनी चाहिए कि वह सारी कृषि संबंधी ऋण आवश्यकताओं को अपने पुनःवित्त से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए वित्त दे और इस उद्देश्य के लिए निधि का पर्याप्त आबंटन उपलब्ध करवाना चाहिए.
45. नाबार्ड को भारत सरकार द्वारा फ़सल पर ARDBs का ऋण उधारकर्ताओं के लिए दिए गए ऋण के शीघ्र भुगतान के लिए ब्याज छूट का विस्तार करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.
46. कुल जमा पर सीमा के संबंध में प्रतिबंधों के दृष्टिकोण से और सावधि जमा की अवधि पर नाबार्ड द्वारा 1977 में जारी सार्वजनिक जमा जुटाव के लिए मार्गदर्शनों पर आधारित, ARDBs अब केवल अपने सदस्यों से ही जमा लेते हैं. नाबार्ड को ARDBs के जमा जुटाव कार्यक्रम को सहारे के लिए वित्तीय समावेश निधि को एक पात्रता योग्य मद के रूप में शामिल करना चाहिए क्योंकि सदस्यों को जमा उत्पाद प्रस्ताव करना वित्तीय समावेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
47. नाबार्ड को ARDBs को सहकारी विकास निधि से इमारतों के नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण के लिए, कैश काउंटर्स के निर्माण आदि के लिए सहारा प्रदान करना चाहिए.

48. सहकारिता के सांस्थानिक विकास के अधिदेश के तहत नाबार्ड एक अध्ययन संस्थापित कर सकता है जो ARDBs के कार्यात्मक पुनर्गठन पर जिसमें जमा जुटाव, व्यापार विविधिकरण व संपूर्ण बैंकिंग में रूपांतरण के लिए रूपरेखा आदि जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए.
49. कई SCARDBs जो अन्यथा पुनःवित्त के लिए पात्रता योग्य हैं वे सरकारी गॉरण्टी की शर्त के कारण यही लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं. राज्य सरकारें कुल गॉरण्टी पर सीमा होने के कारण गॉरण्टी देने में अधिक अक्षम होती जा रही हैं. इस संदर्भ में नाबार्ड को ARDBs को पुनःवित्त के विस्तार के लिए सरकारी गॉरण्टी की स्थिति की स्थानापन्नता के लिए अन्य व्यवहार्य विकल्पों पर सोचना चाहिए. सम्मेलन में महसूस किया गया कि नाबार्ड को ARDBs को क्रेडिट रेटिंग के आधार पर निधि प्रदान करनी चाहिए जो उसे एंकेडिटेड एजेन्सियों ने दी है. सम्मेलन में सिफारिश की गई कि नाबार्ड को यह सब निर्विघ्न करने के लिए अपने अधिनियम में संशोधन कर ऐसा प्रावधान शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए.
50. ARDBs को पुनःवित्त का सहारा प्रदान करने के लिए, नाबार्ड को डिबेंचर से ऋण प्रणाली में परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए जो नाबार्ड के साथ ही ARDBs के लिए भी लाभदायक पाया गया है.
51. पुनःवित्त पर ब्याज दर गत छह महीनों के दौरान कई गुना उर्ध्व संशोधन से गुजरा है. यहां तक कि ऐसे संशोधन के समय इसके पास लंबित पड़े पुनःवित्त आवेदनों पर भी नाबार्ड पुनःवित्त पर उच्चतर दर से ब्याज लगा रहा है. चूंकि बैंक इन संबंधित ऋणों पर उच्चतर दर से ब्याज लगाने में असमर्थ हैं तो नाबार्ड को पुनःवित्त पर उच्चतर ब्याज दर नहीं लगानी चाहिए, विशेषकर उनपर जो दावे पहले ही उसके पास पुनःसमीक्षा के लिए लम्बे समय लंबित पड़े हों.
52. प्रशिक्षण देने में प्रभावी समन्वय के लिए, डिजाइन करने, लागू करने, देखरेख करने व मूल्यांकन (DIME) करने में एक समन्वय समिति होनी चाहिए जिसमें नाबार्ड के नेतृत्व में सभी मुख्य संगठन (विशेषकर NCCT व संघ) शामिल हों.
53. उक्त समिति को समान पाठ्यक्रम सामग्री, केस स्टडीज, सेक्टर पेपर्स, मॉडल स्कीम्स, ऑपरेशन मेनुअल्स आदि तैयार करने चाहिए.

54. ARDBs को सरकारी गॉरण्टी के बिना वाणिज्यिक बैंकों व अन्य एजेंसियों से निधि सहारा पाने के लिए नाबार्ड के सहारे व मार्गदर्शन से, एक्डेडिटेड रेटिंग एजेंसियों से क्रेडिट रेटिंग करवानी चाहिए.
55. संघ को नाबार्ड के सहारे व मार्गदर्शन में क्रिसिल या मिलती जुलती एजेंसियों के सहयोग से ARDBs के लिए एक समर्पित रेटिंग एजेंसी बनाने के लिए साथ साथ कदम उठाने चाहिए.
56. निम्नलिखित राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यक्रमों को लागू करने में उपयुक्त व प्रभावी रूप से सहभागिता करने में ARDBs की सहायता करने के लिए मार्गदर्शन व कौशल प्रदान करने के अलावा,

ए) एक द्वितीय हरित क्रांति:

- राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा स्थापित करने व ग्रामीण परिवारों में धारणीय आजीविका के लिए. (खाद्य उत्पादन को वर्तमान 22.0 करोड़ मीट्रिक टनों से बढ़ाकर 25.0 करोड़ मीट्रिक टन करना पड़ेगा)
- सिंचाई सुविधाओं व बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर बेहतर प्रबन्धन के लिए ध्यान देना होगा (जीवित रहने का एकमात्र विकल्प).

बी) जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण सुरक्षा:

एक गंभीर वैश्विक चिंता व एक राष्ट्रीय मजबूरी है

- प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि व वायु के संरक्षण व उनकी अधोगति के विरुद्ध सुरक्षा, पुनर्नवीकरणयोग्य ऊर्जा स्रोत (जैसे बायो गैस/ माँस), जैव विविधता के जरिए बंजर भूमि विकास, जल विभाजक विभाग व ऊर्जा सुरक्षा स्वच्छ पर्यावरण को उन्नत करने के लिए.
 - कार्बन उत्सर्जन रोकना व हरित पट्टियों का विशाल विस्तार करना. बैंकों को इनमें आक्रामक रूप से सहभागी (कृषि, सामाजिक वनीकरण आदि) होना पड़ेगा
57. नाबार्ड को सारे SCARDBs में अपने CDF द्वारा ग्रांट से टीएमई सेल्स स्थापित करने के लिए सबसिडी देनी चाहिए और उन्हें विस्तार व नवोन्मेष के लिए तय दृढ़ लक्ष्य से कार्यक्षमता के लिए एफ आई के जरिए आईजी की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायी बनाना चाहिए.

(सी). भारत सरकार से संबंधित सिफ़ारिशें

58. LTCCS के पुनरुद्धार के लिए पैकेज का शीघ्र कार्यान्वयन

LTCCS के पुनरुद्धार के लिए पैकेज जिसकी सरकार ने 2008-09 के बजट में घोषणा की थी उसे केबिनेट ने 26 फरवरी 2009 में मंजूरी दे दी थी के कार्यान्वयन में देरी के फलस्वरूप स्ट्रक्चर की वित्तीय और सांस्थानिक कमजोरियों को दूर करने के लिए बेशकीमती समय की हानि हो गई जिससे किसानों के काफ़ी बड़े सेगमेंट को ऋण संकट का सामना करना पड़ा इनमें अधिकतर वे हैं जो लघु व सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं. इसलिए, भारत सरकार से प्रार्थना की गई है कि LTCCS के लिए पुनरुद्धार पैकेज को लागू करने में शीघ्र कदम उठाए.

59. किसानों को निवेश ऋण के लिए ब्याज दर

भारत सरकार ने किसानों को 7% ब्याज पर फ़सल ऋण उपलब्ध करवाने के लिए और समय पर पुनर्भुगतान के लिए 3% की अतिरिक्त छूट देने के लिए कदम उठाए हैं. तो लघु अवधि फ़सल ऋण पर ब्याज अब 4% तक नीचे आ गया है. लेकिन, किसानों को निवेश ऋण पर ब्याज दर अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. नाबार्ड वर्तमान में अग्रिम निवेश ऋण के लिए सहकारी व अन्य बैंकों को 9.25% ब्याज पर निधि दे रहा है. इस लागत पर, बैंक 13% से कम ब्याज पर ऐसे ऋण देने में सक्षम नहीं हैं. यही नहीं, सरकार ने निवेश ऋण के उधारकर्ताओं को समय पर पुनर्भुगतान के लिए 3% की अतिरिक्त राजकीय सहायता भी विस्तारित नहीं की है. इसलिए, निवेश ऋण लघु अवधि कृषि ऋण पर ब्याज दर 3 गुना से भी अधिक प्रभावी है. ऐसे समय जब उच्च उत्पादकता व उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि में पूंजी निर्माण एक उच्च प्राथमिकता है तब कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए यह एक बड़ा निष्प्रेरक है.

इसलिए, सरकार से प्रार्थना की जाती है कि इस मामले से निपटने के लिए निम्न कदम उठाए.

- i) RIDF की तरह, नाबार्ड के स्तर पर एक अलग निधि का निर्माण करे, जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण में आई कमी को पूरा किया जा सके जिससे बैंकों को निवेश ऋण के संवितरण के लिए पुनःवित्त मिल सके. यह नाबार्ड व बैंकों के स्तर पर निधि की लागत कम करेगा जो अपना पुनःवित्त पाते हैं.

ii) भारत सरकार भी निवेश ऋण के लिए कृषि ऋण के उधारकर्ताओं को समय पर पुनर्भुगतान के लिए 3% की अतिरिक्त राजकीय सहायता का विस्तार कर सकती है.

60. नाबार्ड मंडल में ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे का प्रतिनिधित्व

नाबार्ड अधिनियम में अपने निदेशक मंडल में सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल करने का एक प्रावधान है. यह आवश्यक है कि सरकार नाबार्ड के मंडल में उक्त अधिनियम के तहत सहकारी ग्रामीण ऋण व्यवस्था के प्रतिनिधियों को लघु अवधि व दीर्घ अवधि ढांचे दोनों में से एक सदस्य को नियुक्त करे, ये संस्थान नाबार्ड के कुल व्यापार के बड़े अंश के लिए जिम्मेदार हैं.

61. कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के जमाकर्ताओं को आयकर उत्प्रेरक

दीर्घ अवधि सहकारी ऋण ढांचे द्वारा इसके सदस्यों से संग्रहित समग्र जमा का उपयोग निवेश ऋण, कृषि में पूंजी निर्माण व ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है. लेकिन, ये जमा आयकर में सेक्शन 80 सी के तहत योग्य नहीं हैं जैसे कि शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के लिए हैं. सरकार से प्रार्थना की गई थी कि दीर्घ अवधि सहकारी ऋण ढांचे द्वारा जमा को आयकर में सेक्शन 80 सी के तहत कर छूट के योग्य बनाया जाए.

62. रीअल सेक्टर इश्यू - CARDBs की वृद्धि में पूर्व शर्त

भारतीय कृषि एक बहुत ही बुरे दौर और चुनौतियों से गुजर रही है. इसलिए, यह, आवश्यक है कि रीअल सेक्टर में एक समर्थ वातावरण बनाया जाए ताकि सहकारिता अपेक्षित परिणाम दे सके.

ऋण आवश्यक है लेकिन समता के साथ वृद्धि सुरक्षित करने में पर्याप्त नहीं है. अन्य सारे इनपुट्स को मिलाकर पिछड़े व अगड़े संयोजन के साथ प्रभावी स्थिति में रखने की आवश्यकता है.

एक बार नीतिगत पहल तय हो जाए, तो RCCs को FI व IG के जरिए खाद्य सुरक्षा व धारणीय आजीविका को निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए आगे के तर्कसंगत कदम उठाने ही पड़ेंगे.

63. सहारा देने वाला नीतिगत पर्यावरण की आवश्यकताएं

a. हमारे देश में, राजनीतिक नेतृत्व ने क्रमशः सहकारी नेतृत्व का कार्यभार संभाल लिया है और राजनीतिक समीचीनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों व प्रयोजनमूलक स्वायत्तता के सहकारी सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया है, परिणामस्वरूप व्यापार प्रबन्धन में दूरदर्शिता की जगह संकीर्ण राजनीतिक लाभों ने ले ली हैं

- b. क्रमिक/उत्तरोत्तर विशेषज्ञ समितियों ने एक आंदोलन के तहत सहकारी मूल्यों के पुनःरुद्धार का सुझाव दिया है और अंततः वैद्यनाथन कार्यबल (2006) की सिफारिशों के बाद आने वाले पुनःरुद्धार पैकेज से आशा की एक किरण उभरी है.

64. दबाव की परिस्थितियों में किसानों को राहत

- (i) प्राकृतिक आपदाओं के बाद केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों ने ब्याज में छूट व पुनर्भुगतान में अधित्याग/छूट द्वारा राहत पहुंचाई है, जबकि ऐसे पैकेजों का इरादा पवित्र है, व्यवहार में वे पूर्णतः लागू किए गए हैं लेकिन अक्सर वे सही और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचते, इस तरह राहत उपायों के एक अच्छे उद्देश्य की हार हो जाती है. साथ ही इससे वसूली के वातावरण को गहरी ठेस पहुंचती है, परिणामस्वरूप संस्थानों की वित्तीय शक्ति का क्षय होता है.
- (ii) इस संदर्भ में, यह पुनरुक्त किया गया है कि किसानों की मुसीबत को सही तरीके से सुधारने के मानक नीतिज्ञ सुझाव और राजकोष के दुर्लभ संसाधन खर्च करना नीति निर्माताओं द्वारा व्यावहारिक आवश्यकता तत्काल विमर्श से हो
- हर मामले में अलग अलग राहत दी जाए, न कि पूरे बोर्ड को
 - राहत बैंकिंग प्रणाली के बाहर प्रदान की जाए
 - राहत समेकित सपोर्ट पैकेज का अंग हो

65. ग्रामीण ऋण सहकार को विशेष हैसियत

जैसे कि, हाल ही में, राजनीतिक सुविधा के नाम पर संस्थानिक ब्याज गौड़ कर दिया गया, यह सहकार को अवरोधी बनाने के समान है जैसे संवैधानिक विद्यमानताओं जैसे पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को हमारे संविधान में उपयुक्त संशोधनों के जरिए किया गया.

66. सहकार शिक्षा

समृद्धि के लिए युवाओं के सारे प्रयास सहकार नेतृत्व के निर्माण में लगाने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्माण में लगाए जाते हैं. इसी तरह से, इस उद्देश्य के लिए, प्रेरणात्मक सफलता की कहानियां व सहकार आंदोलन का

शक्तिशाली योगदान व इसका विशिष्ट नेतृत्व प्राथमिक व माध्यमिक स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए.

(डी) राज्य सरकारों से संबंधित सिफारिशें

67. ARDBs राज्य सरकारों की पहल के जरिए बनाए व बढ़ाए गए थे. राज्य सरकारें लगातार इस संरचना की मुख्य अंशधारक बनी हुई हैं. राज्य सरकारों को, इसलिए, इस संरचना के पुनरुद्धार के लिए निर्णायक भूमिका निभानी पड़ेगी. सेमिनार ने राज्य सरकारों से अपील की है कि LTCCS में पुनःपूंजीकरण व सुधारों की आवश्यकता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे जैसा कि वैद्यनाथन कार्यबल द्वारा सुझाए गए हैं.
68. LTCCS पैकेज में विचार किए जाने वाले सुधार STCCS के लिए पैकेज से मिलते जुलते हैं जो पहले ही अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं. राज्य सरकारें, इसलिए, एक बार घोषित होने पर प्रस्तावित पैकेज के कार्यान्वयन के लिए सम्मति दे सकती हैं और कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकती हैं.
69. राज्य सरकारें जो STCCS के लिए पैकेज के अनुसार अधिनियम संशोधन के लिए तैयार हैं वे ये संशोधन LTCCS पर भी लागू कर सकती हैं जैसा कि कुछ राज्यों में पहले ही हो चुका है.
70. राज्य सरकारें राज्य स्तरीय समिति गठित करने पर विचार कर सकती हैं जिसमें विशेषज्ञ शामिल हों जो ARDBs के कार्य की समीक्षा और वसूली को उन्नत करने के लिए उपाय अपनाएं, शहरी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली उन्नत करने के लिए बनाए गए राज्य स्तरीय कार्य बल की तरह ये संसाधन जुटाव व व्यापार विविधिकरण के सुझाव दें. (यह पहले ही आंध्र व कर्नाटक राज्यों में किया गया है.)
71. ARDBs को पुनःपूंजीकरण के बाद व व्यापार विस्तार के साथ-साथ न्यूनतम 9% पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने की आवश्यकता है जो केवल सदस्यों की इक्विटी से संभव नहीं है. अठउझी, को इसलिए, नॉन वोटिंग प्रिफरेंस शेयर्स से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की स्वीकृति देनी चाहिए. राज्य सरकारों को यह सुविधा देने के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाने चाहिए.
72. राज्य सरकारें ARDBs द्वारा नाबार्ड व NCDC से प्राथमिकता के आधार पर निर्विघ्न ऋण के लिए गॉरण्टी जारी कर सकती हैं.

73. कुछ राज्य सरकारें SCARDBs से गॉरण्टी शुल्क लेती हैं जिससे उनकी निधि की लागत में और वृद्धि हो जाती है, और अंतिम उधारकर्ता स्तर पर ब्याज दर उच्चतर हो जाती है. राज्य सरकारें राज्य में बाहरी स्रोतों से कृषि क्षेत्र में संसाधनों के बहाव को निर्विघ्न रूप से होने के लिए और कृषि व ग्रामीण क्षेत्र को अफोर्डेबल दरों पर ऋण उपलब्ध होने देने के लिए SCARDBs के पक्ष में गॉरण्टी के मामले में शुल्क माफ कर सकती हैं.
74. कुछ राज्य ARDBs के उधारकर्ताओं द्वारा पंजीकृत रेहन रखने पर अधिक स्टैम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क लेते हैं परिणाम स्वरूप किसानों के लिए ARDBs से ऋण लेने में अतिरिक्त व्यय होता है. केरल और अधिकांश दक्षिणी राज्यों की गेहन व्यवस्था जिसके तहत उधारकर्ता बैंक के अधिकृत अधिकारी के सामने एक घोषणापत्र हस्ताक्षरित करते हैं जो पंजीकृत रेहन की सारी विशिष्टता वाला समझा जाता है, जिसकी एक प्रति तदनन्तर बैंक द्वारा फाइलिंग के लिए संबंधित सब रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाती है, ऋण दस्तावेजों में देरी व व्यय को टालने के लिए यह तरीका सारे राज्यों द्वारा लागू किया जा सकता है.
75. राज्य सरकारें ओवरड्यूज की वसूली के लिए कानूनी प्रावधानों पर बल देने के लिए ARDBs को समर्थन दे सकती हैं और सिक्योरिटी संपत्ति की बिक्री करने के लिए बैंक अधिकारियों शक्ति प्रदान कर सकती हैं.

(ई) भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सिफारिशें

76. ARDBs को पूर्ण बैंक में बदलने के मानदंड

BR अधिनियम 1949 के दायरे के तहत वर्तमान में, ARDBs बैंकिंग संस्थान नहीं है. परिणाम स्वरूप, अठउझी अन्य ग्रामीण संस्थानों की तरह सार्वजनिक जमा करके और अपने सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते. ARDBs को पूर्ण बैंक में बदलने की कपूर समिति (1999) की सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई ने 2001 में ARDBs को पूर्ण बैंक में विकसित कर बैंकिंग लाइसेंस देने के मानदंड बनाने के लिए एक समिति गठित की थी. लेकिन, उक्त समिति अपनी रपट देने से पहले ही विघटित हो गई. वैद्यनाथन कार्य बल खरख ने अपनी रपट में उल्लेख किया है कि 'अगर वर्तमान में या भविष्य में संरचना के तहत बैंकिंग लाइसेंस पाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की पूर्ति करती है, तो बैंकिंग रेगुलेटर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकता है'. लेकिन, आरबीआई ने ARDBs द्वारा बैंकिंग लाइसेंस पाने के लिए यथासंभव आवश्यक परिस्थितियों के बारे में वर्णन नहीं किया.

आरबीआई को, इसलिए, ऐसे मानदंड बनाने कि आवश्यकता है ताकि ARDBs जो ऐसे मादनडों की पूर्ति करती है उसपर बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए विचार किया जा सके जैसा कि वैद्यनाथन कार्य बल खरख ने सिफारिश की है.

(एफ) संघ से संबंधित सिफारिशें

77. संघ को तकनीकी सपोर्ट की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है जो विशेषज्ञों के पैनल को बनाने जिसमें ऐसे व्यक्ति हों जो योजना आयोग, प्रबन्धन संस्थान, आरबीआई/ नाबार्ड आदि से जुड़े हों, जो वकालत की भूमिका और ग्रामीण ऋण/ LTCCS के संबंध में सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने के लिए उपयुक्त हो.
78. संघ SCARDBs की रेटिंग के लिए अलग मानदंड बनाने के लिए CRISIL (क्रिसिल)/ एंकेडिटेड रेटिंग एजेंसियों तक पहुंचे.
79. संघ निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों/ एजेंसियों के साथ ही अपने अधिकारियों को शामिल करे.
 - (i) LTCCS द्वारा व्यापार विविधिकरण हो जिसमें गैर निधि आधारित व्यापार शामिल होना.
 - (ii) ARDBs द्वारा जमा जुटाना.
 - (iii) वसूली प्रबन्धन.
 - (iv) ARDBs को पूर्ण बैंकिंग संस्थान में बदलने के लिए योजना बनाना.
80. संघ ARDBs के कर्मचारियों के लिए ग्रामीण ऋण प्रबन्धन पर एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाए. डउअठउझी को कर्मचारियों को यह कोर्स पास करने के लिए प्रेरित करने हेतु पदोन्नति के लिए अतिरिक्त वृद्धि व महत्व देने के प्रोत्साहन पर विचार करना चाहिए.
81. संघ को SCARDBs के JLTCs की कार्यप्रणाली पर नाबार्ड के समर्थन व सहयोग से कर्मचारियों को ज़बर्दस्त सुधारों की अवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होने को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना चाहिए.
82. संघ को जोनल सेमिनारों की सिफारिशों के अनुवर्तन व परिपालन की देखरेख और सदस्यों के लिए परेशानी दूर सकने वाली टीम की तरह काम करने हेतु SCARDBs व नाबार्ड के प्रतिनिधि लेकर एक समिति गठित करनी चाहिए.

साथ ही इन सुधारों का संदेश उपयुक्त व प्रभावी रूप से राज्य के क्षेत्रीय व ग्राम स्तरों पर सभी स्टेक होल्डर्स तक भी बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहिए और सुधार प्रक्रिया को एक पूर्ण रूपेण सहभागी कार्य होने के लिए उनकी इच्छा और सामूहिक सहमति लेनी चाहिए.

83. व्यापार विकास प्रक्रिया

- (i) वर्तमान में SCARDB की ईकाइयां व्यापार विकास के लिए चजणी के तहत अपना DAP/AAP तैयार कर रही हैं जो उनके द्वारा नाबार्ड के साथ निष्पादित किया जाएगा. VCR-2 के पश्चात, ये AAPs को - विनिर्दिष्ट व समय सीमा में (3 से 5 साल की अवधि.) श्रम सहित परिणामकारी होने चाहिए.
- (ii) इस योजना की विशेषज्ञों की एक अधिकारसंपन्न समिति के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में संबंधित संस्थान के अधिकारियों की एक समर्पित टीम और अंब्रेला संगठनों जैसे नाबार्ड/ NCARDBF / NCUI के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में लागू करना व देखरेख (DIME) करना चाहिए.
- (iii) जैसे ARDBs का पुनरूद्धार केवल एक समय के वित्तीय पैकेज से नहीं पाया जा सकता, इसके साथ सांस्थानिक, कानूनी व नियामक सुधार आवश्यक हैं जो एक धारणीय तरीके से संरचना को कार्य करने में सक्षम करे और इसे वापस घाटे में जाने से रोके. उपरोक्त समिति को इन व्यापक कार्यों से न्यस्त रहना चाहिए.
- (iv) सुधारों के पश्चात, VC-2 पैकेज के तहत, ARDBs को बढ़ना चाहिए
 - एक वित्तीय रूप से मजबूत, व्यवहार्य व धारणीय वृद्धि मॉडल
 - एक आत्म निर्भर अवस्था में स्पर्धात्मक बाजार में संचालन

84. जैसे कोई भी संशय व प्रतीक्षा सुधार प्रक्रिया को अधिक कठिन व चुनौतीपूर्ण बनाते हैं वैसे ही लम्बे संशय व परेशानी से SCARDB संरचना के पुनरूद्धार के लिए सुधार पैकेज लागू करने के लिए GOI's की वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा समाप्त होनी चाहिए. सुधार पैकेज को तत्क्षण आरम्भ होना चाहिए - VCR - 2 पैकेज के तहत वित्तीय सहायता के साथ या बिना, जो SCARDBs के संपूर्ण समूदाय के मजबूत संकल्प/निर्धारण से, इसके सभी स्तरों पर हो. अगर यह छोटी ईकाइयों जैसे RRBs से हो सकता है, तो यह मुख्य विशाल ईकाइयों, सदस्यों व इसके कर्मचारियों के साथ हो सकती है, चुनौती लेने के लिए और विजय पश्चात सही भार तुल्यता है.

85. “LTCCS की पुनःसंरचना व पुनरूद्धार एक अनिवार्यता है न कि विकल्प”

सेमिनारों की सफलता के साथ, संघ को ARDBs के लिए योजना तैयार करनी चाहिए साथ ही उनके लक्ष्य जैसे विज्ञान 2020 तैयार करनी चाहिए.

सीईओ की स्थाई समिति

सीईओ की स्थाई समिति की स्थापना सितम्बर 2009 में निम्नलिखित कार्यों के लिए की गई.

- 1) सेक्टर की समग्र कार्यक्षमता की समीक्षा, मामलों की पहचान करना व बोर्ड को समाधान सुझाना.
- 2) बोर्ड व अन्य मंचों की बैठकों में हुए निर्णयों के आधार पर SCARDBs व PCARDBs के लिए कार्ययोजना तैयार करना आदि.
- 3) ऋण वसूली, संसाधन जुटाना, मानव संसाधन विकास, एमआईएस, कार्पोरेट गवर्नेंस आदि में बेहतर कार्य को बांटना व प्रलेख तैयार करना.

समिति की पहली बैठक 8 फ़रवरी 2010 को मुंबई में हुई

श्री के सिवदासन नायर, चेअरमैन के उद्घाटन भाषण के मुख्य अंश

- इस संरचना के आगे नाबार्ड पर अति निर्भरता व ऋण योग्य निधि में कमी बड़ी चुनौती है. जब भी नाबार्ड पुनःवित्त सहारा निलंबित करता है तो सामान्यतः SCARDBs ऋण संचालन बंद करने के लिए मजबूर हो जाती है . उदा. आसाम, बिहार, ओडिसा, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर आदि.
- पांडिचेरी व गुजरात SCARDBs, नाबार्ड के निधि सहारे के बिना मुख्यतः सदस्यों व सार्वजनिक जमा के आधार पर ऋण संचालन चला सकते हैं.
- इसी तरह, केरल SCARDB ने नाबार्ड से पूरक पुनःवित्त के लिए सारभूत तरीके से ऋण लेने के लिए वैकल्पिक मार्गों का विकास किया है.
- संसाधन जुटाने के वैकल्पिक मार्गों की खोज में इन बैंकों के अनुभव का अन्य बैंकों को अध्ययन करना चाहिए.
- सदस्यों द्वारा लघु अवधि ऋण की आवश्यकता पूरी होने की अक्षमता SCARDBs द्वारा सामना की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी विवशता है.
- नाबार्ड ने ARDBs को स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड पूरकता की अनुमति दी है. इसी तरह से, किसी भी प्रकार के सदस्य को लघु अवधि ऋण अग्रिम के लिए NCDC ऋण सहायता उपलब्ध है. यह निराशाजनक है कि

केरल के अलावा किसी भी SCARDBs ने इन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं लिया है. केरल के लघु अवधि ऋण में अग्रिम अनुभव को दूसरों के द्वारा बांटना और उसपर चलना चाहिए.

- पूरे क्षेत्र के लिए ऋण वसूली लगातार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. ऋण माफ़ी योजना, भविष्य की माफ़ी की अपेक्षाएं, किसानों की विपत्ति आदि SCARDBs द्वारा कृषि ऋण की कम वसूली के लिए जिम्मेदार कुछ सामान्य कारक हैं.
- उसी समय, ST ऋण संरचना और RRBs ऐसी ही परिस्थिति में ऋण वसूली में ARDBs से बेहतर कार्यक्षमता के साथ काम करने में सक्षम हैं. यह दर्शाता है कि कम ऋण वसूली के लिए ARDBs की जिम्मेदारी के कुछ कतिपय विशिष्ट कारक हैं. बैंकों को ये पहचानने चाहिए और इन कारकों का पता लगाना चाहिए.
- संरचना में संस्थानों का अपनी पहल व प्रयासों से पुनरुद्धार संभव है. संरचना के भविष्य के निर्णय में भूमिका निभाने के लिए CEOs की भूमिका महत्वपूर्ण है. CEOs की समिति की स्थापना उनके बीच के मामलों की चर्चा व संरचना का मार्गदर्शन करने के लिए तथा बार बार अंतर्सम्बंध निर्विघ्न रूप से करने की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए की गई थी.

श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबी फेडरेशन द्वारा संबोधन की मुख्य बातें

- संरचना के सम्मुख जो चुनौतियां हैं वे अवसर भी प्रदान कर रही हैं.
- विभिन्न बचत व जमा उत्पादों के साथ ही अन्य संस्थानों जैसे NCDC, वाणिज्यिक बैंकों आदि के जरिए भी नाबार्ड के पूरक पुनःवित्त के लिए आवश्यकता महसूस की जा रही है.
- यह उचित समय है कि बैंकों ने दीर्घ अवधि के कृषि ऋण के एकल उत्पाद के अपने ऋण पोर्टफोलियो से विविधिकरण कर दिया है. बैंकों को कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के मामले, अधिनियम व उपविधियों में प्रतिबंध, अपने सदस्यों को नाबार्ड के पुनःवित्त सहारे के साथ अग्रिम फ़सल ऋण देने के लिए उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए.
- अन्य बैंकों/ स्वात्वाधिकार निधियों से जमा/ उधार बढ़ाकर NCDC निधियों/ संसाधनों के उपयोग से LT ऋण के उधारकर्ताओं के लिए नक़द ऋण सीमा मंजूर करना व सदस्यों के लिए लाभ हेतु इसके ऋण पोर्टफोलियो को विविध रूप देने की एक बड़ी पहल है.
- रत्न ऋण, व्यापारी ऋण आदि जो कुछ SCARDBs द्वारा सफलतापूर्वक अग्रिम दिया गया वह ऋण उत्पादों के विविधता के लिए अवसर प्रदान करता है.
- कुछ बैंकों के अनुभव दर्शाते हैं कि अतिदेय इन उपायों के करने से वस्तुतः कम किए जा सकते हैं:-

- (i) मूल्यांकन कड़े करना व अनुवर्तन व्यवस्था.
 - (ii) ऋण पात्रता व पुनःभुगतान क्षमता के आधार पर उधारकर्ताओं का चयन.
 - (iii) ग्राहक हितैषी ऋण प्रक्रिया.
 - (iv) JLG प्रणाली के जरिए वित्तपोषण.
 - (v) पुनःभुगतान प्रणाली को नया रूप देने में मासिक किस्तों को शामिल करना, बराबर किस्त प्रणाली, लघुतर ऋण अवधि, पुनःभुगतान आदि की अवधि में लचीलेपन की अनुमति देना.
 - (vi) दोषपूर्ण मूल्यांकन और ऋण प्रस्ताव की सिफारिश के लिए फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना.
 - (vii) प्रोत्साहन/ दंड प्रणाली के साथ निर्दिष्ट वसूली लक्ष्य तय करना.
 - (viii) आंतरिक गृह प्रबन्धन और सतर्कता सुधार करना.
 - (ix) जोखिम प्रबन्धन प्रणाली आरम्भ करना.
- SCARDBs को उनके MIS व रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है. SCARDBs सांख्यिकीय विभाग को योग्य कर्मियों व उचित बुनियादी ढांचे द्वारा मजबूत करने के द्वारा, समय पर आंकड़ों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने का प्रबन्ध करे.
 - फेडरेशन ने सुझाव दिया कि सारे SCARDBs को वार्षिक सांख्यिकी समाचार सामान्य प्रारूप में प्रकाशित करने चाहिए.

सीईओ द्वारा प्रस्तुतिकरण

श्री एम. वेंकट रेड्डी, मुख्य कार्यकारी, कर्नाटक SCARDB

- बैंक ऋण पोर्टफोलियो को विविधता देने के प्रति प्रतिबद्ध है.
- संसाधनों के लिए वैकल्पिक मार्ग का पता लगाया जाएगा.
- पुनःभुगतान पर 10.25% ब्याज छूट की सरकार की पेशकश की पृष्ठभूमि पर वसूली कार्य में पर्याप्त सुधार की आशा है.
- सुरक्षा संपत्ति की बिक्री की शक्ति बैंक के पर्यवेक्षक को प्रत्यायोजित करना.

श्री जी.सी. केवलरमानी, प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश, SCARDB

- बैंक ने LT ऋण के उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं
- बैंक पूरक नाबार्ड वित्त पोषण को जमा जुटाव बढ़ाने के लिए योजना बना रही है.
- बैंक के सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति ही बैंक का उद्देश्य होना चाहिए.

श्री ए.के. धरनी, प्रबन्ध निदेशक, केरल, SCARDB

- बैंक ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सफल रहा.
- बैंक ने स्वरोजगार क्रेडिट योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और साथ ही अग्रिम व्यापार ऋण व ज्वेल लोन लागू की है. पारम्परिक क्षेत्रों के मुकाबले ऋण देने के इन नए क्षेत्रों में वसूली काफ़ी ऊंची है. बेहतर संभावना के बावजूद बैंक को सरकार द्वारा जमा जुटाने की अनुमति नहीं मिल रही है. विविध कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की आवश्यकता को काफ़ी हद तक छुट्ट और वाणिज्यिक बैंकों से उधार से पूरा किया गया है.

श्री स्वर्णजीत सिंह, प्रबन्ध निदेशक, पंजाब, SCARDB

- बैंक ने जमा जुटाना आरम्भ कर दिया है, लेकिन इन प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता है.
- RCS ने अग्रिम फसल ऋण की अनुमति नहीं दी है. फेडरेशन ने भी RCS से मामले को उठाया है.
- ADWDR योजना के कारण वसूली को गंभीर धक्का लगा है लेकिन इस साल वसूली अच्छा सुधार दर्शा रही है.

श्रीमती वी. नन्दकुमारी, जॉइंट रजिस्ट्रार/ महा प्रबन्धक, (वित्त व लेखा), तमिलनाडु, CSARDB

- बैंक को कई सालों से नाबार्ड से पुनःवित्त नहीं मिल रहा है.
- राज्य सरकार की ऋण माफ़ी योजना ने समग्र कृषि ऋण बकाया को साफ़ कर दिया है.
- वर्तमान में बैंक मुख्यतः TNC बैंक से 8.75% पर ऋण लेकर ज्वेल ऋण में आगे बढ़ रही है जो 9.5% दर पर ऋण दे रही है.
- बैंक ने IFFCO-TOKYO के एजेंटों के साथ बीमा व्यापार भी आरम्भ किया है.

श्री एच.पी. गणात्रा, प्रबन्ध निदेशक, गुजरात SCARDB

- बैंक ने गॉरप्टी शुल्क की असीमित दरों के कारण नाबार्ड से निधि लेनी बंद कर दी है.
- बैंक NCDC और वाणिज्यिक बैंकों से जमा व ऋण का उपयोग कर व्यापार कर रहा है.
- नाबार्ड से बकाया उधार काफ़ी नीचे आ गया है और एक दो साल में न के बराबर हो जाएगा.

निर्णय/ सिफ़ारिशें

- (1) समिति के संदर्भ के संबंध में बोर्ड निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के साथ-साथ निर्णयों को लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करना शामिल होगा.
- (2) सफलता की कहानियों का दरस्तावेजीकरण.
- (3) जानकारी/ अनुभव बांटना.
- (4) बैठकों की नियमितता- बैठकें तीन महीनों में एक बार होनी चाहिए जो मुख्यतः पहले के बोर्ड की बैठक के एक महीने बाद और समिति की अगली बैठक से एक महीने पहले को वरीयता देते हुए.
- (5) बैठकें स्व वित्तपोषण आधार पर होंगी.
- (6) बैठकें बारी बारी से विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाएंगी. स्थानीय SCARDB द्वारा परिवहन, दोपहर का भोजन आदि उपलब्ध करवाया जाएगा. यात्रा, रहना- खाना स्व वित्तपोषण के आधार पर करना होगा.
- (7) समिति के कार्य से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए हर बैंक एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी इसमें फ़ेडरेशन को आवश्यक जानकारी देना शामिल होगा.
- (8) यह भी निर्णय लिया गया कि फ़ेडरेशन संसाधन जुटाने, उधार के विविधिकरण, ऋण वसूली आदि पर दिशा निर्देश जारी करेगा बैठक में यह सुझाव भी शामिल किया गया.

समिति की कसौली रिजॉर्ट में 25 मई 2010 को द्वितीय बैठक में विचार विमर्श के आधार पर कार्रवाई बिंदु

1) ऋण वसूली

पूरे साल वसूली प्रयासों में वृद्धि व सघन अभियान कार्यान्वित करने के लिए वसूली रणनीति में सुझाए गए उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय अपनाए जा रहे हैं.

- i) अभिलाषी बकायादारों के विरुद्ध आक्रामक उपाय आरम्भ करने के लिए गिरवी भूमि की बिक्री शामिल है. राज्यों में जहां राज्य सरकारों ने अतिदेय ऋण की वसूली के आक्रामक उपायों को हलका किया है, वहां अभिलाषी बकायादारों व गैर कृषि ऋण के मामले में ऐसी बंदिशों को हटाने, बैंकों को सरकार के पास जाना चाहिए.
- ii) स्थानीय बेरोजगार शिक्षित लोगों को ठेका पद्धति पर नियुक्त कर वसूली का अनुवर्तन करना चाहिए.
- iii) कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को शाखा/ PCARDB की वसूली कार्यक्षमता के अतिरिक्त आर्थिक लाभों से जोड़ें.
- iv) लोक अदालतों को आयोजित कर ऋण वसूली के प्रयासों के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप पेनल ब्याज शुल्क को माफ़ किया जा सकता है.

2) जमा जुटाना

SCARDBs को सदस्यों से मुख्य गतिविधि के रूप में PCARDBs/ शाखाओं के अनुरूप क्षमता के उपयुक्त लक्ष्यों के साथ जमा जुटाना आरम्भ करना चाहिए.

3) लघु अवधि उत्पाद

LT उधारकर्ता जो पुनःभुगतान में नियमित हैं उनके लिए सरल दस्तावेजी प्रक्रिया के तहत बिना अतिरिक्त सुरक्षा लिए नकद ऋण योजना प्रस्तुत की जा रही है . इसी तरह, सभी योग्य SCARDBs को नाबार्ड के रियायती पुनःवित्त फ़सल ऋण देना आरम्भ कर देना चाहिए.

4) कर्मचारियों की क्षमता निर्माण

कर्मचारियों के लिए जमा जुटाव व अल्पकालिक ऋण उत्पादों के वित्तपोषण पर क्रेडिट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन.

5) आधारभूत बैंकिंग सेवाओं की आउटसोर्सिंग

SCARDBs को अपने सदस्यों को व्यापार संपर्क के रूप में आधारभूत बैंकिंग सेवाएं जैसे धन विप्रेषण सुविधा, डीडी आदि देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों (उन बैंकों को वरीयता देते हुए जिनके साथ उनका लम्बे समय का व्यापार संबंध है) से वार्ता करनी चाहिए.

6) परिचालन ईकाइयों का आधुनिकीकरण

ARDBs के व्यापार स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर जमा जुटाने के संदर्भ में आवश्यक सुविधाओं व वातावरण के साथ आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है.

7) परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण

SCARDBs को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अपने अभियान को कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है. जो SCARDBs लाभ में काम कर रहे हैं उन्हें बिना किसी बाहरी सहायता की प्रतीक्षा के तुरंत यह कर लेना चाहिए.

तीसरी बैठक 8 अक्टूबर 2010 को चैन्नई में

तीसरी बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

SCARDBs जून 2011 तक 5670 करोड़ रु. की बकाया मांग में से 3000 करोड़ रु. और 3500 करोड़ रु. की ताजा मांग में से 2500 करोड़ रु. वसूल करने की योजना बनाएगी यह लक्ष्य 9200 करोड़ रु. की कुल मांग में से 5500 करोड़ रु. संग्रह करने का है.

फ़ेडरेशन विभिन्न स्रोतों जैसे नाबार्ड, NCDC, सदस्यों से जमा, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण आदि के आधार पर ऋण की मांग, ऋणयोग्य निधि के लिए अगले पांच सालों के लिए व्यापार विकास योजनाएं तैयार करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा. बैठक में तय किया गया कि औसतन संरचना 50% लाभ- अलाभ व्यापार स्तर पर संचालन कर रहा है कर्मचारियों के बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्धन के ऋण बकाया को दुगना करने की आवश्यकता है.

बैठक में क्षेत्रीय सेमिनार के विषय, स्थान, तिथियों विशेषज्ञों के साथ ही अनंतिम बजट के प्रारूप पर विचार किया गया। साथ ही बैठक में सदस्य बैंकों द्वारा सालाना सदस्यता देने के युक्तिकरण के प्रस्ताव पर विचार किया गया और बोर्ड से सिफारिशों की गई कि सालाना सदस्यता देने के मानदंडों का युक्तिकरण किया जाए।

साथ ही बैठक में सदस्य बैंकों को कार्यक्षमता पुरस्कार के मापदंड तय करने के मसौदे के प्रस्तावों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सदस्य बैंकों से मसौदे के प्रस्तावों पर अलग अलग राय बुलाई जाए।

सदस्य बैंकों के आयकर के मुद्दे

सदस्य बैंकों में से कुछ को साल के दौरान धारा 80 पी की उपधारा 4 के तहत आयकर के लिए निर्धारित किया गया है जो साल 2006-07 से प्रवर्तित हुई है। चूंकि उपधारा 4 विशेष रूप से सहकारी बैंकों पर लागू होती है जो BR अधिनियम के तहत आ जाते हैं तथा न कि SCARDBs और न ही PCARDBs जो BR अधिनियम के तहत दिए अर्थ के अनुसार सहकारी बैंक नहीं हैं, फेडरेशन ने SCARDBs को सुझाव दिया है कि धारा 80 पी के तहत कर छूट का दावा जारी रखें भले ही उपधारा 4 प्रवर्तित हो गई है। फेडरेशन ने साथ ही उन सदस्य बैंकों को जो उपधारा 4 के तहत आयकर के दायरे में आ गई हैं उन्हें सुझाव दिया है कि अगर विभागीय स्तर पर निर्णय उनके विरुद्ध जाता है और अगर आवश्यक हो तो वे ट्रिब्यूनल व उच्च न्यायालय में जाएं। इसी के अनुसार, केरल व महाराष्ट्र SCARDBs ने अपने अपने ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है।

पंजाब SCADB के मामले में, 1998-99 से 2006-07 तक विभिन्न बैंकों में जमा के पूरे ब्याज पर कर भुगतान के मूल्यांकन किया गया था, विभागीय स्तर पर निर्णय उनके पक्ष में गया। लेकिन, विभाग ने उस निर्णय को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी वहां भी निर्णय बैंक के पक्ष में गया। आयकर विभाग ने अब ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध एक याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की है। यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है।

भले ही अधिकांश SCARDBs वर्तमान में लगातार आयकर से मुक्त हैं, यह देखा गया है कि जैसे ही प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कानून बन जाएगा तो ARDBs को आयकर देना पड़ेगा जैसे कि सहकारी बैंक BR अधिनियम के तहत आते हैं। प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक में स्पष्ट शब्दों में एक से अधिक तालुकाओं में क्षेत्राधिकार के लिए SCARDBs व ARDBs से आयकर छूट वापस लेने का प्रावधान शामिल है।

अगर SCARDBs को आयकर देने की संभावना आती है, तो उन्हें पात्र योग्य छूटों के दावे करने के लिए जो अधिनियम के तहत स्वीकृत हैं, उनके एकाउंटिंग प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है जो आयकर कानून के तहत आवश्यक है. ऐसे पात्र योग्य छूटें वास्तविक हैं और उनकी कर छूट जिम्मेदारी को काफ़ी कम करेगी, SCARDBs को इस मामले में तुरंत कदम उठाने का सुझाव दिया जाता है.

ARDBs द्वारा जमा जुटाव

कुल अग्रिम ऋणों के लिए उधार संसाधनों पर निर्भरता ARDBs की सबसे महत्वपूर्ण बाधा है जो इसके विकास को सीमित कर रही है. हालांकि ARDBs द्वारा स्वयं के संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता को विभिन्न समितियों ने मान्यता दी थी, लेकिन संरचना द्वारा जमा जुटाव में नीति वातावरण की कमी थी. आरबीआई ने 1997 में ARDBs को 1-2 साल की अवधि के सार्वजनिक जमा की अनुमति इसके निवल मूल्य तक दी थी. वे बैंक जिन्होंने आरबीआई की योजना के तहत जमा जुटाना आरम्भ कर दिया था वे सीमा के संबंध में बंधन के कारण इस योजना को जारी नहीं रख सके. लघु अवधि के ऋण कार्यक्रम की अनुपस्थिति में बैंक जमा संसाधनों को लाभ में चलाने में अक्षम रहे. जमा जुटाव कार्यक्रम भले ही अभी भी कई राज्यों में SCARDBs द्वारा जारी रखा गया है, लेकिन वह सारभूत संसाधन जुटाने व विशाल संभावना का पर्याप्त उपयोग करने में सफल नहीं हो पाया है. 1997 में यह योजना प्रस्तुत होने के बाद से SCARDBs का कुल बकाया जमा 400-500 करोड़ रु की श्रेणी में ही है जबकि भंडारी समिति ने करीब 13 साल पहले इसका मूल्यांकन 5000 करोड़ रु का किया था, जो अब तक तीन गुना ऊपर तक पहुंच चुका है.

पुनःप्रयासों की आवश्यकता

- 19 में से 6 SCARDBs नाबार्ड से पुनःवित्त पाने में सक्षम नहीं हैं. इन बैंकों के लिए व्यापार चलाने का एकमात्र तरीका है जमा जुटाना.
- नाबार्ड से पुनःवित्त का सहारा व्यापार स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसके लिए वह पात्रता योग्य है.
- SCARDBs को अपने सदस्यों की लघु अवधि उत्पादों ऋणों की मांग पूरी करने के लिए अपनी ऋण सेवा में विस्तार की आवश्यकता है व साथ ही व्यवहार्यता बनाए रखनी है जिसके लिए अपने संसाधनों की आवश्यकता है.

- जमा के जरिए ऋण क्षमता को सुधारने व ऋण के लिए मार्ग विस्तृत करने के लिए अपने संसाधन निर्माण करना आवश्यक है जिसमें वाणिज्यिक बैंक भी शामिल हैं.
- बैंक कई योजनाओं के तहत जैसे उनके बोर्ड ने नियम तय किए हों अपने सदस्यों से जमा जुटा सकते हैं, जो आरबीआई योजना में लगाए गए प्रतिबंधों के तहत नहीं हैं.
- पहले के मुकाबले बैंक के पास पहले के विपरीत जमा के जरिए लघु अवधि निधियां जुटाने के लाभदायक मार्ग हैं.

बचत व जमा उत्पाद जो ARDBs द्वारा ऑफ़र किए जा सकते हैं

किफ़ायती जमा:

सदस्य अपनी बचत अपने ARDB के किफ़ायती जमा खाते में किसी भी समय जमा कर सकते हैं और इसे जब चाहें न्यूनतम शेष बनाए रखकर निकाल सकते हैं. ARDB किफ़ायती खाते में औसत शेष पर नियमित बैंकों के बचत बैंक खातों की ब्याज दर जो प्रतिवर्ष 3.5% है से कुछ अधिक ब्याज दर दे सकते हैं.

आवर्ती जमा:

सदस्य मासिक आधार पर एक तय राशि जमा करने के लिए आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं. आवर्ती जमा परिपक्वता वैल्यू ब्याज के साथ आवर्ती जमा खाते की अवधि पूर्ण होने के बाद निकालने योग्य होगा जो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने आदि हो सकती है.

फिक्स डिपॉजिट:

फिक्स डिपॉजिट एक तय अवधि के लिए लिये जाते हैं, ARDBs के मामले में जिसका न्यूनतम तीन महीने हो सकता है एक विशिष्ट ब्याज दर पर जिसमें ब्याज के विकल्प हों कि तीन महीने में भुगतान या तीन महीने पूंजीगत होगा और परिपक्वता पर भुगतानयोग्य होगा.

कैश सर्टिफिकेट:

5000 या 10000 रु. के कैश सर्टिफिकेट छूट मूल्यों पर तीन साल या पांच के लिए जारी किए जा सकते हैं जो प्रस्तावित ब्याज दर व जमा की अवधि पर निर्भर होगा. कैश सर्टिफिकेट योजना जमाकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को रास आती हैं और साथ ही ARDB के लिए भी जमा के खाते बनाने व सेवा की दृष्टि से भी सुविधाजनक हैं.

अंश पूंजी परिवर्तित जमा:

ऋण की समाप्ति पर अंश पूंजी के पुनःभुगतान की बजाय, ARDB सदस्यों को निश्चित रिटर्न के साथ अंश पूंजी को फिक्स डिपॉजिट या कैश सर्टिफिकेट में परिवर्तित कर सकते हैं.

नियम व शर्तें

- बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जमाकर्ता, सदस्यों के रूप में सूचीबद्ध हैं.
- संघीय ढांचे में, सदस्य जमा केवल मूल रूप से ही संग्रहित किया जा सकता है जिसे उचित प्रबन्धन व निधियों के नियोजन के लिए SCARDBs को ट्रांसफर करने की आवश्यकता है.
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर जमा बकाया हर महीने के अंत में SCARDBs में उनके जमा बकाया के बराबर होना चाहिए.
- SCARDBs को संग्रह, खाता व सेवा की लागत देने के लिए प्राथमिक जमा पर प्राथमिक के लिए जमा की औसत लागत से 1% अधिक ब्याज देना चाहिए.
- सभी जमा प्राथमिक को निकट के ही बैंक से OD सीमा उपलब्ध करने की आवश्यकता है जिससे जमाकर्ताओं से पैसे निकालने की मांग को पूरा करने के लिए समय पर तरलता सुनिश्चित हो जाए. जमा की निधि के लिए OD सीमा से पैसे निकालने की रपट खाते में आवश्यक निधि के सीधे ट्रांसफर के लिए SCARDB को हर शुक्रवार को करनी चाहिए.
- PCARDB द्वारा उपलब्ध OD पर ब्याज जमा की समय सेवा के लिए SCARDB द्वारा पूरा होना चाहिए जो PCARDB द्वारा संग्रहित सभी जमा का अंतिम संरक्षक है.
- जमा संसाधन मुख्यतः ग्रैर कृषि लघु अवधि ऋण जारी करने के लिए उपयोग करना चाहिए, जिसकी ब्याज दर SCARDB के लिए निधि की वास्तविक लागत से जुड़ी होनी चाहिए जिसमें शामिल है प्राथमिकियों (जमा की सेवा के लिए) को ओवरड्राफ्ट प्रतिपूर्ति पर ब्याज देना 4-5% प्रतिवर्ष के मार्जिन के साथ संरचना के लिए पूर्णता के रूप में ट्रांज़ेक्शन व जोखिम लागत को पूरा करने के लिए.
- सदस्यों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जमाकर्ताओं की जमा पर भुगतान बैंकों की प्रचलित दरों से 1% अधिक ब्याज दर तय देनी चाहिए.

- SCARDBs को PCARDBs व शाखाओं को खाते बही बनाए रखने के संबंध में, SCARDBs को जमा निधि के ट्रांसफर के प्रबन्ध, परिपक्वता पर जमा समय पर वापस करने के लिए प्रबन्ध, छपाई व ब्लैंक FD रसीदों की संरक्षता, जमा खातों पर ब्याज लगाने के तरीके, समय पूर्व खाता बंद करने के संबंध में प्रक्रिया, जमा की सुरक्षा पर ऋण संस्वीकृति करना, किफायती जमा में न्यूनतम शेष रखना, जमा बकाया, संग्रह, रिफंड आदि पर SCARDBs को वापस भेजना व उसी की आवश्यकता पर विस्तृत निर्देश देने चाहिए.
- साथ ही SCARDBs को समय समय पर विभिन्न प्रकार के जमा पर ब्याज दर के बारे में सलाह देनी चाहिए जो सामान्य ब्याज परिदृश्य पर निर्भर हो.
- ARDB को अपने क्षेत्र में जमा योजनाओं के लाभों को उभारना चाहिए जैसे टीडीएस नहीं, दूसरी बैंकों की तुलना में आकर्षक ब्याज दर, समय पूर्व पैसे निकालने की सुविधा, ऋण सुविधा, जमा की सुरक्षा पर कैश क्रेडिट सीमा आदि जिसमें शामिल है.

वसूली रणनीति व कार्य योजना

संरचना के पुनरुद्धार के संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा एक पैकेज लागू करने की संभावना के कारण ARDBs की ऋण वसूली को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है. ऋण वसूली में सारभूत सुधार इन कारणों से आवश्यक है:-

(1) पुनरुद्धार पैकेज के लिए पात्रता

703 PCARDBs में से 70% से अधिक पुनरुद्धार सहारे के लिए पात्र होने हेतु 50% वसूली के प्रतिमानक में नहीं हैं. पुनरुद्धार सहारे के लिए पात्र होने हेतु ईकाइयों की अधिकतम संख्या करने के लिए सघन वसूली अभियान आवश्यक है.

(2) भविष्य की हानि रोकने के लिए

जोखिम लागत/ NPAs खातों के विरुद्ध प्रावधान संरचना में संस्थान की संचित हानि का अधिकांश हिस्सा रखते हैं. पुनःपूँजीकरण बाद आगे के नुकसान टालने के लिए, निरंतर वसूली स्तर को कम से कम 70-80% होना आवश्यक है.

(3) तरलता

स्वीकृत निधियां जिनमें ARDBs की अंश पंजी और आरक्षित निधि सम्मिलित है पूरी तरह बकाया में बंद पड़ी है. जमीनी स्तर पर ARDBs की कुल मांग 30 जून 2010 तक लगभग 9900 करोड़ रु. थी, जिसके विरुद्ध कुल

4150 करोड़ रु राशि का संग्रह हुआ, और 5750 करोड़ का शेष बकाया के रूप में रह गया. यह राशि संरचना में संस्थानों के कुल मूल्य के लगभग दुगने का प्रतिनिधित्व करती है. यह बैंकों की तरलता स्थिति पर भारी दबाव बनाती है. अप्राप्य बकाया का एक सारभूत हिस्सा वसूल करना व्यवस्था में तरलता की पुनःस्थापना करने व नए ऋण उत्पादों को लागू करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके लिए बाहरी निधि सहारा उपलब्ध नहीं है.

फ्रेडरेशन ने SCARDBs को दिनांक 4 जून 2010 को सर्कुलर के हवाले से सघन वसूली अभियान का जिम्मा लेते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 25 मई 2010 को सीईओ की स्थाई समिति के विचार विमर्श के आधार पर है. इन दिशानिर्देशों की मुख्य बातें निम्न हैं:-

- 1) सारे मामलों में कानूनी वसूली उपायों का अनुसरण करना जहां ऋण 2 सालों से अधिक समय से अतिदेय है इसमें कानूनी वसूली अभियान के प्रभाव को मजबूत करने के क्रम में चयनित आधार पर सुरक्षा संपत्ति की बिक्री भी शामिल है.
- 2) SLDB के साथ प्रत्येक परिचालन ईकाई में कानूनी वसूली उपायों की पहल करने के लिए में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना.
- 3) सारे बैंकों द्वारा पेनल ब्याज व शुल्क माफ़ी द्वारा कानूनी वसूली प्रक्रिया के दौरान बकाया के निपटारे के लिए उपायों को छोटना.
- 4) बैंक बकाया के निपटारे के लिए लोक अदालत आयोजित करने का प्रयास भी कर सकते हैं जैसा कि आरबीआई/नाबार्ड द्वारा दिशानिर्देश जारी हुए हैं.
- 5) जब सारे उपाय विफल हो चुके होंगे तो सुरक्षा संपत्ति की बिक्री अंतिम उपाय होगा. यहां तक कि इस मामले में भी अगर गिरवी रखी गई संपत्ति का बाजार मूल्य अप्राप्य बकाया से से काफ़ी अधिक होगा, तो बैंक वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर ताज़ा मूल्यांकन करने के बाद गिरवी रखी संपत्ति का केवल उतना ही हिस्सा बेचेगी जिससे कुल बकाया वसूल करने के लिए पर्याप्त हो.

SCARDBs वसूली में सुधार के लिए उपरोक्त उपायों के साथ वसूली रणनीति में अन्य उपायों जिन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है का अनुगमन करे जिन्हे SCARDBs को भेज दिया गया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं:-

- 1) प्रमाणिक मामलों में ऋण को पुनःनिर्धारित करना.
- 2) निधि के तीव्र पुनःचक्रीकरण व उन्नत तरलता के लिए ऋण अवधि लघुतर करना.

- 3) वार्षिक की बजाय मासिक/ त्रैमासिक किरत व्यवस्था लागू करना.
- 4) भुगतान के लिए इक्वेटेड किरत व्यवस्था की बजाय समान किरत व्यवस्था लागू करना.
- 5) फील्ड कर्मियों के लिए वसूली लक्ष्य पुरस्कार/ ढंड व्यवस्था की समीक्षा के साथ हो.
- 6) कैश क्रेडिट योजना व अन्य लघु अवधि ऋण उत्पाद जिसमें करीब 100% स्वैच्छिक पुनःभुगतान है ऐसे ऋण पुनःभुगतान पर पुनःनवीकृत होते हैं को प्रस्तुत करना. लघु अवधि ऋण का उच्च अनुपात कुल मांग में समस्त वसूली प्रतिशत में नाटकीय सुधार ला सकता है.

2010-11 में नाबार्ड पुनः वित्त के लिए पात्रता मानदंड

नाबार्ड ने अप्रैल 2010 में 2010-11के दौरान SCARDBs को पुनःवित्त देने के लिए पात्रता कसौटी बताई. इन मानदंडों के अनुसार, वे बैंक जो 70% या अधिक वसूली करते हैं वे अप्रतिबंधित पुनःवित्त सहारे के पात्र हैं जो वास्तविक ऋण योजना के तहत होगा और वे बैंक जिनकी वसूली 60-70% के बीच रही वे पिछले साल से पुनःवित्त में 5% वृद्धि के पात्र होंगे और वे बैंक जिनकी वसूली 50-60% के बीच रही वे पिछले साल के स्तर पर पुनःवित्त निकालने के पात्र होंगे जबकि वे बैंक जिनकी वसूली 30-50% की श्रेणी में रही वे पिछले साल उन्हें उपलब्ध पुनःवित्त में 5% कमी का सामना करेंगे. वे बैंक जिनकी वसूली 30% से कम रही वे पुनःवित्त के पात्र नहीं होंगे. पिछले साल की अपेक्षा, साल के दौरान पुनःवित्त नीति की मुख्य बातें पुनःवित्त पात्रता के लिए वसूली दरों में उच्चतम औसत सीमा से ऊपर हैं.

नाबार्ड अधिनियम -25 1981 के तहत एससीएआरडीबी को अल्पावधि पुनर्वितीयन

1 अप्रैल 2010 को नाबार्ड इश्तिहार में फसल के लिये अल्पावधि ऋण देने और एआरडीबी ऐसे ऋणों के बदले पुनर्वितीयन प्राप्त करने के विषय में विस्तृत कार्यकारी निर्देश जारी किये गये. इस सुविधा को प्राप्त करने के लिये, एससीएआरडीबी एससीएआरडीबी को योजना के कार्यान्वयन के लिये उचित प्रणाली और प्रक्रियाओं को अपनाने तथा अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है. फसल के लिये ऋण प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने में नाबार्ड ने भी सहयोग का प्रस्ताव रखा है.

योजना के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं :-

- नाबार्ड अधिनियम 1981 के खंड 25 (1) (व) के अंतर्गत एससीएआरडीबी की एसएओ प्रक्रियाओं के लिये अल्पावधि क्रेडिट सीमा को बढ़ाया जा रहा है.

- पहले से ही दीर्घावधि के ऋण प्राप्त कर चुके एआरडीबी के गैर वित्त सदस्यों को फसल/कार्य की पूंजी के ऋणों पर सीमा दी जाती है.
- 2010-11 के लिये सीमा 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 होगी.
- एससीएआरडीबी के लिये अ या ब तथा पीसीएआरडीबी के लिये अ, ब या स की ऑडिट श्रेणी के साथ वर्ष 2008-09 की ऑडिट पूरी हो जानी चाहिये थी.
- 2008-09 की ऑडिट रिपोर्ट्स उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वीकृति की सीमा की 40% राशि वर्ष 2007-08 के ऑडिट किये गये खातों के आधार पर दी जायेगी.
- योग्यता का निर्धारण 30 जून 2009 या 30 जून 2008 को वसूली की स्थिति अथवा जून 2008 को समाप्त होते पिछले 3 वर्षों की औसत वसूली में से एससीएआरडीबी स्तर पर अधिक राशि के आधार पर किया जायेगा. 30 जून 2010 तक वसूली में सुधार के आधार पर योग्यता बढ़ा दी जाएगी.
- केवल 30% से अधिक वापसी वाले एससीएआरडीबी ही योग्य माने जायेंगे.
- निकासी पर ब्याज दर 4.5% इस शर्त पर होगी कि आखिरी लेनदार स्तर के लिये फसल ऋण पर ब्याज दर 7% प्र.व. से अधिक नहीं है तथा एक किसान के लिये व्यक्तिगत उधार सीमा रु. 3 लाख से अधिक नहीं है.
- निकासी राज्य सरकार की गारंटी अथवा सरकारी गारंटियों के वचन अथवा सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी या एफडी आर से संरक्षित होनी चाहिये.
- पुनर्वितीयन आवेदन दर्शाये गये ढंग से ही होना चाहिये.
- प्रत्येक निकासी 12 महीनों के अंत में देय होगी.
- पुनर्वितीयन 100% तक दिया जायेगा.

नाबार्ड पुनःवित्त पर ब्याज दरें

नाबार्ड द्वारा पुनःवित्त पर प्रभारित ब्याज दरें जो ARDBs को दी गई हैं वे बाजार प्रवृत्ति के आधार पर गत छह महीनों की उत्तरोत्तर ऊपर समीक्षा में प्रतिवर्ष 2% बढ़ गई हैं जैसा कि यहां दर्शाया गया है.

9 अगस्त 2010 से प्रभावी	: 7.25% से 7.75% तक
18 नवम्बर 2010 से प्रभावी	: 7.75% से 8.25% तक
13 दिसम्बर 2010 से प्रभावी	: 8.25% से 8.75% तक
19 जनवरी 2011 से प्रभावी	: 8.75% से 9% तक
4 फरवरी 2011 से प्रभावी	: 9.00% से 9.15% तक

फेडरेशन द्वारा हाल ही में 4 क्षेत्रीय केन्द्रों में क्षेत्रीय सेमीनार आयोजित किए गए, SCARDBs को जोर दिया गया कि वे पुनःवित्त पर ब्याज दरों की समीक्षा के संदर्भ में घाटे को टालने के लिए कदम उठाएं जिसमें ARDBs के लिए निधियों की लागत में सारभूत वृद्धि शामिल है।

क्षेत्रीय सेमीनार में देखा गया कि भले ही नाबार्ड ने ब्याज दरें उत्तरव्यापी प्रभाव से बढ़ा दी हैं, इसका पूर्वव्यापी प्रभाव ARDBs पर पड़ा है चूंकि बढ़ी हुई दरें उस ऋण पर लागू हैं जो पुनःवित्त की पूर्व संशोधित लागत पर आधारित ब्याज दर पर पहले ही संवितरित कर दिया गया है। अधिकांश ARDBs को दिसम्बर व जनवरी के महीने में पुनःवित्त लेना पड़ा उस ऋण के विरुद्ध जो अगस्त से पहले उस संवितरण ऋण के समय जो प्रचलित थी उसकी तुलना में लगभग 2% उच्चतर ब्याज दर पर संवितरित कर दिया गया था. 2% का अंतर SCARDB को उपलब्ध ब्याज गुंजाइश में से बहुत अधिक बढ़ गया है जो दीर्घावधि आधार पर नकारात्मक निवल गुंजाइश पर है. ARDBs द्वारा संशोधन की दिनांक से जारी ऋण के पुनःवित्त के मामले पर उच्चतर ब्याज दर लागू करने की फेडरेशन की प्रार्थना को नाबार्ड ने ठुकरा दिया है अब यह मामला SCARDBs के पास सुलझाने के लिए है. उपरोक्त संदर्भ में क्षेत्रीय सेमीनारों ने SCARDBs की ब्याज दर नीति में लचीलेपन की सिफारिश की है ताकि जारी हो चुके ऋण पर ब्याज दर बाढ़ की स्थिति में संशोधित की जा सके, जो ऋण में शामिल निधियों की लागत में परिवर्तन पर निर्भर होगी.

केन्द्रीय बजट 2011-2012

केन्द्रीय बजट 2011-2012 ऐसी अर्थ व्यवस्था की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुमान था कि 8.6% की वृद्धि दर्ज होगी लेकिन कृषि वृद्धि 5% से अधिक होने और 2010-11 में अब तक सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित 23.5 करोड़ टन के बावजूद लगातार बढ़ते खाद्य मूल्यों की छाया में प्रस्तुत किया गया. बजट में निम्नलिखित बड़े प्रस्ताव हैं.

- राजकोषीय दृढीकरण उपायों जिनमें शामिल है भारत की सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन एजेन्सी बनाने का प्रस्ताव.
- 1.4.2012 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर संहिता की स्थापना
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को घासलेट, एलपीजी व उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष नकद ट्रांसफर छूट.
- 2011-12 में विनिवेश के लिए 40000 करोड़ रु. का लक्ष्य, जबकि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कम से कम 51% स्वामित्व सरकार द्वारा अपने अधिकार में रखना.
- आगे मुक्त विदेश प्रत्यक्ष निवेश नीति का लिबरलाइजेशन जिसमें शामिल है म्यूचुअल फण्डों को विदेशी निवेशकों के लिए खोलना.
- निजी क्षेत्र को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए BR अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व RRBs का पुनःपूँजीकरण - क्रमशः रु. 6000 करोड़ व रु. 500 करोड़.
- भारत सूक्ष्मवित्त इक्विटी फंड व महिला एसएचजी विकास फंड की रचना क्रमशः रु. 100 करोड़ व रु. 500 करोड़ के कार्पस के साथ.
- रु. 18000 करोड़ की लागत के साथ RIDF जारी रहेगा जो गत वर्ष रु. 16000 करोड़ था.
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को वृद्धिशील ऋण के लिए SIDBI को रु. 5000 करोड़ का आबंटन और हाथकरघा बुनकर सहकारी सोसायटी को सहारा देने के लिए रु. 3000 करोड़ का आबंटन नाबार्ड को.
- सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बकाया ऋण का 15% ऋण प्राथमिक क्षेत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को.
- गृह ऋण पर 1% ब्याज राजकीय सहायता योजना के आगे के लिबरलाइजेशन के लिए.
- किसानों को ऋण बहाव बढ़ाया जाएगा रु. 4,75,000 करोड़ तक जो 2010-11 में रु. 3,75,000 करोड़ था.
- फसल ऋण के समय पर पुनःभुगतान के लिए राजकीय सहायता 2% ब्याज की जगह 3% कर दी गई.
- नाबार्ड का पूँजी आधार चरणबद्ध रूप से रु. 3000 करोड़ बढ़ाया जाएगा.
- नाबार्ड के लघु अवधि ग्रामीण ऋण निधि को रु. 10000 करोड़ का आबंटन.

- 2011-12 के दौरान 15 मेगा फूड पार्क.
- निजी उद्योजकों व गोदाम निगमों के जरिए भंडारण क्षमता में वृद्धि.
- आधुनिक भंडारण क्षमता निर्माण के लिए वाएबल गैप फंडिंग.
- कृषि वस्तुओं का आपूर्ति व वितरण गत्यवरोध हटाने के लिए राज्य सरकारों का कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम सुधारा जा रहा है.
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को रु. 6755 करोड़ से बढ़ाकर रु. 7860 करोड़ कर दिया गया.
- पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति में तेजी लाना, वर्षा आधारित क्षेत्रों में 60000 से अधिक तिलहनी गांवों को बढ़ावा दिया जाना, पॉम तेल फसल को हेक्टेयर 60000 में बढ़ाना, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम में 25000 गांवों को लाना, आर्गनिक कृषि को बढ़ावा देना आदि अन्य कृषि संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं.
- बुनियादी ढांचे के लिए रु. 2, 14,000 करोड़ का आबंटन.
- PPP परियोजनाओं के लिए व्यापक नीति.
- सरकारी उपक्रमों के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास को जोर देने के लिए रु. करोड़ 30000 के कर मुक्त बॉण्ड जारी करना.
- हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय अभियान आरम्भ करना.
- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता व चेन्नै में मेट्रो परियोजना को वित्तीय सहारा देना.
- काले धन की समस्या से निबटने के लिए पांच चरणीय रणनीति.
- संसद में के 2011-12 दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया जाएगा.
- सामाजिक क्षेत्र में 17% की वृद्धि के साथ रु. 168088 करोड़ का आबंटन.
- भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए रु. 58000 करोड़.
- तीन सालों में सभी 250000 पंचायतों में ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी.

- आंगनवाड़ी कर्मियों का मानधन प्रतिमाह रु. 1500 से बढ़ाकर रु. 3000 व सहायकों का रु. 750 से बढ़ाकर रु. 1500 करना.
- शिक्षा के लिए आबंटन में 24% की वृद्धि.
- सभी 73000 आवासीय स्थलों जहां 2000 से अधिक जनसंख्या है वहां 2011-12 तक बैंक सुविधा पूर्ण की जाएगी.

बजट अनुमान

- सकल कर प्राप्ति 9,32,440 करोड़ रु.
- गैर कर राजस्व आय 1,25,435 करोड़ रु.
- कुल व्यय 12,57,729 करोड़ रु.
- कुल योजना विनियोजन में 18.3% की वृद्धि.
- कुल गैर योजना व्यय में 10.9% की वृद्धि.
- राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.6% पर रखा गया जो गत वर्ष जीडीपी के 5.1% पर था और इसका लक्ष्य इसे आगे 2013-14 तक जीडीपी के 3.5% पर लाने का है.
- नेट मार्केट ऋण के लिए 2011-12 में 3.43 लाख करोड़ रु. का लक्ष्य.
- केन्द्र सरकार का ऋण 2011-12 में जीडीपी का 44.2% होगा जो 13 वें वित्त आयोग ने 52.5% करने की सिफारिश की थी.

(IV) वर्ष 2010-11 के दौरान सदस्य बैंकों के संचालन की समीक्षा

क. उधार

वर्ष 2010-11 के दौरान, 19 एससीएआरडीबी में से 16 एससीएआरडीबी (बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र का उधार शून्य रहा) द्वारा पिछले वर्ष के 2959.87 करोड़ रु० की तुलना में 2624.8 करोड़रु० की औसत धनराशि उधार ली गई जिससे इसमें 335.79 करोड़ रु० अर्थात 12.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। आसाम, ओड़िसा व त्रिपुरा ने सूचना नहीं दी है। एससीएआरडीबी द्वारा ली गई कुल धनराशि में से नाबार्ड के पुनर्वित्त का हिस्सा 2342.52 करोड़ रु० रहा जो 2009-10 वर्ष के 81.32 प्रतिशत की तुलना में ली गई कुल धनराशि का 79.14 प्रतिशत था। जबकि वर्तमान वर्ष के दौरान पांडिचेरी (209.49 प्रतिशत), केरल (141.68 प्रतिशत), तमिलनाडु (22.83 प्रतिशत), व हरियाणा (22.12 प्रतिशत) ने ऋण में वृद्धि दर्ज की, लेकिन मध्य प्रदेश (>100 प्रतिशत), पंजाब (20.26 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (5.14) व कर्नाटक (4.59 प्रतिशत) ने काफी कमी दर्ज की। राजस्थान उत्तर प्रदेश एससीएआरडीबी ने पूर्व वर्ष की अपेक्षा मामूली कमी दर्शाई। (सन्दर्भ तालिका - 1)

16 एससीएआरडीबी का 31 मार्च 2011 को बकाया ऋण 15129.95 करोड़ रु. रहा जबकि पिछले साल 31 मार्च 2010 को ये 15147.80 करोड़ रु. (16 एससीएआरडीबी) रहा था। वर्तमान वर्ष के दौरान बकाया ऋण में दर्ज मूल रूप से जम्मू व कश्मीर (55.61 प्रतिशत), तमिलनाडु (31.42 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (12.32 प्रतिशत) हरियाणा (9.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (9.58 प्रतिशत) व हिमांचल प्रदेश (8.60 प्रतिशत) ने वृद्धि दर्ज की, जबकि बिहार (44.11 प्रतिशत), गुजरात (27.67 प्रतिशत) व मध्य प्रदेश (23.81 प्रतिशत) ने बकाया ऋण में काफी कमी दर्ज की। आसाम, ओड़िसा, त्रिपुरा व ने सूचना नहीं दी है। (सन्दर्भ तालिका - 2)

ख. जमा राशि प्रचालन

वर्ष 2010-11 के दौरान 11 एससीएआरडीबी ने 204.79 करोड़ रु. की जमा राशि प्रचालन का एकत्रीकरण किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान ये 13 एससीएआरडीबी द्वारा 172.96 करोड़ रु० रहा था. आसाम, महाराष्ट्र, ओड़िसा व त्रिपुरा एससीएआरडीबी से इस बाबत कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2011 को 16 एससीएआरडीबी के विषय में जमा बकाया 574.03 करोड़ रु. हो गया जो 17 एससीएआरडीबी के मुकाबले 528.32 करोड़ रु. था. (सन्दर्भ तालिका - 3)

ग. अग्रिम ऋण

एससीएआरडीबी द्वारा दिये गये अग्रिमों की कुल धनराशि पिछले वर्ष के 3428.81 करोड़ रु० (17 एससीएआरडीबी) के मुकाबले 2010/11 के दौरान 3831.34 करोड़ रु० (16 एससीएआरडीबी) रही। आसाम, ओड़िसा व त्रिपुरा एससीएआरडीबी से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए. ऋण में वृद्धि मुख्यतः तमिलनाडु (49.37 प्रतिशत), केरल (29.18 प्रतिशत), पांडिचेरी (16.90 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (12.55 प्रतिशत) व गुजरात (10.91 प्रतिशत) के योगदान से रही. वहीं म.प्र. (>100 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (45.69 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (11.38 प्रतिशत), के मामले में कमी दिखी. कुल ऋण जमा बकाया साल 2010-11 के दौरान अंतिम उधारकर्ताओं के स्तर पर रु. 11619.20 करोड़ (13 एससीएआरडीबी) पर रहा जबकि ये पिछले साल 2009-10 के दौरान रु. 15731.05 करोड़ (17 एससीएआरडीबी) था. (सन्दर्भ तालिका - 4)

घ. वित्तीय निष्पादन

19 एससीएआरडीबी में से केवल 11 एससीएआरडीबी ने 31 मार्च 2011 तक स्थिति बताई जिसमें 11 एससीएआरडीबी में से 8 एससीएआरडीबी (पिछले साल 10 एससीएआरडीबी के मुकाबले) ने लाभ दर्शाया जबकि 3 एससीएआरडीबी (बिहार, जम्मू व कश्मीर तथा पांडिचेरी) ने हानि दर्शाई है (पिछले साल 7 एससीएआरडीबी के मुकाबले). 7 एससीएआरडीबी का कुल लाभ 110.72 करोड़ रु. व 3 एससीएआरडीबी की हानि 330.65 करोड़ रु. रही. (सन्दर्भ तालिका - 5)

च. नान परफार्मिंग एसेट्स

12 एससीएआरडीबी का 31 मार्च 2011 तक कुल जमा बकाया ऋण में 12087.37 करोड़ रु. रहा जो पिछले वर्ष 31 मार्च 2010 को 17 एससीएआरडीबी के मुकाबले 17497.19 करोड़ रु. था । जबकि 31 मार्च 2011 तक 8 एससीएआरडीबी का एनपीए 3374.37 करोड़ रु. रहा जो 31 मार्च 2010 तक 17 एससीएआरडीबी में 5549.86 करोड़ रु. था । आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िसा, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा से इस बाबत कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। (सन्दर्भ तालिका - 6)

छ. वसूली निष्पादन

वसूली निष्पादन का अंतिम लेनदार स्तर पर मूल्यांकन जुलाई- जून को किया जाता है. 30 जून, 2011 तक के आंकड़े को इस रिपोर्ट की अंतिम परिणति तक पहुंचने तक उपलब्ध नहीं थे, अतः 30 जून, 2010 की स्थिति को समीक्षा के लिए

विचारणीय माना गया है. ३० जून, 2010 को समाप्त 2009-10 के दौरान एआरडीबी की कुल जमीनी स्तर की मांग 10368.03 करोड़ रु. थी जबकि संग्रह 4192.37 करोड़ रु. का हुआ जो मांग का 40.44 प्रतिशत रहा जो कि 30 जून, 2009 को 36.75 प्रतिशत था. 5 बैंकों जैसे छत्तीसगढ़, एच.पी., केरल, पांडिचेरी व पंजाब का अंतिम लेनदार स्तर पर वसूली प्रतिशत 50 प्रतिशत से उपर रहा जबकि गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल 40 से 50 प्रतिशत की सीमा में रहे. सबसे कम वसूली का स्तर बिहार के सन्दर्भ में रहा, जिसकी वसूली इकाई में ही अर्थात 7 प्रतिशत रही। (सन्दर्भ तालिका - 7)

ज. सामान्य जानकारी

रपट के तहत वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी की संरचनात्मक पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं था. 19 एससीएआरडीबी में से, संघीय व ऐकिक एससीएआरडीबी क्रमशः 10 व 7 बने रहे और बचे हुए 2 एससीएआरडीबी का मिश्रित संरचनात्मक पैटर्न वाले रहे जिनसे संबद्ध पीसीएआरडीबी संबद्ध रहे और साथ ही स्वयं की शाखाएं भी समाविष्ट हैं. 2 एससीएआरडीबी (आसाम व त्रिपुरा एससीएआरडीबी) ने आंकड़े पेश नहीं किए. ऐकिक संरचनात्मक एससीएआरडीबी 31 मार्च 2011 तक 714 शाखाओं के जरिए संचालन कर रहे थे. संघीय संरचना के 655 पीसीएआरडीबी (ओड़िसा एससीएआरडीबी) ने आंकड़े पेश नहीं किए जिनकी 31 मार्च 2011 तक 1045 शाखाएं थीं. 31 मार्च 2011 तक 13 एससीएआरडीबी की कुल सदस्यता 108.34 लाख थी जिसमें से उधारकर्ता सदस्य 66.22 लाख थे. जबकि 11 एससीएआरडीबी में चुने हुए बोर्ड थे, व 5 एससीएआरडीबी के 31 मार्च 2011 तक चुने हुए बोर्ड नहीं थे. आसाम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओड़िसा, राजस्थान व त्रिपुरा एससीएआरडीबी ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए. पीसीएआरडीबी के स्तर पर, केवल 381 पीसीएआरडीबी में 31 मार्च 2011 तक चुने हुए बोर्ड थे. इस संबंध में संक्षिप्त सूचना इस तरह है:-

क्र०	विवरण	2010-11	2009-10
01	एससीएआरडीबी की संख्या (संघीय)	10	10
02	एससीएआरडीबी की संख्या (ऐकिक)	7	7
03	एससीएआरडीबी की मिश्रित ढांचा पैटर्न की संख्या	2	2
04	एससीएआरडीबी (ऐकिक) शाखाओं की संख्या	716	744
05	पीसीएआरडीबी की संख्या (संघीय)	655	654
06	पीसीएआरडीबी (संघीय) शाखाओं की संख्या	1045	1153

क्र०	विवरण	2010-11	2009-10
07	कुल सदस्यता (लाख में)	108.34	133.54
08	मद 7 के, ऋण लेने वाले सदस्य	66.22	72.85
09	चयनित बोर्डो वाले एससीएआरडीबी	11	9
10	चयनित बोर्डो वाले पीसीएआरडीबी	381	416
11	एससीएआरडीबी में कर्मचारी (संख्या)	6446	7234
12	पीसीएआरडीबी में कर्मचारी (संख्या)	6019	10313

(V) कॉन्फ्रेंस/ सेमिनार/ वर्कशॉप

फेडरेशन में आयोजन अनुसंधान और विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष १९७३ में की गई ताकि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता से विशिष्ट अनुसंधान और विकास गतिविधियां प्रारंभ की जा सकें। पीआरडी प्रकोष्ठ ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की हैं।

(अ) सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला

1) ऋण वसूली के अनुभवों को बांटने के लिए सेमिनार

दिनांक:- 16 अप्रैल 2010

स्थान:- होटल सनवे जीआरटी ग्रांड पांडिचेरी.

उद्घाटन सत्र:- श्री के. सिवदासन नायर, NCARDB संघ, के चेअरमैन, की अध्यक्षता में.

उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि:-

डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव NCUI अध्यक्ष, और डॉ. बिजेन्द्र सिंह NAFED के NAFSCOB के चेअरमैन.

विशेषज्ञ:-

श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, NCARDB संघ.

श्री वी. जगन मोहन, प्रबन्ध निदेशक, SCB आंध्र प्रदेश.

SCARDBs के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा ऋण वसूली के अनुभवों पर प्रस्तुतिकरण

1. श्री एच.पी. गणात्रा, प्रबन्ध निदेशक, गुजरात SCARDB
2. श्री सतबीर शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा SCARDB
3. श्री गोपाल शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश SCARDB
4. श्री ए. अरिवङ्गागन, प्रबन्ध निदेशक, तमिलनाडु SCARDB
5. श्री स्वर्णजीत सिंह, प्रबन्ध निदेशक, पंजाब SCARDB
6. श्री ए.के. भौमिक, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिम बंगाल SCARDB
7. श्री सुभास बिस्वास, वरिष्ठ अधिकारी, त्रिपुरा CARDB
8. श्री नवल किशोर, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश SGVB

2) **स्थाई समिति के CEOs की बैठक**

दिनांक:- 25 मई 2010

स्थान:- कसौली रिसोर्ट, हिमाचल प्रदेश.

उद्घाटन सत्र:- डॉ. बी. सी. गुप्ता, वित्तीय आयुक्त, पंजाब, की अध्यक्षता में.

विशेषज्ञ:-

1. श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, NCARDB संघ.
2. डॉ. जी. वज्रलिंगम्, रजिस्ट्रार ऑफ़ को.आ. सोसायटीज़, पंजाब.
3. श्री जी.एस. मंगत, प्रबन्ध निदेशक, SCB पंजाब.
4. श्री नवल किशोर, प्रबन्ध निदेशक, SGVB उत्तर प्रदेश.

चर्चा के मुख्य विषय:-

1. ARDBs द्वारा जमा जुटाव (Deposit mobilisation).
2. ऋण का विविधिकरण.
3. वसूली कार्य योजना.
4. अठउद्दी के आयकर मामले.

3) ARDBs के पुनरुद्धार की तैयारी पर राष्ट्रीय सेमिनार

दिनांक:- 9 अगस्त 2010

स्थान:- होटल बाँगमैलो बीच रिसोर्ट, गोवा

सहभागी:- सदस्य बैंकों के चेअरमैन व मुख्य अधिकारी

सेमिनार में भारत सरकार द्वारा एक पुनरुद्धार योजना क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावों के संदर्भ में पुनरुद्धार के लिए ARDBs की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा SCARDBs द्वारा संसाधन जुटाव कार्यक्रम, वसूली अभियान व व्यापार विविधिकरण की प्रगति की समीक्षा की गई.

4) स्थाई समिति के CEOs की बैठक

दिनांक:- 8 अक्टूबर 2010

स्थान:- होटल चेकर्स, चेन्नई.

बैठक में SCARDBs व PCARDBs द्वारा अगले पांच सालों के लिए व्यापार विकास योजना के तरीकों के लिए विस्तृत मार्गदर्शन तय किए गए तथा पुनरुद्धार के लिए ARDBs की तैयारी पर क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रारूप तैयार तय किया गया.

5) क्षेत्रीय सेमिनार

(i) पूर्वीय तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के लिए सेमिनार

पूर्वीय तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के लिए सेमिनार 8-9 जनवरी 2011 को IKMARD, कोलकाता में आयोजित किया गया. सेमिनार का उद्घाटन डॉ. असीमकुमार दास गुप्ता, वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल ने किया तथा स्वस्तिवाचन डॉ. के.जी. करमाकर, प्रबन्ध निदेशक, नाबार्ड ने किया. जिसमें शामिल हैं विशेषज्ञ श्री वाय.सी. नन्दा, पूर्व चेयरमैन नाबार्ड, श्री पी.के. अग्रवाल, प्रमुख सचिव, भारत सरकार, श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, NCARDB संघ, श्री नवल किशोर, प्रबन्ध निदेशक, SGVB उत्तर प्रदेश व पी.के. महतो, फ़ैकल्टी, NCCT, कल्याणी.

(ii) पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र के लिए सेमिनार

पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र के लिए सेमिनार 23-24 जनवरी 2011 को गुजरात SCARDB में अहमदाबाद में आयोजित किया गया. सेमिनार का उद्घाटन श्री दिलीपभाई संघानिया, कृषि व सहकार मंत्री, गुजरात ने किया. आधार व्याख्यान डॉ. बी.सी. गुप्ता, सचिव, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, भारत सरकार तथा श्री ए.के. बंधोपाध्याय, कार्यकारी निदेशक, नाबार्ड ने किया. विशेषज्ञ जिसमें शामिल हैं श्री वाय.सी. नन्दा, पूर्व चेयरमैन नाबार्ड, सुश्री अनिता मनचंदा, मुख्य कार्यकारी, NCUI, श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, NCARDB संघ, श्री नवल किशोर, प्रबन्ध निदेशक, SGVB उत्तर प्रदेश व डॉ. के.टी. चन्नेशप्पा, क्षेत्रीय निदेशक, NCDC.

(iii) उत्तर क्षेत्र के लिए सेमिनार

उत्तर क्षेत्र के लिए सेमिनार 1-2 फरवरी 2011 को होटल पार्क व्यू, चंडीगढ़ के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया. सेमिनार का उद्घाटन श्री जे.एस. नकाई, प्रमुख संसदीय सचिव (सहकार), पंजाब ने किया. आधार व्याख्यान श्री अमरेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, नाबार्ड, श्री सुरेश कुमार, वित्त आयुक्त, पंजाब ने किया. विशेषज्ञ जिनमें शामिल हैं श्री वाय.सी. नन्दा, पूर्व चेयरमैन नाबार्ड, श्री पी.वी.ए. रामा राव, पूर्व प्रबन्ध निदेशक, नाबार्ड, श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, NCARDB संघ, श्री नवल किशोर, प्रबन्ध निदेशक, SGVB उत्तर प्रदेश व श्री प्रेमकुमार, आईएस, प्रमुख सचिव, (सहकार), हिमाचल प्रदेश, ने सेमिनार की थीम पर पेपर प्रस्तुत किया.

(iv) दक्षिण क्षेत्र के लिए सेमिनार

दक्षिण क्षेत्र के लिए सेमिनार 10-11 फरवरी 2011 को होटल ग्रॉन्ड डेज, तिरुअनंतपुरम में आयोजित किया गया. सेमिनार का उद्घाटन

श्री सुधाकरन, सहकारिता व कॅयर मंत्री, केरल ने किया. श्री केसु वेंकटकृष्णा रेड्डी, सहकार मंत्री आंध्र प्रदेश, उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे. श्री वाय.सी. नन्दा, पूर्व चेयरमैन नाबार्ड, श्री पी.वी.ए. रामा राव, पूर्व प्रबन्ध निदेशक, नाबार्ड, श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, NCARDB संघ, श्री नवल किशोर, प्रबन्ध निदेशक, SGVB उत्तर प्रदेश, डॉ. टी. परानजोती, सचिव, NCCT, श्रीमती एल. ऊषाकुमारी, प्रोफ़ेसर, एसडी कॉलेज, अलेप्पी व श्री बिजोय जॉर्ज, क्षेत्रीय निदेशक NCDC ने पेपर्स प्रस्तुत किए.

सेमिनार की सिफ़ारिशें इस रपट में अलग से दी गई हैं।

6) CEOs की बैठक 14 मार्च 2011 को

बैठक में क्षेत्रीय सेमिनारों की सिफ़ारिशें तय की गईं सिफ़ारिशों के आधार पर ड्राफ्ट एक्शन प्लान तय किया गया।

(स) प्रकाशन

अ) एआरडीबी की मासिक प्रगति की रिपोर्ट

फेडरेशन मासिक रूप से बैंको की कार्य पद्धति के पुनरीक्षण तथा ऋण के बहाव और भारत सरकार से अन्य संबद्ध पहलू, प्लानिंग कमीशन इत्यादि पर जानकारी प्रदान करने हेतु जानकारी एकत्र और प्रकाशित करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान 12 समेकित मासिक रिपोर्ट्स प्रकाशित की गयीं।

ब) वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन में एससीएआरडीबी के साथ-साथ एससीएआरडीबी से जुड़े PADBs से संबंधित कार्यकारी विवरण, संरचनात्मक पहलू और ऑडिट की गयी आर्थिक स्थिति की विस्तृत जानकारी होती है। 2008-09 का बुलेटिन इसी वर्ष में प्रकाशित किया गया तथा वर्ष 2009-10 के बुलेटिन का संकलन जारी है। अब संदर्भ हेतु वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) के रूप में निकाले जाते हैं।

स) लैंड बैंक पत्रिका का प्रकाशन: लैंड बैंक पत्रिका ग्रामीण वित्तीयन के क्षेत्र में फेडरेशन के सबसे पुराने प्रकाशनों में से एक है, जिसे पिछले 48 वर्षों से तिमाही रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। कृषि और ग्रामीण ऋण के अनुसंधान स्तंभों तथा सफलता गाथाओं के साथ-साथ पत्रिका में कृषि और इस क्षेत्र की अन्य संबद्ध गतिविधियों और ग्रामीण ऋण से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर समाचार और रिपोर्ट्स का समावेश होता है। संपूर्ण वर्ष के दौरान, जून 2010 तथा सितंबर 2010 के 2 तिमाही संस्करण प्रकाशित किये गये तथा दिसंबर व मार्च 2011 के संस्करण की छपाई अभी जारी है।

VI. वित्त और लेखा

वर्ष २०१०-११ के लेखा परीक्षित खातों की परिसम्पत्तियों और देयताओं तथा आय एवं व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:

परिसम्पत्तियां और देयताएं

देयताएं	तक		परिसंपत्तियां	तक	
	31.3.11	31.3.10		31.3.11	31.3.10
आरक्षित निधि और अन्य निधियां	1525.21	1429.71	नकद और बैंक जमा	1.12	1.93
सुरक्षित ऋण	2.04	0.00	निवेश	1221.76	1146.37
अन्य देयताएं और प्रावधान	153.86	149.72	निश्चित परिसम्पत्तियां	266.28	277.65
आय और व्यय खाते से अधिशेष का हस्तांतरण	7.64	30.33	विविध देनदार और प्राप्ति	77.57	70.43
			ऋण और अग्रिम	21.27	10.04
			विष्विध जमा और पूव जमा व्यय	3.11	4.42
			अग्रिम एफबीटी संदत्त	0.84	2.12
			आय कर	96.80	96.80
कुल	1688.75	1609.76	कुल	1688.75	1609.76

आय और व्यय

क्र. सं.	विवरण	राशि (लाख रु. में)	
		2010.11	2009.10
	आय		
1	वार्षिक सदस्य चंदा	52.75	60.80
2	बैंक खातों, चिन्हित स्मारक निधियों तथा चिन्हित न की गई जमा राशियों, आरक्षित निधि व विकास निधि पर ब्याज	55.13	31.10
3	शेयरों पर लाभांश	0-15	0-15
4	सदस्य बैंकों से अतिरिक्त अंशदान	23.38	15.17
5	गेस्ट हाऊस, विविध, आय/सेवा प्रभार	0.39	0.37
6	सहायता अनुदान	9.00	33.00
7	एनसीयूआई/ एमसीडीसी से प्राप्त अनुदान	2.50	0.00
8	बुरे व संदेहास्पद ऋण/ प्रोविजन्स रिवर्स आदि से विविध आय/वसूली	3.49	2.51
	कुल (1 से 8)	146.79	143.10
	व्यय		
1	वेतन और भत्ते, पीएफ और एलएफसी	56.96	48.38
2	सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/ क्षेत्रीय सेमिनार	16.81	4.30
3	यात्रा/मार्ग व्यय/एल.एफ.सी.	6.72	13.15
4	स्थिर परिसम्पत्तियों (पुराने और नए कार्यालयों) पर मूल्यहास	11.52	11.30
5	जर्नल गतिविधियों में घाटा	0.94	0.15
6	बैठक व्यय	0.40	2.29
7	कार्यालय परिसर रखरखाव प्रभार व कर	7.63	7.05
8	सदस्यता शुल्क व प्रतिनिधि मंडल शुल्क	4.17	4.58
9	डाक/तार व टेलिफोन/इंटरनेट	2.68	2.82
10	गेस्ट हाऊस का रखरखाव	3.41	3.47
11	अवधि पूर्व मद खाता	0.68	0.15
12	मरम्मत और रखरखाव	2.57	2.33
13	लेखन सामग्री, मुद्रण और प्रचार	5.05	3.12
14	वैधिक व व्यावसायिक शुल्क	2.19	3.42
15	बीमा	0.37	0.19

16	अन्य संस्थापना लागतें/विविध व्यय	2.96	1.97
17	प्रावधान		
i)	कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी)	0.00	1.40
ii)	अवकाश नकदीकरण	0.29	2.70
iii)	डिफाल्टेड सदस्य बैंकों से मांग	2.11	--
iv)	बीडीडीआर	6.55	--
18	आकस्मिक आरक्षित निधि	5.06	--
19	आयकर	0.07	--
	कुल (1 से 19)	139.14	112.77
	अधिशेष	7.64	30.33
		राशि (लाख रु. में)	
	<u>आमसभा द्वारा अधिशेष की स्थापना</u>		
	(1) आरक्षित निधि	-	(2.01)
	(2) आकस्मिक आरक्षित निधि	-	(21.19)
	(3) एनसीयूआई की सहकारी शिक्षा निधि	-	(0-08)
	(4) फेडरेशन की शिक्षा निधि	-	(0-08)
	(5) इमारत निधि	-	(2.31)
	(6) विकास निधि	-	(1.00)
	(7) कर्मचारी कल्याण निधि	-	(0.50)
	(8) कर्मचारियों को अनुग्रह राशि	-	(3.16)
	कुल	-	30.33

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वित्त वर्ष २००९-१० से संबंधित हैं)

फेडरेशन की उप-विधि संख्या ३७ के अनुसार अधिशेष का विनियोजन आमसभा द्वारा वार्षिक आम बैठक में किया जाएगा।

पत्रिका संबंधी गतिविधियां

आय

क.सं.	विवरण	राशि (रु.)	
		2010-11	2009-10
1	पत्रिका अभिदान (चंदा)	41060.00	40980.00
2	विज्ञापन प्रभार	86000.00	97000.00
3	प्रकाशनों की बिक्री	360.00	180.00
4	वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान	2277.00	2906.00
	कुल	129697.00	141066.00

व्यय

1	मुद्रण प्रभार	154240.00	132923.00
2	डाक, टेलीग्राम और टेलीग्राफ	13531.18	14642.00
3	योगदानकर्ताओं/लेखकों को मानदेय/अन्य व्यय	5200.00	7100.00
4	बीडीडीआर का प्रावधान	50020.00	--
5	अतिरिक्त प्रावधान बटूटे खाते	--	60.00
6	विविध व्यय	1145.00	1415.00
	कुल (1 से 6)	224136.18	156140.00
	निवल अधिशेष/ निवल घाटा (+)/(-)	(-94439.18)	(-15074.00)

VII. विन्यास निधियां

31 मार्च, 2011 को विभिन्न विन्यास निधियों की स्थिति संक्षेप में नीचे दी जा रही है:

निधि का नाम	31-03-2011	निधि के अंतर्गत गतिविधियां
1. बी. वेंकटरमन स्मारक निधि	77,861.99	कोटि-1 के सर्वोत्तम एआरडीबी को प्रति वर्ष बी. वी. स्मारक ट्राफी प्रदान की जाती है।
2. उदयभानसिंह जी स्मारक निधि	1,24,473.42	(i) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा देश में चलाए जा रहे सहकारी प्रबंधन संस्थानों में भूमि विकास बैंकिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के मेधावी प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार प्रदान करना।(ii) उदयभानसिंहजी स्मारक ट्राफी कोटि-1 को प्रति वर्ष दी जाती है।
3. दत्तात्रायालू स्मारक निधि	59,647.50	दत्तात्रायालू ट्राफी कोटि-III के सर्वोत्तम बैंक को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है।
4. केरल एससीएआरडीबी के लिए स्थापित एम.एन. नाम्बियर स्मारक निधि	52,570.86	एम.एन. नाम्बियर ट्राफी एआरडीबी द्वारा प्रति वर्ष देनदारी में सर्वोत्तम निष्पादक को दी जाती है।
5. पंजाब एससीएआरडीबी द्वारा स्थापित पंजाब मुख्यमंत्री ट्राफी निधि	46,331.00	पंजाब मुख्यमंत्री ट्राफी एआरडीबी द्वारा प्रति वर्ष सर्वाधिक वसूली करने वाले को दी जाती है।
6. रजत जयंती निधि	3,27,405.10	इस ट्राफी के अंतर्गत फेडरेशन किसी सदस्य बैंक के प्रत्येक एक या किसी सदस्य को वीएएमएनआईसीओएम, पुणे द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर व्यापार प्रबंधन डिप्लोमा करने वाले को २५,००० रु. की अध्येतावशक्ति देता है।
7. फेडरेशन द्वारा स्थापित एशियन रेफिेशन केंद्रीय निधि	1,42,632.18	--
कुल	8,30,922.05	

VIII. सामान्य निकाय, बोर्ड एवं कार्यपालक समिति:

सामान्य निकाय:

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य, संबंधित बैंक के निर्देशक मण्डल द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व शामिल हैं।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत् हैं।

- 1- आन्ध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद.
- 2- आसाम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहाटी.
- 3- बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, पटना.
- 4- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर.
- 5- गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद.
- 6- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला.
- 7- हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला.
- 8- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर.
- 9- कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बेंगलोर
- 10- केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, तिरुवनंतपुरम.
- 11- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल.
- 12- महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बहुउद्देश्यीय विकास बैंक मर्यादित, मुंबई.
- 13- उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर.
- 14- पॉडिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक मर्यादित, पॉडिचेरी.
- 15- पंजाब राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, चंडीगढ़.
- 16- राज्यस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयपुर.
- 17- तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई.
- 18- त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला.
- 19- उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ.
- 20- पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकाता.
- 21- दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली.

- 22- गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी.
23- मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक मर्यादित, शिलॉंग.

प्रबन्धन बोर्ड

विधान के अनुसार, संघ के प्रबन्धन बोर्ड में सामान्य सभा द्वारा चुने गए २० निदेशक होते हैं, ९ निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है, २ निदेशक बोर्ड की सहमति से चुने जाते हैं प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर, जो संघ का भूतपूर्व अधिकारी होता है।

प्रबन्धन बोर्ड में दिनांक ३१.३.२०१० तक निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित थे:-

क्र सं.	बोर्ड के सदस्यों के नाम	प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक सदस्य
1	श्री के शिवदासन नायर, एमएलए, अध्यक्ष	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नई दिल्ली
2	श्री गोबिन्दा रॉय, उपाध्यक्ष	पश्चिमी बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
3	श्री बी एच जडेजा, एमएलए, उपाध्यक्ष	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
4	श्री सुखदर्शन सिंह मरार, उपाध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.
5	श्री बिजय कुमार सिंह	बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
6	श्री देवेन्द्र कुमार पांडे	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि.
7	श्री आर जी एन मुले	गोवा राज्य सहकारी बैंक लि.
8	श्री दलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
9	श्री एस एस चौहान	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
10	श्री सी के राजेन्द्रन	केरला राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
11	श्री किशन सिंह भतोल	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
12	सुश्री रोशन वार्जरी	मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि.

13	श्री जे सेकर	पांडेचेरी सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बँक लि.
14	श्री नवल किशोर	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बँक लि.
15	श्री के के रविन्द्रन	एक्स ऑफिसियो

प्रबन्धन बोर्ड में दिनांक 31-3-2010 तक सदस्य बैंकों की उम्मीदवारी में परिवर्तन होने के कारन छह पद रिक्त रहे।

कार्यकारी समिति

- 1- श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष.
- 2- श्री बी.एच. जड़ेजा, अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी.
- 3- श्री गोबिन्दा रॉय, अध्यक्ष, प. बंगाल एससीएआरडीबी.
- 4- श्री सुखदर्शन सिंह मरार, अध्यक्ष, पंजाब एससीएडीबी.
- 5- श्री दलीप सिंह यादव, निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी.
- 6- श्री जे. सेकर, अध्यक्ष, पांडीचेरी सीसीएलडीबी.
- 7- श्री किशन सिंह भटोल, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश एससीएआरडीबी.
- 8- श्री आर.जी.एन. मुले, अध्यक्ष, गोवा एससीबी.
- 9- श्री बिजय कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार आरएसबीबीबी.
- 10- श्रीमती रोशन वार्जरी, अध्यक्ष, मेघालय सीएबी.
- 11- श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक.

प्रशासकीय समिति

- 1- श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष.
- 2- श्री बी.एच. जड़ेजा, उपाध्यक्ष.

- 3- श्री गोबिन्दा रॉय, उपाध्यक्ष.
- 4- श्री सुखदर्शन सिंह मरार, उपाध्यक्ष.
- 5- श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक.

वित्तीय वर्ष 2010-11 में आम सभा, विशेष आम सभा, मंडल व कार्यकारी समिति की बैठक

आम सभा, प्रशासनिक समिति व कार्यकारी समिति की बैठकें वर्ष के दौरान रपट के तहत दिनांक व स्थान के साथ नीचे सूचीबद्ध हैं:

बैठकें	स्थान	दिनांक
(ए) आम सभा (50वीं बैठक)	गोवा	09 अगस्त 2010
(बी) प्रबन्धन मंडल		
129वां मंडल	पांडिचेरी	16 अप्रैल 2010
130वां मंडल	गोवा	09 अगस्त 2010
131वां मंडल	उत्तराखंड	07 दिसं. 2010
(सी) कार्यकारी समिति की बैठकें		
	गोवा	09 अगस्त 2010

मंडल की बैठकें ग्रामीण ऋण के लिए नीतियों व संचालन मामलों के अलावा सदस्य बैंकों के संचालन की समीक्षा पर चर्चा के लिए मुख्य मंच बनी हुई हैं.

रपट के तहत साल के दौरान, मंडल, ने सदस्य बैंकों के व्यापार संचालन संबंधी नियमित मर्दों पर चर्चा व डिबेंचर फ्लोटेशन्स, एडवॉन्सेस, वसूली आदि पर सावधिक समीक्षा के अलावा साथ ही निम्नलिखित विषयों पर इसकी बैठकें में विचार व चर्चा की गई.

- 1) वैद्यनाथन कार्य बल द्वितीय की सिफ़ारिशों पर आधारित लम्बी अवधि के सहकार ऋण ढांचे के पुनरुद्धार के लिए पैकेज - लागू करने की प्रगति का चरण.
- 2) CEOs की स्थाई समिति की पहली बैठक में सुझाव
- 3) लम्बी अवधि के सहकार ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य स्तरीय कार्य बल के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के पास जाने का प्रस्ताव.
- 4) पुनःवित्त पर ब्याज दर में संशोधन.
- 5) ग़ैर कृषि क्षेत्र में लघुतर उद्यमियों/ शिल्पियों की जॉइन्ट लाएबिलिटी ग्रुप्स (JLGs) यानी संयुक्त जिम्मेदारी समूहों को वित्त देना.
- 6) एग्रीकल्चरल क्लिनिक व एग्रीबिज़नेस सेन्टर योजना - उम्मीदवारों की नई श्रेणी को शामिल करना.
- 7) मुख्य संचालनीय क्षेत्रों में सदस्य बैंकों की कार्यदक्षता
- 8) केन्द्रित प्रायोजित योजना - लघु रूमीनेन्ट व रैबिट्स का समेकित विकास
- 9) ग्रामीण आंगन मुर्गीपालन के लिए झुमर्गीपालन एस्टेट्स व मदर यूनिट्स स्थापित करने के लिए केन्द्रित प्रायोजित योजना.
- 10) केन्द्रित प्रायोजित योजना - ग्रामीण कसाईखानों के प्रतिष्ठान/ आधुनिकीकरण.
- 11) ग्रामीण गोदामों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट (CISS) यानी पूंजी निवेश सबसिडी योजना - कृषि श्रेणी व बहुमंजिले गोदाम.
- 12) अंतराष्ट्रीय सहकार वर्ष के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा.
- 13) अंतराष्ट्रीय महिला दिवस - 8 मार्च 2010 के अवसर पर ICA से संदेश
- 14) लम्बी अवधि के सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुद्धार पैकेज - वर्तमान स्थिति
- 15) ARDBs द्वारा जमा जुटाव.
- 16) वसूली रणनीतियां व कार्य योजनाएं.
- 17) स्थाई समिति के CEOs की द्वितीय बैठक में हुए विचार विमर्शों पर कार्य बिंदु.
- 18) SCARDBs के आय कर मामले.

- 19) वर्ष 2009-10 के दौरान सदस्य बैंकों के संचालन पर समीक्षा.
- 20) 2010-11 के दौरान नाबार्ड पुनःवित्त के लिए पात्रता मानदंड.
- 21) डेअरी व पोल्ट्री वेन्चर पूंजी निधियां.
- 22) मछली पालन विकास के लिए सबसिडी राष्ट्रीय मछली पालन विकास मंडल द्वारा निधि.
- 23) संघ का स्वर्ण जयंति वर्ष.
- 24) लम्बी अवधि के सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुद्धार पैकेज.
- 25) लम्बी अवधि के सहकारी ऋण ढांचे के लिए बैंकिंग लाइसेंस.
- 26) पुनरुद्धार के लिए तैयारी पर क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव.
- 27) अगले पांच सालों के लिए व्यापार विकास योजनाओं को तैयार करना.
- 28) पुनरुद्धार के लिए तैयारी - प्रगति पर समीक्षा में
 - सघन वसूली अभियान
 - जमा जुटाव
 - लघु अवधि ऋण उत्पाद प्रस्तुत करना
- 29) नाबार्ड पुनःवित्त पर ब्याज दर
- 30) मुख्य संचालनीय क्षेत्रों में सदस्य बैंकों की कार्यक्षमता
- 31) नाबार्ड द्वारा ARDBs के लिए आंतरिक जांच व नियंत्रण प्रणाली पर ड्राफ्ट मेनुअल.
- 32) कृषि की ओर ऋण का बहाव - कृषि ऋण - मार्जिन/ सुरक्षा आवश्यकताओं का समाप्त करना.
- 33) डेअरी व पोल्ट्री वेन्चर पूंजी निधियां - डेअरी एंटरप्रायोरशिप डेवलपमेंट स्कीम (DEDS) यानी डेअरी उद्यमशीलता विकास योजना.
- 34) मृत पशुओं के उपयोग के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना.
- 35) 2010-11 वर्ष के लिए नीति - सहकारी ऋण संस्थाओं की अंश पूंजी में योगदान के लिए नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 27 के तहत राज्य सरकारों को टर्म लोन मंजूर करना.
- 36) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना - लघु रुमीनेन्ट्स व रेबिट्स का समेकित विकास - संशोधित संचालनीय मार्गदर्शन.

IX - राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सदस्यता

राष्ट्रीय स्तर पर, फेडरेशन की सदस्यता निम्न के साथ सतत है -

- 1- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई)
- 2- भारतीय वाणिज्य चेम्बर (आई.एम.सी.)
- 3- भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.)
- 4- कृषि बैंकिंग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीआईसीटीएबी) और
- 5- सहकारिता के अध्ययन के लिए भारतीय समाज

फेडरेशन के अंशधारक के रूप में निम्न के साथ सदस्यता रखी हुई है:-

- 1- राष्ट्रीय फिल्म एवं फाइन आर्ट्स सहकारी लि. (एनएएफएफएसी), नई दिल्ली
- 2- भारतीय पर्यटन सहकारी लि. (आई.टी.सी.), नई दिल्ली
- 3- को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (सी.ओ.बी.आई) नई दिल्ली

फेडरेशन कुछ संस्थानों के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महासंघ ने संबद्धकारी रखा है,

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आय.सी.ए.), जेनेवा
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय रायफेसन यूनियन (आई.आर.यू.), बॉन एवं
- (3) एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय षि साख संघ (एपीआरएसीए), बैंकॉक

इन अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से सम्बद्धता की वजह से फेडरेशन एवं सदस्य बैंको को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर संगी सदस्यों के साथ सामान्य हित के विषयों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान हुआ।

चेअरमैन व मुख्य अधिकारी का प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता - राष्ट्रीय स्तर

यह संघ इस रपट के वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों जिसमें शामिल हैं केन्द्र व राज्य सरकारें, नाबार्ड, आरबीआई आदि से निकट संपर्क रखे हुए है।

संघ के चेअरमैन व प्रबन्ध निदेशक विभिन्न संस्थाओं में नामित थे या उनका प्रतिनिधित्व जारी रखे हुए थे और विभिन्न समितियां जो भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, नाबार्ड, NCUI, COBI आदि. उन्होंने विभिन्न स्तरों पर आयोजित विभिन्न मंडलों/ समितियों में शामिल होने के अलावा सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ़रेंस आदि में भी भाग लिया.

इस रपट के वर्ष के दौरान, संघ के चेअरमैन निम्नलिखित समितियों/ मंडलों के सदस्य के रूप में नामित/ प्रतिनिधि बने.

- (i) NCUI की जनरल बॉडी व अधिनियंत्रित परिषद.
- (ii) ग्रामीण बैंकिंग के लिए राष्ट्रीय संस्थान का न्यासी मंडल.
- (iii) NCUI द्वारा निर्मित सहकार शिक्षा के लिए समिति के सदस्य.
- (iv) NAFFAC निदेशक मंडल के सदस्य.
- (v) सहकार प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद के सदस्य
- (vi) ICA के जनरल बॉडी सदस्य.
- (vii) ICA (ROAP) के जनरल बॉडी सदस्य.
- (viii) IRU के जनरल बॉडी सदस्य.

वर्ष के दौरान प्रबन्ध निदेशक भी नामित हुए और निम्नलिखित समितियों/ मंडलों में संघ को प्रतिनिधित्व देना जारी रखा.

- (i) ICA के वैश्विक मानव संसाधन विकास समिति के वाइस चेअरमैन.
- (ii) APRACA के जनरल कौंसिल सदस्य.
- (iii) ICA की एशिया व पैसिफ़िक के लिए मानव संसाधन विकास समिति.
- (iv) सहकार में अध्ययन के लिए इंडियन सोसायटी की अधिनियंत्रक समिति के सदस्य.
- (v) CICTAB के जनरल कौंसिल व निदेशक समिति के सदस्य.

X. आभार स्वीकार

अपने ढांचे को सुदृढ़ बनाने और सदस्य बैंकों के कार्यों को विस्तार देने के अपने प्रयासों के तहत, फेडरेशन केंद्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, रिजर्व बैंक, एनसीडीसी, एनसीयूआई और विभिन्न अन्य एजेंसियों और संस्थाओं के साथ निरंतर संबंध और संपर्क बनाए हुए है। प्रबंध मंडल इन सभी एजेंसियों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिए गए उनके सहयोग और समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन एआरडीबी को सुदृढ़ करने, एससीएआरडीबी को पुनर्वित्त सहयोग प्रदान करने के लिए की गई पहल और दिशानिर्देश के लिए नाबार्ड के प्रबंधन और उसके अधिकारियों के प्रति आभारी है। बोर्ड श्री यू.सी. सारंगी, अध्यक्ष, डा०के. जी.करमाकर, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों और अन्य कार्यकारी अधिकारियों एवं नाबार्ड के अधिकारियों से मिले सहयोग और दिशानिर्देशों के लिए भी उनका आभारी है।

एससीएआरडीबी को वित्तीय सहयोग प्रदान करने में एनसीडीसी मदद कर रहा है जिससे उन्हें अपने सदस्यों की ऋण जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायता मिली है। तद्देतु हम एनसीडीसी के बोर्ड के प्रति और खासतौर पर श्री गोविंदन नायर, प्रबंध निदेशक के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

VTF II की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकारों की परामर्श से दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे के लिये एक पैकेज को भारत सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इस मामले में बोर्ड ने वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, सचिव (वित्तीय सेक्टर) श्री शशिकांत शर्मा और संयुक्त सचिव (वित्तीय सेक्टर) श्री उमेश कुमार को उनके मूल्यवान योगदानों हेतु आभार व्यक्त किया है।

बोर्ड श्री शरद पवार, माननीय कृषिमंत्री की भी सराहना करता है व आभार मानता है कि उन्होंने इस क्षेत्र को अपना समर्थन प्रदान किया और सचिव ;कृषि व सहकार) श्री प्रबीर कुमार बसु तथा संयुक्त सचिव व सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार श्री राजेंद्र कुमार तिवारी और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का फेडरेशन को उचित मार्गदर्शन देने के लिए आभारी है।

एनसीयूआई, फेडरेशन को इसकी गतिविधियों में सक्रिय समर्थन देता रहा है। फेडरेशन तद्देतु डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष व सुश्री अनिता मनचंदा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

फेडरेशन इस रिपोर्ट के साल के दौरान सदस्य बैंकों से लगातार वित्तीय व अन्य समर्थन सक्रिय सहकार के रूप में पाता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबंधन व कर्मचारियों विशेषकर एससीएआरडीबीज के चेअरमैन व मुख्य कार्यकारी

अधिकारियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड श्री शिवदासन नायर, एमएलए, अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व तथा साथ ही उपाध्यक्षों श्री गोबिंदा राय, श्री सुखदर्शन सिंह म्मार व श्री बी. एच. जड़ेजा, एमएलए के फेडरेशन और एलटी क्रेडिट सेक्टर को इस चुनौतीपूर्ण काल के दौरान सक्षम समर्थन देने की भी सराहना करता है।

बोर्ड के.के.रवींद्रन, प्रबंध निदेशक, की सेवाओं की सराहना करता है, जिन्होंने पूरे समर्पण भाव के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दायित्वों का भली भांति निर्वहन किया है। प्रबंध मंडल वर्ष के दौरान अपने अधिकारियों और स्टाफ की सेवाओं की भी सराहना करता है।

प्रबंध मंडल की ओर से
के.शिवदासन नायर, एमएलए,
अध्यक्ष

सारणी १ - लिए गए डिबेंचर / उधार

(रु. लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2010-11 के दौरान लिए गए				समग्र योग	
		नाबार्ड से (एचएसजी समेत)	केंद्र सरकार से	राज्य सरकार से	अन्यों से (एनसीडीसी/ हुडको /एनएचबी)	(2010-11) (3+4+5+6)	(2009-10)
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	आसाम	NR	NR	NR	NR	NR	0.00
2)	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3)	छत्तीसगढ़	1,279.00	9.15	3.19	0.00	1,291.34	1,365.29
4)	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5)	हरियाणा	39,998.57	382.26	382.26	19,750.00	60,513.09	49,550.53
6)	हिमाचल प्रदेश	5,799.59	0.00	0.00	0.00	5,799.59	0.00
7)	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8)	कर्नाटक	15,601.88	348.17	348.17	0.00	16,298.22	17,083.09
9)	केरल	41,417.56	10.57	10.57	20,000.00	61,438.70	25,421.72
10)	मध्य प्रदेश	1,016.89	22.76	22.76	0.00	1,062.41	15,468.39
11)	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12)	उड़ीसा	NR	NR	NR	NR	NR	NR
13)	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	488.97	488.97	157.98
14)	पंजाब	30,846.75	566.84	100.00	0.00	31,513.59	39,525.22
15)	राजस्थान	20,310.08	271.43	271.42	0.00	20,852.93	20,942.57
16)	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	17,775.00	17,775.00	14,471.00
17)	त्रिपुरा	NR	NR	NR	NR	NR	NR
18)	उत्तर प्रदेश	59,981.71	598.87	372.05	0.00	60,952.63	60,949.27
19)	पश्चिम बंगाल	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,472.80
	कुल	234,252.03	2,210.05	1,510.42	58,013.97	295,986.47	262,407.86

नोट: एन.आर. - नाट रिपोर्टेड

सारणी २ - ३१ मार्च को बकाया डिबेंचर/उधार

(रु. लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	३१ मार्च २०११ को बकाया					समग्र योग	
		साधारण डिबेंचर कार्यक्रम	नाबार्ड से (एचएसजी समेत)	केंद्र सरकार से	राज्य सरकार से	अन्यों से (एनसीडीसी/ हुडको / एनएचबी)	(३१/०३/२०११) (३+४+५+६+७)	(३१ मार्च २०१०)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१)	आसाम	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0.00
२)	बिहार	892.88	1,086.92	860.00	99.06	0.00	2,939.46	5,259.21
३)	छत्तीसगढ़	0.00	14,181.95	289.65	441.47	415.63	15,328.70	16,854.24
४)	गुजरात	0.00	13,685.00	257.93	0.00	99.11	14,042.04	19,205.40
५)	हरियाणा	767.00	192,147.89	5,000.72	4,432.49	19,305.00	221,653.10	201,974.00
६)	हिमाचल प्रदेश	70.00	24,211.09	610.05	21.47	0.00	24,912.61	22,891.80
७)	जम्मू-कश्मीर	NR	NR	279.28	336.72	616.00	1,232.00	2,775.19
८)	कर्नाटक	884.00	141,836.24	4,246.25	7,063.48	0.00	154,029.97	152,740.57
९)	केरल	0.00	164,715.17	2,242.05	2,243.39	23,871.57	193,072.18	191,280.44
१०)	मध्य प्रदेश	940.00	91,104.92	3,386.07	4,719.64	0.00	100,150.63	123,994.68
११)	महाराष्ट्र	1,019.00	0.00	441.57	6,639.14	84,469.16	92,568.87	95,318.17
१२)	उड़ीसा	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
१३)	पांडिचेरी	4.00	16.33	0.91	2.12	522.49	545.85	307.35
१४)	पंजाब	0.00	199,933.72	872.86	99.03	0.00	200,905.61	204,519.20
१५)	राजस्थान	0.00	125,518.52	3,225.34	2,931.55	0.00	131,675.41	132,593.19
१६)	तमिलनाडु	1,005.00	0.00	0.00	6,194.00	11,175.00	18,374.00	13,980.87
१७)	त्रिपुरा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
१८)	उत्तर प्रदेश	0.00	248,354.30	6,092.50	6,400.31	0.00	260,847.11	259,222.22
१९)	पश्चिम बंगाल	0.00	80,717.29	0.00	0.00	0.00	80,717.29	71,863.31
	कुल	5,581.88	1,297,509.34	27,805.18	41,623.87	140,473.96	1,512,994.83	1,514,779.84

नोट: एन.आर. - नाट रिपोर्टेड

सारणी ३ - जमा प्रचालन कार्यक्रम

(रु. लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	के दौरान जमा राशि		को बकाया जमा राशि	
		2010-11	2009-10	31/03/2011	31/03/2010
1	2	3	4	5	6
1)	आसाम	N.R.	21.59	N.R.	37.81
2)	बिहार	0.00	0.00	0.02	0.02
3)	छत्तीसगढ़	1,312.81	1,478.36	2,055.34	1,866.46
4)	गुजरात	9,647.78	7,982.35	13,288.04	13,869.78
5)	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
6)	हिमाचल प्रदेश	407.96	274.70	1,584.27	1,176.31
7)	जम्मू-कश्मीर	330.74	241.35	717.78	387.05
8)	कर्नाटक	584.47	531.31	1,579.06	1,435.51
9)	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
10)	मध्य प्रदेश	0.00	531.16	12,242.95	12,337.34
11)	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
12)	उड़ीसा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	पांडिचेरी	618.79	570.49	866.15	874.04
14)	पंजाब	2,250.18	1,175.35	4,524.46	4,696.90
15)	राजस्थान	258.59	209.17	432.23	296.19
16)	तमिलनाडु	1,640.81	693.82	4,628.53	3,796.24
17)	त्रिपुरा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	उत्तर प्रदेश	1,794.05	1,605.40	5,784.18	3,990.13
19)	पश्चिम बंगाल	1,632.87	1,981.38	9,700.78	8,067.91
	कुल	20,479.05	17,296.43	57,403.79	52,831.69

नोट: एन.आर. - नाट रिपोर्टेड

सारणी ४ - वर्ष के दौरान ऋण / अग्रिम का देना एवं 39 मार्च को जमा बकाया

(रु. लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2010-11 के दौरान वितरित		समग्र योग		31 मार्च 2011 को बकाया		समग्र योग	
		कृषि क्षेत्र	नौर कृषि क्षेत्र (आरएचएस /एस.टी./ ऋण अन्य सहित)	(2010-11) (3+4)	(2009-10)	कृषि क्षेत्र	नौर कृषि क्षेत्र (आरएचएस /एस.टी./ ऋण अन्य सहित)	(2010-11) (7+8)	(2009-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	आसाम	N.R.	N.R.	N.R.	7.65	N.R.	N.R.	N.R.	965.42
2)	बिहार	0.00	33.38	33.38	0.00	1,533.30	5,079.52	6,612.82	6,764.80
3)	छत्तीसगढ़	1,248.96	71.54	1,320.50	1,490.11	14,623.22	143.99	14,767.21	15,943.67
4)	गुजरात	11,998.25	2,343.26	14,341.51	12,931.86	55,587.79	306.90	55,894.69	59,667.80
5)	हरियाणा	36,770.90	4,755.07	41,525.97	38,866.05	162,808.94	41,620.10	204,429.04	190,534.00
6)	हिमाचल प्रदेश	3,276.09	1,530.24	4,806.33	4,073.85	15,074.76	11,060.64	26,135.39	24,827.60
7)	जम्मू-कश्मीर	275.98	8.70	284.68	524.21	825.67	369.21	1,194.88	1,149.08
8)	कर्नाटक	19,057.58	285.55	19,343.13	18,725.98	6,785.91	129,657.69	136,443.60	136,611.30
9)	केरल	21,410.93	67,646.46	89,057.39	68,941.93	62,873.00	156,723.35	219,596.35	195,801.70
10)	मध्य प्रदेश	271.46	691.59	963.05	6,983.13	N.R.	N.R.	N.R.	94,040.42
11)	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	N.R.	N.R.	N.R.	48,624.60
12)	उड़ीसा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	पांडिचेरी	0.50	1,336.67	1,337.17	1,143.86	13.62	1,534.55	1,548.17	1,292.08
14)	पंजाब	28,233.76	16,904.11	45,137.87	42,947.55	N.R.	N.R.	N.R.	216,802.22
15)	राजस्थान	20,429.40	4,635.02	25,064.42	25,899.21	0.00	0.00	0.00	142,677.63
16)	तमिलनाडु	18.65	43,511.70	43,530.35	29,142.53	2,586.74	52,744.26	55,331.00	37,363.12
17)	त्रिपुरा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	उत्तर प्रदेश	60,790.74	12,058.18	72,848.92	70,289.34	N.R.	N.R.	355,580.00	32,0496.00
19)	पश्चिम बंगाल	18,051.24	5,488.22	23,539.46	20,914.10	60,363.70	24,023.53	84,387.23	79,543.17
	कुल	221,834.44	161,299.69	383,134.13	342,881.36	383,076.65	423,263.74	1,161,920.38	1,573,104.61

नोट: एन.आर. - नाट रिपोर्टेड

सारणी ५ - ३९ मार्च को लाभ / हानि

(रु. लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एससीएआरडीबी स्तर पर लाभ / हानि	एससीएआरडीबी स्तर पर लाभ/हानि
		2010-11*	2009-10
1	2	3	4
1)	आसाम	N.R.	(345.64)
2)	बिहार	(28,378.05)	(26,316.41)
3)	छत्तीसगढ़	N.R.	(1,311.61)
4)	गुजरात	3711.49	2,578.51
5)	हरियाणा	N.R.	498.07
6)	हिमाचल प्रदेश	110.00	117.54
7)	जम्मू-कश्मीर	(4,599.81)	(4,290.81)
8)	कर्नाटक	4.76	5.49
9)	केरल	1812.28	1,751.75
10)	मध्य प्रदेश	N.R.	(6,086.98)
11)	महाराष्ट्र	N.R.	(56,295.90)
12)	उड़ीसा	N.R.	N.R.
13)	पांडिचेरी	(87.49)	(89.88)
14)	पंजाब	2900.00	2,744.79
15)	राजस्थान	1327.00	1,884.67
16)	तमिलनाडु	507.04	4956.75
17)	त्रिपुरा	N.R.	N.R.
18)	उत्तर प्रदेश	N.R.	1060.24
19)	पश्चिम बंगाल	650.00	892.99
	कुल	(22,042.78)	(78,246.43)

सूचना: कोष्ठक में दिए अंक हानि इंगित करते हैं

* अनंतिम आंकड़े

सारणी ६ - ज़मीनी स्तर पर वसूली निष्पादन

क्र. सं.	बैंक का नाम	एनपीए - 31 मार्च 2011 तक			एनपीए - 31 मार्च 2010 तक		
		(31.03.11) को कुल बकाया ऋण (लाख रु. में)	आइटम 3 कुल ऋणों में		(31.03.10) को कुल बकाया ऋण (लाख रु. में)	आइटम 6 कुल ऋणों में	
			एनपीए (लाख रु. में)	31.03.11 को कुल बकाया ऋणों के एनपीए का प्रतिशत		एनपीए (लाख रु. में)	31.03.10 को कुल बकाया ऋणों के एनपीए का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	आसाम	N.R.	N.R.	N.R.	965.42	948.48	98.25
2)	बिहार	6,612.87	5,513.06	83.30	6,764.80	5,987.95	88.50
3)	छत्तीसगढ़	17,910.29	N.R.	N.R.	19,216.89	9,532.41	49.60
4)	गुजरात	55,894.69	27,644.71	49.46	59,667.80	30,662.50	51.39
5)	हरियाणा	214,007.01	72,012.27	33.65	192,961.00	54,983.00	28.49
6)	हिमाचल प्रदेश	27,184.41	11,689.30	43.00	24,827.60	11,504.33	46.34
7)	जम्मू-कश्मीर	1,194.88	411.73	34.46	1149.08	529.30	46.06
8)	कर्नाटक	136,443.60	33,678.24	24.68	136,611.30	39,543.43	28.95
9)	केरल	209,757.40	N.R.	N.R.	190,812.55	10,586.52	5.55
10)	मध्य प्रदेश	N.R.	N.R.	N.R.	121,193.71	48,588.39	40.09
11)	महाराष्ट्र	N.R.	N.R.	N.R.	116,174.10	113,503.23	97.70
12)	उड़ीसा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	पांडिचेरी	1,540.55	N.R.	N.R.	1,292.08	63.04	4.88
14)	पंजाब	N.R.	N.R.	N.R.	207,803.19	177.85	0.09
15)	राजस्थान	N.R.	N.R.	N.R.	149,478.81	27,419.42	18.34
16)	तमिलनाडु*	134,684.83	21,332.65	15.80	118,237.77	17,816.03	15.07
17)	त्रिपुरा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	उत्तर प्रदेश	307,504.00	165,155.00	53.71	340,496.00	168,455.56	52.56
19)	पश्चिम बंगाल	96,002.85	N.R.	N.R.	82,066.58	14,684.19	17.89
	कुल	1,208,737.38	337,436.96	27.92	1,749,718.68	554,985.63	31.72

नोट: * तमिलनाडु एससीएआरडीबी के कृषि क्षेत्र की ऋणमाफी राशि - 2006 में ब्लॉक कर दी गई - जिसमें 82018.95 रु लाख शामिल हैं, एन.आर. - नाट रिपोर्टेड

सारणी ७ - नॉन परफोमिंग परिसम्पतियाँ

(रु. लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	अंतिम ऋणबाता स्तर पर						मांग का प्रतिशत वसूली	
		30.06.09			30.06.10				
		मांग	संग्रह	शेष	मांग का प्रतिशत वसूली	मांग	संग्रह		शेष
1.	आसाम	391.73	105.36	286.37	26.90	366.67	134.19	232.48	36.60
2.	बिहार	27,478.37	522.33	26,956.04	1.90	31,794.26	2,228.29	29,565.97	7.01
3.	छत्तीसगढ़	10,673.10	5,319.06	6,179.32	49.84	10,943.07	5,784.33	5,158.74	52.86
4.	गुजरात	60,976.69	22,487.65	38,489.04	36.88	59,113.39	24,633.55	34,479.84	41.67
5.	हरियाणा	112,076.05	22,523.84	89,552.21	20.10	138,120.00	37,410.00	100,710.00	27.09
6.	हिमाचल प्रदेश	2,825.00	1,671.00	1,154.00	59.15	12,190.74	6,265.51	5,925.23	51.40
7.	जम्मू-कश्मीर	NR	NR	NR	NR	1,398.96	350.24	1,048.72	25.04
8.	कर्नाटक	72,164.03	35,324.40	36,839.63	48.95	68,819.82	29,929.67	38,890.15	43.49
9.	केरल	80,483.27	48,308.46	32,174.81	60.02	89,839.02	60,089.36	29,749.66	66.89
10.	मध्य प्रदेश	68,802.96	20,292.62	48,510.34	29.49	88,679.63	23,186.19	65,493.44	26.15
11.	महाराष्ट्र	82,174.75	6,550.31	75,624.44	7.97	79,308.03	16,517.13	62,790.90	20.83
12.	उड़ीसा	2,158.61	474.35	1,684.26	21.97	NR	NR	NR	NR
13.	पांडिचेरी	1,318.91	1,008.64	113.74	76.48	1,274.62	1,219.79	54.83	95.70
14.	पंजाब	96,456.40	53,937.16	42,519.24	55.92	122,785.58	72,901.14	49,884.44	59.37
15.	राजस्थान	107,428.05	43,064.65	64,363.40	40.09	102,299.79	38,712.81	63,586.98	37.84
16.	तमिलनाडु	20,906.72	2,521.35	18,385.37	12.06	21,450.66	7,713.77	13,736.89	35.96
17.	त्रिपुरा	981.02	600.62	380.40	61.22	NR	NR	NR	NR
18.	उत्तर प्रदेश	176,713.94	67,723.39	108,990.55	38.32	171,981.59	74,684.89	97,296.70	43.43
19.	पश्चिम बंगाल	23,450.62	15,761.61	7,689.01	67.21	36,437.07	17,476.04	18,961.03	47.96
	कुल	947,460.22	348,196.80	599,892.17	36.75	1,036,802.90	419,236.90	617,566.00	40.44

सारणी ८ - सामान्य प्रशासकीय डेटा

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या (रेकॉर्ड/मिश्रित ढांचा)		पीसीआरआडीबी की संख्या (संघीय/मिश्रित ढांचा)		पीसीआरआडीबी की शाखाओं की संख्या (संघीय/मिश्रित ढांचा)		कुल सदस्य (कर्जदार + नैर कर्जदार)		कर्जदार सदस्य		एसएआरडीबी में चयनित बोर्ड (हां/ ना)		पीसीआरडीबी में चयनित बोर्ड की संख्या		एसएआरडीबी में कर्मचारी (संख्या)		पीसीआरडीबी में कर्मचारी (संख्या)	
		31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	आसाम	N.R.	28	0	0	0	0	N.R.	37,372	N.R.	3,164	N.R.	N.R.	N.A.	N.A.	N.R.	258	N.A.	N.A.
2)	बिहार	131	131	0	0	0	0	703,909	709,298	473,048	472,437	Yes	Yes	N.A.	N.A.	799	824	N.A.	N.A.
3)	छत्तीसगढ़	0	0	12	12	77	77	N.R.	214403	N.R.	53948	Yes	Yes	N.R.	N.R.	50	53	354	376
4)	गुजरात	181	181	0	0	0	0	675226	676206	675226	676206	Yes	Yes	N.A.	N.A.	476	410	N.A.	N.A.
5)	हरियाणा	0	0	19	19	87	87	733185	748716	333312	368374	Yes	Yes	18	19	142	147	1368	1453
6)	हिमाचल प्रदेश	33	33	1	1	16	16	76,189	75,532	47,219	48,305	Yes	Yes	1	1	133	140	59	61
7)	जम्मू-कश्मीर	45	45	0	0	0	0	92131	91615	73123	72607	No	No	N.A.	N.A.	150	152	N.A.	N.A.
8)	कर्नाटक	0	0	177	177	0	0	1073414	1062098	677656	666340	Yes	Yes	175	175	404	431	N.R.	1131
9)	केरल	0	0	50	49	169	169	1035636	1035336	737023	737035	Yes	Yes	50	49	340	349	1025	1049
10)	मध्य प्रदेश	0	0	38	38	347	352	396,320	412,742	275,540	309,962	No	No	34	36	N.R.	342	N.R.	2033
11)	महाराष्ट्र	0	0	29	29	217	253	N.R.	1130393	N.R.	50884	No	No	2	2	173	191	1448	1600
12)	उड़ीसा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
13)	पश्चिमी बंगाल	1	1	0	0	0	0	15511	15012	3334	3293	Yes	Yes	N.A.	N.A.	33	30	N.A.	N.A.
14)	पंजाब	0	0	89	89	0	0	836660	840676	223584	259710	Yes	Yes	81	78	236	246	636	707
15)	राजस्थान	0	0	36	36	131	131	N.R.	1364573	N.R.	733286	Yes	No	N.R.	36	131	138	N.R.	680
16)	तमिलनाडु	0	0	180	180	1	0	2,281,347	2,200,379	509,580	399,060	No	No	N.R.	N.R.	157	168	547	602
17)	त्रिपुरा	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	उत्तर प्रदेश	323	323	0	0	0	0	2,535,893	2,396,996	2,353,309	2,212,427	No	No	N.A.	N.A.	3,082	3,220	N.A.	N.A.
19)	पश्चिम बंगाल	2	2	24	24	N.R.	68	377,905	343,550	239,735	217,941	Yes	Yes	20	20	140	135	582	621
	कुल	716	744	655	654	1045	1153	10833526	13354897	6621689	7284979	-	-	381	416	6446	7234	6019	10313

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

LIST OF MEMBERS

(As on 31st March 2011)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd., Patna.
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

सदस्यों की सूची

(31 मार्च 2011 को)

1. आन्ध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैद्राबाद.
2. आसाम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहाटी.
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, पटना.
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर.
5. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद.
6. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला.
7. हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला.
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर.
9. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बैंगलोर.
10. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, तिरुवनंतपुरम.
11. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल.
12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बहुउद्देश्यीय विकास बैंक मर्यादित, मुंबई.
13. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर.
14. पॉडिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक मर्यादित, पॉडिचेरी.
15. पंजाब राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, चंडीगढ़.
16. राज्यस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयपुर.
17. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई.
18. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला.
19. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ.
20. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकाता.
21. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली.
22. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी.
23. मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक मर्यादित, शिलॉंग.



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों
महासंघ लिमिटेड**

७०१, ७वी मंझिल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,
रेलवे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४२२४ / ४२६ / २२६
(एम.डी) : २७८१ ४११४
फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard@vsnl.com
वेबसाईट : www.nafcard.org.

701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703
Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226
(M.D.): 022 - 27814224
Fax: 91-22-27814225
E-mail: nafcard@vsnl.com
Website: www.nafcard.org